भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 245
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

ई-लोक अदालतें

245. श्री मारगनी भरत :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) वर्ष 2020 से देश में आयोजित ई-लोक अदालतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ख) वर्तमान में स्थायी लोक अदालतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ग) लोक अदालत और ई-लोक अदालतों के आयोजन में होने वाले खर्च के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या देश में और अधिक लोक अदालतों और ई-लोक अदालतों के आयोजन का कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वाधान के अधीन, विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत को अभासी मंच पर ले गए, जिसे ई-लोक अदालत के रुप में जाना जाता है । पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को मध्यप्रदेश में आयोजित की गई थी । 2020 से, देश में आयोजित ई-लोक अदालतों के राज्य-वार ब्यौरे उपाबंध-क पर है ।

(ख) : वर्तमान में कार्य कर रही स्थायी लोक अदालतों के राज्य-वार ब्यौरे उपाबंध-ख पर है ।

(ग) : राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधियों का आबंटन लोक अदालत और ई-लोक अदालत के आयोजन में उपगत होने वाले व्ययों सहित सभी क्रियाकलापों के लिए किया जाता है । विगत और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः 145 करोड़ रु. और 190 करोड़ रु. लोक अदालतों और ई-लोक अदालतों सहित नालसा के लिए उनके विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन के लिए आबंटित किए गए है ।

(घ) और (ड.) : प्रत्येक वर्ष, नालसा राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए वर्ष का कलैंडर जारी करता है । 2023 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतें 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितंबर, और 9 दिसंबर को आयोजित होने के लिए अनुसूचित की गई है । राज्य लोक अदालतें स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है ।

****

उपाबंध – क

ई-लोक अदालतें - श्री मारगनी भरत, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 245 जिसका उत्तर 03.02.2023 को दिया जाना है – के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

2020 से देश में आयोजित ई-लोक अदालतों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण							
		पूर्व-मुकदमेबाजी मामले		**न्यायालयों में लंबित मामले**		**कुल**	
क्रसं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	**लिए गए**	**निपटाए गए**	**लिए गए**	**निपटाए गए**	**लिए गए**	**निपटाए गए**
1	आंध्र प्रदेश	661	214	22,072	15,500	22,733	15,714
2	अरुणाचल प्रदेश	141	18	67	23	208	41
3	बिहार	58,182	17,469	9,023	3,078	67,205	20,547
4	चंडीगढ़	0	0	70	12	70	12
5	छत्तीसगढ़	13,052	7,739	14,087	8,661	27,139	16,400
6	दिल्ली	16,167	13,243	95,624	82,099	1,11,791	95,342
7	गोवा	0	0	170	65	170	65
8	गुजरात	2,44,476	1,39,067	37,738	20,945	2,82,214	1,60,012
9	हरियाणा	3,755	3,625	9,565	4,985	13,320	8,610
10	हिमाचल प्रदेश	2,72,292	11,688	416	244	2,72,708	11,932
11	जम्मू-कश्मीर	2,281	1,575	8,923	6,291	11,204	7,866
12	झारखंड	1,81,033	1,17,468	58,832	37,411	2,39,865	1,54,879
13	कर्नाटक	20,558	11,885	3,02,404	1,76,527	3,22,962	1,88,412
14	केरल	3,985	986	35,541	25,271	39,526	26,257
15	मध्य प्रदेश	3,661	312	36,592	8,385	40,253	8,697
16	महाराष्ट्र	2,37,67,045	41,35,134	87,90,833	10,07,872	3,25,57,878	51,43,006
17	मणिपुर	881	738	172	91	1,053	829
18	मेघालय	133	33	25	8	158	41
19	मिजोरम	1,856	283	168	47	2,024	330
20	ओडिशा	23,806	1,143	24,272	4,236	48,078	5,379
21	पंजाब	5,327	536	9,387	6,639	14,714	7,175
22	राजस्थान	36,725	6,438	57,865	29,674	94,590	36,112
23	सिक्किम	1,123	259	225	59	1,348	318
24	तेलंगाना	887	862	12,450	10,408	13,337	11,270
25	त्रिपुरा	2,350	505	1,472	169	3,822	674
26	उत्तर प्रदेश	2,01,382	1,33,926	65,217	40,094	2,66,599	1,74,020
27	उत्तराखंड	3,591	408	12,168	4,210	15,759	4,618
28	पश्चिमी बंगाल	15,654	1,924	11,997	8,907	27,651	10,831
	कुल योग	**2,48,81,004**	**46,07,478**	**96,17,375**	**15,01,911**	**3,44,98,379**	**61,09,389**

उपाबंध -ख

ई-लोक अदालतें - श्री मारगनी भरत, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 245 जिसका उत्तर 03.02.2023 को दिया जाना है – के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

कार्यशील स्थायी लोक अदालतों (पीएलएएस) के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण		
क्र.सं.	**राज्य प्राधिकरण का नाम**	**पीएलएएस**
1	अंदमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	9
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	14
5	बिहार	2
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	5
8	दादरा और नागर हवेली	0
9	दमण और दीव	0
10	दिल्ली	3
11	गोवा	1
12	गुजरात	1
13	हरियाणा	21
14	हिमाचल प्रदेश	1
15	जम्मूकश्मीर-	0
16	झारखंड	24
17	कर्नाटक	6
18	केरल	3
19	लद्दाख	0
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	50
22	महाराष्ट्र	4
23	मणिपुर	0
24	मेघालय	0
25	मिजोरम	0
26	नागालैंड	0
27	ओडिशा	22
28	पुडुचेरी	0
29	पंजाब	22
30	राजस्थान	35
31	सिक्किम	0
32	तमिलनाडु	32
33	तेलंगाना	6
34	त्रिपुरा	8
35	उत्तर प्रदेश	71
36	उत्तराखंड	4
37	पश्चिमी बंगाल	0
	कुल योग	**345**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 265
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

करनाल क्षेत्र में लोक अदालत

265. श्री संजय भाटिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का करनाल क्षेत्र में लोक अदालत, जो वहां ब्लॉक और जिला स्तर पर जनसाधारण के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में काम करती है, आयोजित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके अंतर्गत अदालत में लंबित पड़े विवादों/मामलों को मुकदमेबाजी से पहले ही सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने और निपटाने के लिए ऐसी पहल किए जाने की संभावना है ;

(घ) क्या सरकार का राज्य सरकार के समन्वय से जिला अदालत में ई-सेवा केंद्र स्थापित करने का विचार है, जिसका मुख्य उद्देश्य वादियों के साथ-साथ अधिवक्ताओं को उनकी सेवाओं में सहायता प्रदान करना है, जो देश की अदालतों के कामकाज के लिए उपयोगी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और () :

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. +266
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

+266. श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के न्यायालयों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की पहल भारत के मुख्य न्यायामूर्ति में निहित होती है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की पहल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति निहित होती है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नामों को सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजा जाता है ।

तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें, अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति,प्रोन्नति और आरक्षण के मुद्दे के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं । अत:, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती या आरक्षण का संबंध है, संघ सरकार की जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन कोई भूमिका नहीं है ।

तथापि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं के उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 267
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों का डिजीटलीकरण

267. श्री विनसेंट एच. पाला :
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री रतन लाल कटारिया:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सम्पूर्ण देश में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों के डिजिटलीकरण के द्वारा उनके संचालन हेतु ई-न्यायालय प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित उन न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जिनका डिजीटलीकरण किया जा चुका है और जो ऑनलाइन सुनवाई करने में भी सक्षम हैं ;

(ग) क्या कोविड जैसी स्थिति, जिसमें न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति संभव नहीं हैं, से निपटने के लिए सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों के डिजिटल बुनियादी ढांचे सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्वीकृत राशि और ई-कोर्ट मिशन परियोजना के कार्यान्वयन से अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का जिला न्यायालयों में नागरिकों को सस्ती, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए नई नीति लाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए देश में ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। ई-कोर्ट परियोजना को ई-समिति भारत के उच्चतम न्यायालय और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। ई- न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। परियोजना का चरण I 2011-2015 के दौरान लागू किया गया था। परियोजना का चरण II 2015 में आरम्भ हुआ, जिसके अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। न्यायालय परिसरों के कम्प्यूटरीकरण का विस्तृत ब्यौरा उपाबंध-I में उपाबद्ध किया गया है।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण II के दौरान तालुक स्तर की न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों में एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण प्रदान किए गए हैं और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीसी उपकरण के लिए निधि मंजूर की गई है। 2506 वीसी केबिन स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। अतिरिक्त 1500 वीसी अनुग्यप्ति प्राप्त किए गए हैं। वीसी सुविधाएं पहले से ही 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 ततस्थानी जेलों के बीच सक्षम हैं।

(घ) : डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

वर्ष	मंजूर किया गया बजट	जारी किया गया बजट
2019-20	180	179.26
2020-21	180	179.31
2021-22	98.82	98.30
कुल	**458.82**	**456.88**

ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित पहलें की गई हैं -

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ संयोजकता प्रदान की गई है ।

ii. मामला जानकारी सॉफ्टवेयर (सीआईएस) फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में जिला न्यायालयों में मामला जानकारी सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 कार्यान्वित किया जा रहा है और उच्च न्यायालयों के लिए मामला जानकारी राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 कार्यान्वित किया जा रहा है।

iii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी 21.99 करोड़ से अधिक मामलों और इन कम्प्यूटरीकृत (02.01.2023 तक) से संबंधित 20.10 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2020 में ओपन एपीआई की शुरुआत लंबित निगरानी और अनुपालन में सुधार के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंचने के लिए स्थानीय निकायों सहित केंद्रीय और राज्य सरकारों और संस्थागत वादकारियों को अनुमति देने के लिए की गई है।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31 अक्तूबर 2022 तक कुल 1.50 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक 18,407 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस

मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया है। जस्टआईएस मोबाइल ऐप अब आईओएस में भी उपलब्ध है।

v. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है। 21 वर्चुअल न्यायालयों में 1.32 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 32 लाख (3262303) से अधिक मामलों में 02.01.2023 तक 347.86 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है।

vi. भारत का उच्चतम न्यायालय 3,79,954 सुनवाई (लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के बाद से 24.12.2022 तक) आयोजित करके एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा । उच्च न्यायालयों (76,62,243 मामलों) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,68,47,529 मामलों) ने 24.12.2022 तक 2.24 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं भी समर्थ की गई हैं। 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए 2506 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण के लिए भी निधियाँ जारी किए गए हैं ।वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई हैं। 1732 दस्तावेज़ विज़ुअलाइज़र के उपापन के लिए 7.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

vii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। मसौदा ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं। 31.12.2022 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है

viii. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि को देय हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है । 22 उच्च न्यायालयों में 31.12.2022 तक न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ix. सम्मन देने और जारी करने की प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। यह वर्तमान में 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया गया है।

x. एक नया "निर्णय खोज"पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय: दिन प्रति दिन,और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।

xi. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 25 उच्च न्यायालयों में 39 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है, स्थापित किए गए हैं।

xii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और परिचित बनाने के लिए और "कौशल विभाजन" को संबोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें" पर वकीलों के लिए एक ब्रोशर अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ई-न्यायालय सेवाओं के नाम पर ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 5,13,080 पणधारक सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता भी हैं।

(ङ): परियोजना का चरण II पूरा होने के करीब है और ई-न्यायालय चरण III के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण III में एक न्यायिक प्रणाली का उल्लेख है जो न्याय की तलाश करने वाले या भारत में न्याय वितरण का हिस्सा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सस्ती, सुलभ, लागत प्रभावी, अनुमानित, विश्वसनीय और पारदर्शी है। ई-न्यायालय चरण III की डीपीआर में विभिन्न नई विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जैसे कि डिजिटल और पेपरलेस न्यायालयों का उद्देश्य न्यायालय कार्यवाही को एक न्यायालय में डिजिटल प्रारूप के अधीन लाना; ऑनलाइन न्यायालय वादियों या वकीलों की न्यायालय में उपस्थिति को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है; यातायात उल्लंघनों के अधिनिर्णयन से परे आभासी न्यायालयों के दायरे का विस्तार; लंबित मामले के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके सबसेट जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग, भविष्य की मुकदमेबाजी का पूर्वानुमान आदि।

****

उपाबंध – I

न्यायालयों के डिजिटलीकरण संबंधी लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 267 जिसका उत्तर 03/02/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

ई- न्यायालय चरण-II के अधीन न्यायालय परिसर और न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बॉम्बे	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	उड़ीसा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	कुल		**3452**	**18735**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 303
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

303. श्री पी.आर. नटराजन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन उच्च न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो अपनी कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न उच्च न्यायालयों से उनकी कार्यवाहियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बार काउंसिलों के साथ कोई बैठक की है ताकि लोगों को न्यायालय की कार्यवाहियों/मामलों में सुविधा प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (1) (क) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) में कहा गया है कि खंड (1) के उपखंड (झ) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य में उच्च न्यायालय की मुख्य सीट वाले उच्च न्यायालय में कार्यवाहियों में हिंदी भाषा, या राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को प्राधिकृत कर सकेगा ।

कैबिनेट समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए ।

राजस्थान के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन 1950 में प्राधिकृत किया गया था । कैबिनेट समिति के यथा उल्लिखित तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय के पश्चात, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) उच्च न्यायालय में हिंदी के उपयोग को प्राधिकृत किया गया था ।

भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सरकार से तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के उपयोग की क्रमश:, मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च

न्यायालय की कार्यवाहियों में अनुमति देने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी और यह सूचित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया ।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पूर्व विनिश्चयों की समीक्षा करने और भारत के उच्चतम न्यायालय से सहमति देने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सूचित किया कि पूर्ण पीठ ने व्यापक विचार-विमर्श करने के पश्चात प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने का फैसला किया और माननीय न्यायालय के पूर्व विनिश्चयों को दोहराया ।

(ग) और (घ) : विधि और न्याय मंत्रालय के एजिस में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में 'भारतीय भाषा समिति' का गठन किया है । समिति, क्षेत्रीय भाषाओं में विधिक सामग्री का अनुवाद करने के उद्देश्य से प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए सभी भारतीय भाषाओं के निकट एक सामान्य कोर शब्दावली विकसित कर रही है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 330
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश

330. श्री विजयकुमार विजय वसंत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु ज्ञापन या दिशानिर्देश का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार के समक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लंबित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति और उच्च न्यायालयों में पदोन्नति से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में न्यायपालिका से कोई परामर्श मांगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्रशासित करने वाली प्रक्रिया मैनुअल के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा प्रशासित किया जाता है । विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के प्रस्ताव का प्रारंभ उच्चतम न्यायालय के दो ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों से गठित उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाता है । एससीसी से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार के विचार प्राप्त होते है । संवैधानिक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को अधिसूचित किया जाता है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारंभ उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से गठित उच्च न्यायालय कॉलेजियम के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाता है । प्रस्तावों पर राज्य संवैधानिक प्राधिकारियों के विचार भी प्राप्त होते हैं । केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ऐसी अन्य रिपोर्टों जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध हो जाए को ध्यान में रखते हुए सिफारिशों पर विचार करते है । पूरे विषय को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनकी सलाह के लिए भेज दिया जाता है । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सलाह और संवैधानिक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अधिसूचित की जाती है । केवल एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए लोगों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त किया जाता है ।

(ख) और (ग) : 01.02.2023 तक, उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 142 प्रस्ताव सरकार के प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर है । इन 142 प्रस्तावों में से, 4 प्रस्ताव उच्चतम

न्यायालय कॉलेजियम में लंबित है और 138 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों के अधीन है । 2023 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध** पर स्थित है ।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायापालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनो स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, न्यायाधीशों की रिक्तियां, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि, के कारण उद्भूत होती रहती है ।

****

उपाबंध

(31.01.2023 तक)

2023 में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला "उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश" से संबंधित लोकसभा अतांराकित प्रश्न सं. 330 के भाग (ख) और (ग) में निर्दिष्ट विवरण

क्रम सं.	**2023 में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों की संख्या**	
क.	**भारत के उच्चतम न्यायालय**	**8**
ख.	**उच्च न्यायालय**	
1	इलाहाबाद	9
2	आंध्र प्रदेश	3
3	बॉम्बे	2
4	कलकत्ता	4
5	छत्तीसगढ़	1
6	दिल्ली	6
7	गुवाहाटी	3
8	गुजरात	2
9	हिमाचल प्रदेश	1
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	1
11	झारखंड	-
12	कर्नाटक	2

13	केरल	4
14	मध्य प्रदेश	7
15	मद्रास	2
16	मणिपुर	-
17	मेघालय	1
18	ओड़िशा	4
19	पटना	2
20	पंजाब और हरियाणा	9
21	राजस्थान	3
22	सिक्किम	-
23	तेलंगाना	3
24	त्रिपुरा	-
25	उत्तराखंड	3
	कुल	**80**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 336
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई में विलंब

336. श्री अरुण कुमार सागर :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण कई मामलों के विचारण/सुनवाई में विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उन रिक्तियों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं ;
(ग) क्या सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : न्यायालयों में मामलों का लंबन केवल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी के कारण ही नहीं है, बल्कि कई अन्य कारकों, जैसे (i) राज्य और केंद्रीय विधानों की संख्या में बढ़ोत्तरी, (ii) प्रथम अपीलों का इकठ्ठा होने, (iii) कुछ उच्च न्यायालयों में साधारण सिविल अधिकारिता के जारी रहने, (iv) अर्द्ध न्यायिक फोरमों के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपीलें होने, (v) पुनर्रीक्षणों/अपीलों की संख्या, (vi) बारम्बार स्थगन, (vii) रिट अधिकारिता का अंधाधुंध प्रयोग, (viii) सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव, (ix) न्यायालयों की अवकाश अवधि, (x) न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति का कार्य देने, आदि के कारण भी है ।

01.02.2023 को यथा विद्यमान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1108 के मुकाबले 775 न्यायाधीश कार्यरत है, न्यायाधीशों की 333 रिक्तियां भरी जानी हैं । वर्तमान में सरकार और उच्चतम न्यायालय कालेजियम के बीच 142 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । उच्च न्यायालयों में बकाया 191 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कालेजियम से और सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं । 01.02.2023 को यथा विद्यमान उच्च न्यायालयवार रिक्ति की स्थिति दर्शित करने वाला एक विवरण **उपाबंध** पर है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक निरंतर, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है,

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उनके उन्नयन के कारण रिक्तियां होती रहती है । सरकार समयबद्ध रीति में त्वरित गति से रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है ।

(ग) से (घ) : किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या बढ़ाने के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ-साथ राज्य सरकार की सहमति अपेक्षित है, क्योंकि उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं तथा राज्य सरकार को अवसंरचनात्मक सुविधाओं, न्यायाधीशों के वेतन, आदि को प्रदान करना होता है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (2014) में 906 से बढ़कर (2022) में 1108 हो गई है ।

***

उपाबंध

(01.02.2023 को यथा विद्यमान)

"उच्च न्यायालयों में मामलों की सुनवाई में विलंब" संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 336 के भाग (क) और भाग (ख) में निर्दिष्ट, उच्च न्यायालयों में न्यायालयवार स्वीकृत, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियां दर्शित करने वाला, विवरण ।

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	96	64
2	आंध्र प्रदेश	37	32	5
3	बंबई	94	65	29
4	कलकत्ता	72	54	18
5	छत्तीसगढ	22	14	8
6	दिल्ली	60	45	15
7	गुवाहाटी	24	23	1
8	गुजरात	52	26	26
9	हिमाचल प्रदेश	17	9	8
10	जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख	17	14	3
11	झारखंड	25	20	5
12	कर्नाटक	62	51	11
13	केरल	47	37	10
14	मध्य प्रदेश	53	31	22
15	मद्रास	75	52	23
16	मणिपुर	5	3	2
17	मेघालय	4	3	1
18	उड़ीसा	33	22	11
19	पटना	53	34	19
20	पंजाब और हरियाणा	85	66	19
21	राजस्थान	50	35	15
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	32	10
24	त्रिपुरा	5	2	3
25	उत्तराखंड	11	6	5
योग		**1108**	**775**	**333**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 339
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए सुविधाएं

339. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के लिए उक्त अतिरिक्त सुविधाओं पर खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा उस पर विचार कर रही है जैसा कि केन्द्र सरकार के वरिष्ठतम सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में सेवानिवृत्ति के पश्चात् फायदों का कोई उपबंध नहीं है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम-3ख के अनुसार भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्तियों और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् फायदे प्रदान किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम-3ख की एक प्रति उपाबंध-I पर है ।

(ग) : जैसा कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्तियों और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुज्ञेय फायदों पर व्यय को "वेतन" और "कार्यालय व्यय" के अधीन पूरा किया जाता है और इस खाते में व्यय के विवरण पृथक रूप से नही रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

****

उपाबंध-1

"सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए सुविधाएं" से संबंधित लोक सभा प्रश्न सं. 339, जिसका उत्तर तारीख 03.02.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का नियम 3ख

3ख. सेवानिवृति के पश्चात् फायदे - (1) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति के लिए उसके जीवनकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की स्थापना से उच्चतम न्यायालय के नियमित कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ निम्नलिखित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा-

क) घरेलू सहायता (जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के स्तर के बराबर);

ख) चालक (उच्चतम न्यायालय में चौफर के स्तर के बराबर); और

ग) सचिवीय सहायक (उच्चतम न्यायालय में शाखा अधिकारी के स्तर के बराबर) ।

(2) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए चौबीसों घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के अलावा आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कवर का हकदार होगा।

(3) सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए चौबीसों घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के अलावा आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षा कवर का हकदार होगा।

(4) उप नियम (2) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पहले से ही खतरे की धारणा के आधार पर उच्च श्रेणी सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो पहले से प्रदान की गई उच्च श्रेणी सुरक्षा जारी रहेगी।

(5) एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली (नामित आधिकारिक निवास के अलावा) में एक किराया मुक्त टाइप- VII आवास का हकदार होगा।

(6) सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए उसके जीवनकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की स्थापना से उच्चतम न्यायालय के नियमित कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ निम्नलिखित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा-

क) घरेलू सहायता (जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के स्तर के बराबर); और

ख) चालक (उच्चतम न्यायालय में चौफर के स्तर के बराबर) ।

(7) एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हवाई अड्डों पर औपचारिक लाउंज में शिष्टाचार बढ़ाने के लिए प्रोटोकॉल के हकदार होंगे।

(8) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुफ्त आवासीय टेलीफोन के लिए और आवासीय टेलीफोन या मोबाइल फोन या मोबाइल डेटा के ब्रॉडबैंड या डेटा कार्ड के लिए 4200 रू प्रति माह + यथा लागू कर के टेलीफोन कॉल प्रभार की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

परंतु भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा टेलीफोन कॉल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(9) इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति के पश्चात् फायदे, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए अनुज्ञेय होंगे यदि ऐसी कोई सुविधा किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य सरकारी निकाय से प्राप्त नहीं की जाती है जहाँ पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति या पूर्व न्यायाधीश ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई कार्यभार ग्रहण किया है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 370
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

वादियों के लिए न्यायालय परिसरों की सुगम्यता संबंधी अध्ययन

370. श्री पिनाकी मिश्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से पहुंचने की सुविधा, प्रतीक्षा क्षेत्रों, शौचालयों आदि की उपलब्धता के संदर्भ में वादियों के लिए न्यायालय परिसरों की पहुंच का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि न्यायालय परिसर विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य हों ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की प्रास्थिति पर डाटा संकलित किया है, जिसके अनुसार 74% न्यायालय परिसरों में अलग महिला शौचालय हैं और 84% में पुरुष शौचालय हैं । अवसंरचना सुविधाओं जिसके अंतर्गत लोक परिवहन के माध्यम से पहुंच, प्रतीक्षा क्षेत्रों, शौचालयों आदि के लिए उपबंध भी है, के विकास के लिए उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों में प्राथमिक रुप से निहित है । केन्द्रीय सरकार न्यायिक अवसंरचना के लिए सीएसएस के माध्यम से इस संबंध में राज्यों के संसाधनों की केवल पूर्ति करती है ।

(ग) और (घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वकीलों और कक्षीकारों की सुविधाओं के लिए न्यायालय भवनों, आवासीय इकाईयों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के संनिर्माण के लिए उपबंध करता है । राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां केवल तब जारी की जाती है जब उनकी परियोजना प्रस्ताव अनिवार्य रुप से सीपीडबल्यूडी/ निशक्त व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिकथित निशक्त अनुकूल मानकों /पहुंच मानदंडों का अनुपालन करते है । सीएसएस मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत राज्यों से इस आश्य का प्रमाणपत्र भी मांगा जाता है ।

स्कीम के अधीन राज्यों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की पर्याप्त स्वतंत्रता है, जिसमें वे सुविधाएं भी सम्मिलित है जो न्यायालयों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 378
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका के अवसंरचनात्मक विकास हेतु अनुदान

378. श्री एस. रामलिंगम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पूरी की गई/चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्यों को न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत दिए गए अनुदानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : न्याय विकास पोर्टल 02 पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंतिम तीन वर्षों के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन पूरी की गई या चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण उपाबंध-1 में है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, अंतिम पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्यों में न्यायपालिका के लिए विकास और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन दिए गए अनुदान से संबंधित विवरण उपाबंध-2 में है ।

(ग) : 30-04-2022 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रीय निकाय स्थापित नहीं करने का संकल्प लिया गया और इसके स्थान पर इसे राज्य स्तर पर न्यायिक अवसंरचना के लिए समिति बनाने पर सहमति हुई थी जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अपने नामनिर्देशिती होंगे और निकट समन्वय से काम करेंगे ।

****

उपाबंध-1

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 378, जिसका उत्तर 03-02-2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

		बने हुए न्यायालय कक्ष			बन रहे न्यायालय कक्ष
क्र. सं.	**राज्य और संघ राज्यक्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***	**31.01.2023 तक यथा विद्यमान**
1	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	0	3	32	99
3	अरुणांचल प्रदेश	0	0	0	2
4	असम	0	0	17	99
5	बिहार	24	31	8	86
6	चंडीगढ़	0	0	0	1
7	छत्तीसगढ़	18	8	6	25
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	3
10	दिल्ली	24	0	141	50
11	गोवा	0	0	0	28
12	गुजरात	0	0	2	140
13	हरियाणा	8	14	0	75
14	हिमाचल प्रदेश	0	3	0	14
15	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	46
16	झारखंड	0	0	0	0
17	कर्नाटक	65	87	51	144
18	केरल	15	0	18	46
19	लद्दाख	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	34	22	8	412
22	महाराष्ट्र	0	0	0	601
23	मणिपुर	0	0	0	5
24	मेघालय	0	0	0	30
25	मिजोरम	0	0	0	26
26	नागालैंड	0	0	0	12
27	उड़ीसा	35	51	0	53
28	पुड्डुचेरी	7	0	0	0
29	पंजाब	7	0	0	72
30	राजस्थान	43	15	6	194
31	सिक्किम	0	0	1	0
32	तमिलनाडु	50	8	35	0
33	तेलंगाना	12	12	0	45
34	त्रिपुरा	0	10	0	22
35	उत्तर प्रदेश	0	150	10	289
36	उत्तराखंड	0	6	0	70
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	91
योग		**343**	**420**	**335**	**2780**

31.01.2023 तक यथा विद्यमान

उपाबंध-2

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 378, जिसका उत्तर 03-02-2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*	Total
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00	1000.00	2000.00	1028.00	0.00	0.00	4028.00
2	बिहार	4290.00	6204.00	8762.00	6572.00	0.00	0.00	25828.00
3	छत्तीसगढ़	0.00	1968.00	1983.00	784.00	0.00	6000.00	10735.00
4	गोवा	0.00	315.00	406.00	380.00	320.00	2500.00	3921.00
5	गुजरात	5000.00	1502.00	1649.00	1350.40	0.00	0.00	9501.40
6	हरियाणा	1500.00	1191.00	1406.00	2200.00	0.00	0.00	6297.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	408	572	550	0.00	0.00	1530.00
8	जम्मू-कश्मीर	1000.00	1901.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	4401.00
9	झारखंड	5000	959	1374	905	600	1250.00	10088.00
10	कर्नाटक	5000.00	3812.00	4404.00	2972.00	2700.00	8201.00	27089.00
11	केरल	2500.00	3082.00	1582.00	1300.00	5000.00	0.00	13464.00
12	मध्यप्रदेश	5000.00	7942.00	6690.00	4560.00	5500.00	12500.00	42192.00
13	महाराष्ट्र	5000.00	1058.00	6109.00	2311.00	1800.00	10000.00	26278.00
14	उड़ीसा	0.00	2250.00	3569.00	0.00	0.00	0.00	5819.00
15	पंजाब	5000.00	2647.00	3978.00	1647.60	1650.00	1250.00	16172.60
16	राजस्थान	1734.00	1741.00	6421.00	2990.00	4150.00	7166.00	24202.00
17	तमिलनाडु	0.00	609.00	3871.00	1817.00	3566.00	13385.00	23248.00
18	तेलंगाना	0.00	1000.00	565.00	1600.00	0.00	0.00	3165.00
19	उत्तराखंड	2500.00	2202.00	2850.00	586.00	8000.00	0.00	16138.00
20	उत्तर प्रदेश	7500.00	12806.00	16966.00	11100.00	21900.00	0.00	70272.00
21	पश्चिमी बंगाल	1734.00	3522.00	6143.00	3107.00	0.00	0.00	14506.00
	योग	**52758.00**	**58119.00**	**82800.00**	**47760.00**	**55186.00**	**62252.00**	358875.00
	उत्तर-पूर्वी राज्य							
1	अरुणांचल प्रदेश	0.00	0.00	269.00	500.00	409.00	3238.00	4416.00
2	असम	2000.00	3209.00	3654.00	2500.00	2740.00	0.00	14103.00
3	मणिपुर	0.00	887.00	966.00	500.00	0.00	1285.25	3638.25
4	मेघालय	863.00	1482.00	2285.00	771.00	2802.00	5000.00	13203.00
5	मिजोरम	2000.00	594.00	524.00	500.00	950.00	0.00	4568.00
6	नागालैंड	2000.00	321.00	342.00	500.00	1327.00	0.00	4490.00
7	सिक्किम	0.00	257.00	278.00	295.00	0.00	0.00	830.00
8	त्रिपुरा	0.00	0.00	1882.00	774.00	0.00	0.00	2656.00
	योग	**6863**	**6750**	**10200**	**6340**	**8228**	**9523.25**	47904.25
	संघ राज्यक्षेत्र							
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	131.00	16.79	35.36	0.84	0.00	183.99
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली	2500.00	0.00	4852.21	4500.00	3000.00	0.00	14852.21
6	जम्मू-कश्मीर				664.64	2000.00	1260.00	3924.64
7	लद्दाख				0.00	0.00	0.00	0.00
8	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	पुड्डुचेरी	0.00	0.00	331.00	0.00	0.00	955.25	1286.25
	योग	**2500**	**131**	**5200**	**5200**	**5000.838**	**2215.25**	**20247.09**
	कुल योग	**62121.00**	**65000.00**	**98200.00**	**59300.00**	**68414.84**	**73990.50**	**427026.34**

*** 01.02.2023 को यथा विद्यमान**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 405
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विधिक सहायता कार्यक्रम

405. प्रो. अच्युतानंद सामंत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विधिक सहायता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित / उपयोग की गई निधियों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-बार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) समाज के विभिन्न वर्गों के ऐसे व्यक्तियों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र वार कुल संख्या कितनी है, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की गई थी ;

(घ) सरकार द्वारा पूरे देश में निर्धनतम व्यक्तियों हेतु विधिक सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन अधिनियम की धारा 12 के अधीन समाविष्ट किए गए लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया है कि विधिक प्रणाली का संचालन, समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

इस उद्देश्य के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाएं स्थापित की गई हैं । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों में विधिक सहायता और सलाह; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक अदालतें और पीड़ित प्रतिकर स्कीम का कार्यान्वयन सम्मिलित है । अनुदान सहायता के अधीन सरकार द्वारा नालसा को वार्षिक आधार पर धनराशि आबंटित और स्वीकृत की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को नालसा द्वारा आबंटित निधियों का विवरण **उपाबंध-क** पर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या के विवरण **उपाबंध-ख** पर हैं।

(घ) और (ङ) : न्याय तक समान पहुंच को सक्षम करने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने सामान्य नागरिकों को विधिक सहायता तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस संस्करणों पर विधिक सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

इसके अलावा, टेली-लॉ: पहुंच से बाहर तक पहुंचने; न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम के माध्यम से प्रो बोनो लीगल सर्विसेज देने के लिए पैन-इंडिया डिस्पेंसेशन फ्रेमवर्क सुनिश्चित करने; अपने न्याय मित्र कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर पर 15 साल पुराने लंबित मामलों के निपटान को सुकर बनाने और पैन इंडिया विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के माध्यम से प्री-लिटिगेशन सलाह और परामर्श को मजबूत करने के उद्देश्य से "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान की परिकल्पना" शीर्षक से न्याय तक पहुंच पर एक स्कीम शुरू की गई है । यह स्कीम, प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रासंगिक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री को क्षेत्रीय / स्थानीय बोली में विकसित करने के लिए अपने हस्तक्षेप का समर्थन करने और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए विधिक सेवाओं की आसान पहुंच प्राप्त करने को समाहित करती है।

****

उपाबंध-क

श्री अच्युतानंद सामंत, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए विधिक सेवा कार्यक्रम से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 405, जिसका उत्तर तारीख 03.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित की गई निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण (रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2,00,00,000	3,40,00,000	5,00,00,000
3	अरुणाचल प्रदेश	2,00,00,000	1,00,00,000	1,40,00,000
4	असम	3,00,00,000	3,70,00,000	6,40,00,000
5	बिहार	4,50,00,000	3,70,00,000	7,60,00,000
6	चंडीगढ़	1,00,00,000	80,00,000	55,00,000
7	छत्तीसगढ़	6,00,00,000	3,95,00,000	5,25,00,000
8	दादरा और नागर हवेली	0	2,50,000	0
9	दमण और दीव	0	2,50,000	0
10	दिल्ली	8,00,00,000	5,00,00,000	9,30,00,000
11	गोवा	0	50,00,000	15,00,000
12	गुजरात	3,50,00,000	3,45,00,000	5,75,00,000
13	हरियाणा	9,00,00,000	4,50,00,000	6,50,00,000
14	हिमाचल प्रदेश	4,00,00,000	1,85,00,000	2,45,00,000
15	जम्मू - कश्मीर	6,00,00,000	3,50,00,000	4,65,00,000
16	झारखंड	4,00,00,000	4,00,00,000	7,35,00,000
17	कर्नाटक	7,00,00,000	6,25,00,000	7,50,00,000
18	केरल	11,00,00,000	5,25,00,000	9,90,00,000
19	लद्दाख	0	0	65,00,000
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	4,50,00,000	3,00,00,000	5,00,00,000
22	महाराष्ट्र	6,00,00,000	6,25,00,000	8,25,00,000
23	मणिपुर	4,00,00,000	1,00,00,000	1,05,00,000
24	मेघालय	1,00,00,000	50,00,000	50,00,000
25	मिजोरम	2,50,00,000	50,00,000	1,15,00,000
26	नागालैंड	2,50,00,000	50,00,000	1,15,00,000
27	ओड़िशा	6,00,00,000	3,25,00,000	4,25,00,000
28	पुडुचेरी	0	10,00,000	20,00,000
29	पंजाब	10,00,00,000	3,25,00,000	6,40,00,000
30	राजस्थान	6,50,00,000	4,55,00,000	7,00,00,000
31	सिक्किम	2,50,00,000	50,00,000	65,00,000
32	तमिलनाडु	5,00,00,000	4,20,00,000	6,00,00,000
33	तेलंगाना	3,50,00,000	3,50,00,000	4,10,00,000
34	त्रिपुरा	3,00,00,000	2,80,00,000	2,65,00,000
35	उत्तर प्रदेश	3,00,00,000	6,50,00,000	6,00,00,000
36	उत्तराखंड	2,00,00,000	2,50,00,000	2,55,00,000

37	पश्चिमी बंगाल	9,00,00,000	5,20,00,000	7,00,00,000
38	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	0	1,00,00,000	1,00,00,000
	कुल	**1,42,00,00,000**	**1,00,00,00,000**	**1,45,30,00,000**

****

उपाबंध-ख

श्री अच्युतानंद सामंत, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए विधिक सेवा कार्यक्रम से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 405, जिसका उत्तर तारीख 03.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

उन व्यक्तियों जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान की थीं, की संख्या के संबंध में ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43	65	79
2	आंध्र प्रदेश	4,396	4,474	6,371
3	अरुणाचल प्रदेश	3,932	1,984	2,657
4	असम	8,002	10,027	1,10,254
5	बिहार	60,139	38,653	16,89,158
6	चंडीगढ़	2,261	1,242	1,781
7	छत्तीसगढ़	81,713	26,814	42,394
8	दादरा और नागर हवेली	28	10	27
9	दमण और दीव	0	0	17
10	दिल्ली	79,458	82,131	79,055
11	गोवा	3,006	875	1,101
12	गुजरात	26,887	8,302	21,953
13	हरियाणा	19,019	11,059	23,260
14	हिमाचल प्रदेश	4,368	2,083	4,806
15	जम्मू और कश्मीर	4,961	7,675	8,870
16	झारखंड	30,530	1,31,691	6,49,481
17	कर्नाटक	1,45,015	23,211	32,794
18	केरल	71,058	11,242	16,895
19	लद्दाख	0	93	2,408
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	2,68,351	87,843	33,43,800
22	महाराष्ट्र	24,060	12,278	22,595
23	मणिपुर	18,257	56,635	22,651
24	मेघालय	2,914	2,131	2,346
25	मिजोरम	9,473	1,670	3,201
26	नागालैंड	3,691	4,231	7,750
27	ओड़िशा	8,025	6,029	8,849
28	पुदुच्चेरी	1,295	309	884
29	पंजाब	1,27,829	27,096	36,404
30	राजस्थान	32,413	12,274	13,833
31	सिक्किम	928	702	986
32	तमिलनाडु	35,552	26,491	38,181
33	तेलंगाना	15,145	3,488	6,712
34	त्रिपुरा	13,595	2,156	2,671
35	उत्तर प्रदेश	60,819	3,545	1,32,629
36	उत्तराखंड	3,018	2,343	3,775
37	पश्चिम बंगाल	41,956	20,906	29,015
	कुल	**12,12,137**	**6,31,758**	**63,69,643**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. +411
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

लम्बित मामलों संबंधी खर्च

+411. श्री दीपक बैज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश के न्यायालयों में 20 वर्ष से अधिक वर्षों से लम्बित मामलों की संख्या कितनी है और इनके न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित रहने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या लम्बे समय से लम्बित न्यायालय के मामलों पर खर्च के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय में 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या, एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त डाटा के अनुसार, 27.01.2023 तक 208 मामले हैं । उच्च न्यायालयों की दशा में, 2,94,547 मामले तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 6,71,543 मामले, 01.02.2023 को, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं ।

इसके अतिरिक्त, जहां तक न्यायालय में मामलों के ऐसे लंबे समय तक लंबित रहने के कारणों का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई दृश्यमान कारण नहीं है, जिसे मामलों के लंबे समय से लंबित रहने के लिए वर्णित किया जा सके । देश की जनसंख्या में वृद्धि तथा जनता के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता के कारण, वर्ष-दर-वर्ष नए मामले फाइल करने की संख्या तेजी से बढ़ रही है । न्यायालयों में मामलों के बड़ी संख्या में लंबित रहने के लिए कई कारण हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता का अभाव, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित हैं । दांडिक मामलों के लंबित रहने की दशा में, दांडिक न्याय प्रणाली विभिन्न अभिकरणों, जैसे पुलिस, अभियोजन, न्याय विज्ञान प्रयोगशालाओं, हस्तलेख विशेषज्ञों तथा चिकित्सा विधिक विशेषज्ञों द्वारा सहायता पर कार्य करती है । सहायक अभिकरणों द्वारा सहायता प्रदान करने में विलंब भी मामलों के देरी से निपटारे का कारण है ।

(ख) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा अनन्य रूप से न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है । इसलिए, लंबे समय से लंबित मामलों पर व्ययों के संबंध में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 413
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिक्तियां

413. श्री कल्याण बनर्जी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सर्वकालिक अत्यधिक रिक्तियों और कमी के मामले में शीर्ष स्थान पर है ;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय और देश के उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों के रिक्त पद पूरी संख्या में कब तक भरे जाने की संभावना है ; और

(ग) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1108 में से 30 प्रतिशत मासिक औसत रिक्तियां सतत् बने रहने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ग) : सभी उच्च न्यायालयों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और इसकी कार्य करने की शक्ति सबसे अधिक है । 01-02-2023 तक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पद संख्या 160 न्यायाधीशों की है, जिनमें से 64 रिक्तियों को छोड़कर 96 न्यायाधीश कार्यरत हैं ।

जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 27 प्रस्तावों की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, अब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से 37 रिक्तियों के संबंध में सिफारिश प्राप्त हुई है ।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में बनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एम ओ पी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एम ओ पी के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रिक्ति होने के छह महीने पहले उच्च न्यायालय की रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है । तथापि, इस समयसीमा का प्रायः उच्च न्यायालयों द्वारा पालन नहीं किया जाता है ।

वर्ष 2022 में, उच्चतम न्यायालय में 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे ।

उच्चतम न्यायालय के मामले में, 01-02-2023 तक, 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध, 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं और हाल ही में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश प्राप्त हुई है ।

01-02-2023 तक, 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध, 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 333 पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय कॉलेजियम (एचसीसी) द्वारा सिफारिश किए गए 142 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और उच्च न्यायालयों में 191 रिक्तियों के विरुद्ध सिफारिशें अभी तक उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त नहीं हई हैं । एम ओ पी के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रारंभ किया जाता है जिन्हें शीघ्र सिफारिश करने की आवश्यकता होती है लेकिन रिक्ति होने की तारीख से कम से कम 6 महीने पूर्व भेज दिया जाना चाहिए ।

उच्च न्यायालयों और रिक्तियों को भरना एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या न्यायाधीशों के उन्नयन के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं । सरकार रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र भरने के लिए प्रतिबद्ध है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 440
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के लिए दिशानिर्देश

+440. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

श्री सुधीर गुप्ता :

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री राजा अमरेश्वर नाईक :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

श्री विनोद कुमार सोनकर :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

श्री प्रतापराव जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के लिए कोई प्रचालनात्मक दिशानिर्देश या मानक तैयार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश के विभिन्न न्यायालयों में डिजिटल/वर्चुअल माध्यम से निपटाए गए मामलों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने मामलों की डिजिटल सुनवाई के संबंध में देश के लोगों / वकीलों/न्यायालयिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं ;

(ङ) क्या सरकार की देश में ऑनलाइन विवाद समाधान क्षमताओं को विकसित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल अवसंरचना के विकास हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । वर्चुअल सुनवाई के संचालन में एकरूपता और मानकीकरण लाने

के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को एक सर्वसमावेशक आदेश (स्वत: रिट (सिविल) संख्या 5/2020) पारित किया गया, जिसने वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से न्यायालय की सुनवाईयों को विधिक मान्यता और वैधता प्रदान की । और, 5 न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम विरचित किए गए, जो स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप करने के पश्चात् अंगीकृत करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए । मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(i) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं न्यायिक कार्यवाहियों के सभी प्रक्रमों पर तथा न्यायालय द्वारा संचालित कार्यवाहियों के दौरान प्रयोग की जा सकेंगी ।

(ii) किसी न्यायालय में संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होगीं तथा भौतिक न्यायालय को लागू सभी सौजन्य और प्रोटोकाल इन वर्चुअल कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

(iii) न्यायिक कार्यवाहियों को लागू सभी सुसंगत कानूनी उपबंध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित इन वर्चुअल कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

(iv) किसी व्यक्ति या अस्तित्व द्वारा कार्यवाहियों की अप्राधिकृत रिकार्डिंग नहीं की जाएगी ।

(v) अपेक्षित व्यक्ति, भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा मान्यताप्राप्त पहचान का सबूत प्रदान करेगा ।

(vi) न्यायालय स्थल तथा दूरस्थ स्थल, दोनों स्थानों पर एक समन्वयक होगा, जिससे अपेक्षित व्यक्ति को परीक्षित किया जाना है या सुनवाई की जानी है ।

(vii) कार्यवाही का कोई पक्षकार या गवाह, सिवाय वहां के, जहां कार्यवाहियां न्यायालय के कहने पर आरंभ की जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

(viii) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध करने हेतु किसी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम कार्यवाही के पक्षकार अथवा पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, सिवाय वहां के जहां यह असंभव हो या अनुपयुक्त हो, उदाहरण के लिए अत्यावश्यक आवेदन जैसे मामले ।

(ix) न्यायालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध की प्राप्ति पर, तथा सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई के पश्चात्, और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि आवेदन ऋजु विचारण को बाधित करने या कार्यवाहियों में विलंब करने के आशय से फाइल नहीं किया गया है, समुचित आदेश पारित करेगा ।

(x) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध अनुज्ञात करते समय, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समन्वयन के लिए कार्यक्रम भी नियत कर सकेगा ।

(xi) लागत, यदि भुगतान किए जाने का निदेश हो, विहित समय के भीतर जमा की जाएगी, जो उस तारीख से आरंभ होगा, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियों के समन्वय का आदेश प्राप्त होता है ।

(ग) : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों द्वारा व्यवहार किए गए मामलों की संख्या **उपाबंध 1** पर संलग्न है ।

(घ) : नहीं । इस संबंध में कोई मूल्यांकन कार्य नहीं किया गया है । तथापि, न्यायालयों द्वारा मामलों की वर्चुअल सुनवाई ने, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान, संपूर्ण विधिक तंत्र की सहायता की है, जिसके अंतर्गत मुकद्दमें के पक्षकार तथा अधिवक्ता भी हैं, क्योंकि यह उन्हें

अपनी पसंद के किसी स्थान से न्यायालय के समक्ष प्रकट होने में समर्थ बनाती है, अत: यह पर्याप्त समय, धन और भौतिक प्रयासों की बचत करती है ।

(ङ) : भारत में ऑन-लाइन विवाद समाधान (ओडीआर) की संकल्पना विकसित हो रही है । नीति आयोग ने भारत में ओडीआर को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्ययोजना विकसित करने, ओडीआर का एक प्रभावी कार्यान्वयन ढ़ांचा सृजित करने तथा ओडीआर के माध्यम से न्याय तक पहुंच का संवर्द्धन करने के लिए, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में जून, 2020 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था । 29.11.2021 को जारी समिति की रिपोर्ट, भारत में ओडीआर ढ़ांचा अंगीकृत करने के लिए तीन स्तरों पर उपायों की सिफारिश करती है :

(i) संरचनात्मक स्तर – डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, डिजिटल अवसंरचना तक पहुंच को सुधारना तथा वृत्तिकों को प्रशिक्षण देना ।

(ii) व्यवहारात्मक स्तर – सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों को अंतर्वलित करने वाले विवादों का समाधान करने के लिए ओडीआर को अंगीकृत करना ।

(iii) विनियामक स्तर – ओडीआर प्लेटफार्म और सेवाओं तक तत्पर पहुंच ।

रिपोर्ट, ओडीआर के लिए विद्यमान विधायी ढ़ांचे को मजबूत करने पर जोर देती है और एक चरणबद्ध कार्यान्वयन ढ़ांचा प्रस्तुत करती है । यह मध्यकता विधेयक, 2021, जो राज्य सभा में 20.12.2021 को पुर:स्थापित किया गया था, के अधीन ऑन-लाइन मध्यकता को समर्थ बनाने के लिए उपबंध करने हेतु प्रस्ताव किया गया है । ऑन-लाइन मध्यकता का संचालन भारतीय मध्यकता परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है । विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह भारत सरकार के द्वारा विचाराधीन है ।

(च) : सरकार ने, 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से, ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 में, 31.03.2022 तक परियोजना के कार्यान्वयन में लगे हुए विभिन्न संगठनों को 1668.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की है । इसके अंतर्गत न्यायालयों और जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग अवसंरचना, जैसे वीडियो कांफ्रेंसिंग उपकरण, वीसी केबिन, वीसी लाईसेंस तथा डाक्यूमेंट विज्युलाइजर, आदि लगाने के लिए जारी किए गए 111.29 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है ।

****

उपाबंध 1

न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के लिए दिशानिर्देश संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 440, जिसका उत्तर 03/02/023 को दिया जाना है, में निर्दिष्ट विवरण । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल सुनवाई) के माध्यम से 30 नवंबर, 2022 तक व्यवहार किए गए मामलों की संख्या

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	जिला न्यायालय	योग
1	इलाहाबाद	241335	3877965	4119300
2	आंध्र प्रदेश	380252	1412298	1792550
3	बंबई	37535	69857	107392
4	कलकत्ता	137868	80646	218514
5	छत्तीसगढ	103054	39950	143004
6	दिल्ली	317729	3297030	3614759
7	गुवाहाटी - अरुणाचल प्रदेश	2291	8128	10419
8	गुवाहाटी - असम	266154	322269	588423
9	गुवाहाटी - मिजोरम	3963	13268	17231
10	गुवाहाटी - नागालैंड	930	650	1580
11	गुजरात	388928	191558	580486
12	हिमाचल प्रदेश	183904	95523	279427
13	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए सामान्य उच्च न्यायालय	257659	452673	710332
14	झारखंड	218227	637012	855239
15	कर्नाटक	1086570	119946	1206516
16	केरल	159316	531438	690754
17	मध्य प्रदेश	667410	763500	1430910
18	मद्रास	1424315	336752	1761067
19	मणिपुर	38695	15288	53983
20	मेघालय	2747	24282	27029
21	उड़ीसा	282560	242717	525277
22	पटना	266756	2054005	2320761
23	पंजाब और हरियाणा	581047	1829482	2410529
24	राजस्थान	229014	178520	407534
25	सिक्किम	477	9071	9548
26	तेलंगाना	299031	190327	489358
27	त्रिपुरा	10576	12070	22646
28	उत्तराखंड	73900	41295	115195
योग		**7662243**	**16847520**	**24509763**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 445
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

अदालतों में लंबित मामले

445. कुमारी चन्द्राणी मुर्मु :

श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी :

श्री नारणभाई काछड़िया :

श्री अरुण कुमार सागर :

श्री. एम. के. राघवन :

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :

श्री अशोक महादेवराव नेते :

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :

श्री अशोक कुमार रावत :

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में सिविल और फौजदारी सहित अनेक मामले लंबित हैं जिनमें से कुछ मामले 1970 के दशक के हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय/ मामले तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;
(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ;
(घ) क्या सरकार का मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालय अधिकरणों की स्थापना करने और सिविल प्रक्रिया अधिनियम, 1908 में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और
(ङ) लंबित मामलों की संख्या को कम करने और इष्टतम क्षमता के साथ कार्य कर रही न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर मामलों का शीघ्र और समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए किए गए / किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : एकीकृत मामला प्रबंध सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 42 वर्षों से अधिक समय से भारत के उच्चतम न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है। राष्ट्रीय

न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 01.02.2023 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, जो 1970-79 की अवधि तक के हैं, क्रमशः 3642 और 2979 लंबित मामले हैं । संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में 1970 के दशक (1970-1979) से लंबित मामलों की वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विस्तृत विवरण क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध- 2** में दिया गया है।

(ख) : औसतन, विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, यह कथन किया गया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात 2020, 2021 और 2022 में देश की विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत विवरण, उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और राज्य-वार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों को **उपाबंध -3**, **उपाबंध-4** और **उपाबंध-5** में दर्शित किया गया है।

(ग) : जहां तक भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का संबंध है, यथासंभव मामलों की अधिकतम संख्या सूचीबद्ध करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। उच्चतम न्यायालय ने 24.12.2022 तक लॉकडाउन के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3,79,954 सुनवाई की । लम्बित मामलों को कम करने के लिए, यह निदेश दिया गया कि सप्ताह के सभी पाँच दिनों में प्रत्येक माननीय न्यायालय के समक्ष 10 स्थानांतरण याचिकाएँ और 10 जमानत मामले सूचीबद्ध किए जाएँ। इसके अतिरिक्त नए एवं अन्य प्रकीर्ण मामलों की सूचीकरण में तेजी लाने के लिए ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए सप्ताह का मंगलवार भी निर्धारित किया गया है। लंबित नए मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए समय-समय पर प्रकीर्ण सप्ताह घोषित किए जा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया जा सके। विशेष पीठों का भी गठन प्रतिकर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, सेवा एवं आपराधिक मामलों से संबंधित पुराने मामलों के निस्तारण के लिए किया गया है। नियमित सुनवाई के दिनों में इन न्यायालयों के समक्ष पुराने नियमित सुनवाई के मामलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। निकट भविष्य में लम्बित मामलों को कम करने के लिए बहुआयामी प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अपने स्तर पर लंबित मामलों को कम करने के प्रयास जारी हैं।

(घ) : लंबित मामलों को कम करने और मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन

राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामले; जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए गए हैं । 31.12.2022 तक जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों आदि के लिए 848 त्वरित निपटान न्यायालय काम कर रहे हैं। 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 848 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त,केंद्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के

अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2022 तक 186.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 768 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिसमें 418 अनन्य पॉक्सो न्यायालय हैं, जिन्होंने 31.12.2022 तक 1,37,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया।

(ङ) : न्याय मामलों की लंबितता एक बहुआयामी समस्या है । देश की जनसंख्या में वृद्धि और जनता के बीच अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण नए मामलें दर्ज करने मे भी वर्ष दर वर्ष तेजी से वृद्धि हो रही है । न्यायालयों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या के कई कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तत्थयों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं । आपराधिक मामलों के लंबित होने की स्थिति में, आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न अभिकरणों की सहायता पर कार्य करती है, जैसे पुलिस, अभियोजन, न्यायालयीय प्रयोगशाला, लिखावट विशेषज्ञ और मेडिको लीगल विशेषज्ञ । संबद्ध अभिकरणों द्वारा सहायता प्रदान करने मे देरी से भी मामलों के निपटान में देरी होती है ।

****

उपाबंध-1

विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1970 (1970-1979) से लंबित मामलों की वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	कुल
1	इलाहाबाद	1	4	2	5	6	11	44	110	212	345	740

2	राजस्थान											0
3	बॉम्बे	2		1	1		5	2			1	12
4	मद्रास	2	5	7	7	7	7	1	2	11	17	66
5	पंजाब और हरियाणा											0
6	मध्य प्रदेश			2								2
7	कर्नाटक											0
8	तेलंगाना							1	3	3	8	15
9	आंध्र प्रदेश							1		2	7	10
10	पटना	1	3	3	9	13	37	57	30	149	92	394
11	कलकत्ता	108	151	124	249	220	222	288	343	313	382	2400
12	केरल				1						1	2
13	गुजरात											0
14	ओडिशा											0
15	दिल्ली											0
16	छत्तीसगढ											0
17	हिमाचल प्रदेश											0
18	झारखण्ड											0
19	गुवाहाटी											0
20	उत्तराखंड											0
21	जम्मू - कश्मीर										1	1
22	मणिपुर											0
23	त्रिपुरा											0
24	मेघालय											0
25	सिक्किम											0
	कुल	**114**	**163**	**139**	**272**	**246**	**282**	**394**	**488**	**690**	**854**	**3642**

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध-2

विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 1970 के दशक (1970-1979) से लंबित मामलों की वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	कुल
1	आंध्र प्रदेश											0
2	अंदमान और निकोबार											0
3	असम								1		1	2
4	अरुणाचल प्रदेश											0
5	बिहार	20	28	22	36	55	26	39	38	73	80	417
6	चंडीगढ़											0
7	छत्तीसगढ़									1	2	3
8	दिल्ली			1	1	2		1				5
9	दमन और दीव											0
10	गोवा	1	1	1	2	2		4	2	5	4	22
11	गुजरात			1			1	1				3
12	हरियाणा										1	1
13	हिमाचल प्रदेश											0
14	जम्मू-कश्मीर				1	1						2
15	झारखंड	1	2	5	1	2	1	1	1	6	3	23
16	कर्नाटक						2			3	1	6
17	केरल				1		1	1			3	6
18	मध्य प्रदेश	5	1							1	2	9
19	महाराष्ट्र		11	10	18	13	15	16	17	27	28	155
20	मणिपुर											0
21	मेघालय								1	1	1	3
22	मिजोरम											0
23	नागालैंड											0
24	ओडिशा		2		1		2	2	1	5	2	15
25	पुदुचेरी											0
26	पंजाब											0
27	राजस्थान	2	4	1	2	3	2	3	5	3	4	29
28	सिक्किम											0
29	सिल्वासा											0
30	तमिलनाडु			1		2		1	2	4	2	12
31	तेलंगाना									1	1	2
32	त्रिपुरा											0
33	संघ राज्यक्षेत्र लक्ष्यद्वीप											0
34	उत्तरप्रदेश	80	98	131	134	147	171	205	267	340	390	1963
35	उत्तराखंड											0
36	पश्चिमी बंगाल	19	11	15	23	20	34	35	37	50	57	301
कुल		**128**	**158**	**188**	**220**	**247**	**255**	**309**	**372**	**520**	**582**	**2979**

उपाबंध-3

उच्चतम न्यायालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान मामलों की लम्बितता

वर्ष	**उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या**
2020	65086
2021	70239
2022	69768

श्रोत- भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध-4

विभिन्न उच्च न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मामलों की लम्बितता

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	2020	2021	2022 (30.09.2022 तक)
1	इलाहाबाद	993031	1031587	1030538
2	आंध्र प्रदेश	205556	223783	240569
3	तेलंगाना	223064	240029	236549
4	बॉम्बे	325332	353143	371787
5	कलकत्ता	237363	234909	223636
6	छत्तीसगढ़	75836	81001	88089
7	दिल्ली	91279	101685	106110
8	गुजरात	143167	155006	159711
9	गुवाहाटी	40998	44356	46624
10	मेघालय	1064	1201	89689
11	मणिपुर	2849	3218	47323
12	त्रिपुरा	2343	1736	86291
13	हिमाचल प्रदेश	74158	82354	258493
14	जम्मू - कश्मीर	59162	48318	237641
15	झारखण्ड	88435	88364	420758
16	कर्नाटक	249733	246413	241448
17	केरला	212515	226494	3121
18	मध्य प्रदेश	383784	408527	908
19	मद्रास	269417	259980	170187
20	उड़ीसा	172900	196483	212203
21	पटना	179462	226071	444370
22	पंजाब और हरियाणा	378856	451985	590071
23	राजस्थान	518499	560062	164
24	सिक्किम	239	179	1695
25	उत्तराखंड	37923	40963	43309
	कुल	**4966965**	**5307847**	**5351284**

श्रोत – भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध-5

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2019	2020	2021	2022 (30.09.2022 तक)
1	उत्तर प्रदेश	7807863	8781104	9966606	10641073
2	आंध्र प्रदेश	567096	649157	785379	827790
3	तेलंगाना	580193	691646	790360	822658
4	महाराष्ट्र	3821487	4504573	4800895	4919254
5	गोवा	49049	58967	59414	56082
6	दमन और दीव और सिलवासा	5344	6281	6523	2857
7	सिलवासा				3784
8	पश्चिमी बंगाल	2048697	2170788	2384020	2481419
9	अंदमान और निकोबार	9795	9839	9321	9163
10	छत्तीसगढ़	285025	331849	381984	403266
11	दिल्ली	882366	1018642	1231373	1440149
12	गुजरात	1595813	1917992	1952262	1808627
13	असम	301427	360753	415024	478356
14	नागालैंड	3361	4206	4569	4605
15	मेघालय	13673	15830	16010	5843
16	मणिपुर	6516	6957	8183	16029
17	त्रिपुरा	27491	44654	43096	504912
18	मिजोरम	6589	6338	6304	258228
19	अरुणाचल प्रदेश	10658	12651	14318	499687
20	हिमाचल प्रदेश	293706	420891	464892	1878045
21	जम्मू & कश्मीर	172769	198771	216245	1992343
22	झारखण्ड	365642	427130	490905	539
23	कर्नाटक	1531008	1709220	1780802	1957175
24	केरल	1614277	2089289	2089147	7654
25	संघ राज्यक्षेत्र लक्ष्यद्वीप	397	453	470	15576
26	मध्य प्रदेश	1455435	1727293	1920613	1383865
27	तमिलनाडु	1137684	1263758	1331944	32216
28	पुदुचेरी	30094	33470	32998	1846520
29	ओडिशा	1433522	1592250	1789677	3434130
30	बिहार	2714344	3016743	3276696	952777
31	पंजाब	642327	843791	945609	1445775
32	हरियाणा	853375	1101330	1313881	88805
33	चंडीगढ़	62955	70633	72384	2248201
34	राजस्थान	1769823	1947688	2162774	1645
35	सिक्किम	1142	1455	1616	38986
36	उत्तराखंड	195281	249350	287204	318743
	कुल	**32296224**	**37285742**	**41053498**	**42826777**

श्रोत - भारत का उच्चतम न्यायालय

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *29
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

कॉलेजियम प्रणाली में सुधार

***29. प्रो. सौगत राय :**

श्री दीपक बैज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के दिनों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को वापस कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में व्यक्त किए गए विचार क्या हैं ;

(ख) उक्त न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली के कार्यकरण पर कोई चिंता / आपत्ति जताई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी समिति में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर राज्यों और उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या है और उक्त पहल को समर्थन देने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"कॉलेजियम प्रणाली में सुधार" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *29 जिसका उत्तर 03.02.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) से (ङ): हाल ही में 18 प्रस्तावों पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा पुनर्विचार की मांग की गई थी। इन प्रस्तावों की परीक्षा करते हुए एससीसी ने 06 मामलों को दोहराने का विनिश्चय किया, 07 मामलों में एससीसी ने उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम से अद्यतन इनपुट मांगे हैं और 05 मामलों को उच्च न्यायालयों को भेजने का विनिश्चय किया है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 तथा उच्चतम न्यायालय के 6 अक्टूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की उनकी सलाहकारी

राय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा रिक्ति होने के छह माह पूर्व किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव का आरंभ किया जाना अपेक्षित है ।

वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय में 09 और उच्च न्यायालयों में 120 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और वर्ष 2022 में उच्चतम न्यायालय में 03 और उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गयी है । 01.02.2023 तक 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से, उच्चतम न्यायालय में 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं और हाल ही में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से 07 रिक्तियों की सिफारिशें ग्रहण की गई हैं । उच्च न्यायालयों में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं तथा 333 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों में से उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 142 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं और उच्च न्यायालयों में 191 रिक्तियों की सिफारिशें उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त की जानी हैं।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है । राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, पदत्याग और न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण हो रही हैं और न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि भी एक कारण हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र के साथ बदलने और प्रणाली में अधिक वस्तुनिष्ठता से लाने के लिए, तारीख 13.04.2015 से सरकार संविधान का (निन्यानवां संशोधन) अधिनियम, 2014 को और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 प्रभाव में लाई थी । हालाँकि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के निर्णय द्वारा दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया है । संविधान (निन्यानवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पूर्व यथा विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रवर्तनशील घोषित किया गया था ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में रिट याचिका (सी) 2015 का 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुपूरक पर 16-12-2015 को विस्तृत आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से इसे अनुपूरक करके प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दें । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर विनिश्चय लेंगे । आदेश में कहा गया है कि वे निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे जैसे कि पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, सचिवालय, शिकायत तंत्र और प्रकीर्ण मामले जिन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें नियुक्ति की गोपनीयता, बिना त्याग के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश करने वालों के साथ बातचीत सम्मिलित है ।

उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने सम्यक परिश्रम के पश्चात 22.3.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति को पुनरीक्षित एमओपी भेजा, पुनरीक्षित प्रारूप एमओपी पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की प्रतिक्रिया 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुई ।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के विचारों के प्रतिउत्तर में सरकार के दृष्टिकोण को 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को अवगत कराया गया था । प्रारूप एमओपी पर सरकार के विचारों पर एससीसी की टिप्पणियां 13.03.2017 को प्राप्त हुई।

तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध स्वत: अवमानना कार्यवाही में तारीख 04.07.2017 के निर्णय में उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप मे उन्नयन के लिए उनके नाम की सिफारिश के समय अवमाननाकर्ता के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को सामने लाया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । सुसंगत बिंदुओं पर सरकार के दृष्टिकोण को तारीख 11.07.2017 के पत्र द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था ।

उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आपराधिक अपील संख्या 2018 की 470 में तारीख 28.03.2018 के अपने निर्णय के द्वारा प्रणाली में कमियों को उजागर किया और संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ।

अन्य मामले में, मैसर्स/पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या: 2019 की 2419] से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले के संबंध में, उच्चतम न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ के तारीख 20.04.2021 के आदेश द्वारा सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की प्रक्रिया में लगने वाले समय के संबंध में अतिरिक्त समय-सीमा निर्धारित की है। यद्यपि, ये समय-सीमा अभी प्रक्रिया ज्ञापन का हिस्सा नहीं हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर अन्य मामला रिट याचिका संख्या (सिविल) 2019 का 1236 की सुनवाई करते हुए, तारीख 20.04.2021 के अपने निर्णय द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए नए मानक अभिकथित किए हैं । विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, सरकार ने विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुपूरक पैरा 24 के लिए तारीख 18.08.2021 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपबंध करते हैं । यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

एनजीएसी मामले में 2015 की रिट याचिका (सि.) सं. 13 में तारीख 16 दिसंबर, 2015 के उच्चतम न्यायालय के आदेश में नियत मानदंड पर एमओपी के अनुपूरण में प्रस्ताव भेजते हुए सरकार ने सुझाव दिए हैं, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के स्तर पर स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की क्रमश: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कोलेजियम की सहायता करने के लिए आवश्यकता सम्मिलित है । यह प्रस्ताव किया गया था कि समितियां भावी अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सुसंगत सामग्री की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन कर सकेंगी और एक सुकरकर्ता के रूप में कार्य करेंगी । सिफारिश करने के विनिश्चय का उपयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंधित कॉलेजियमों द्वारा किया जाएगा । यद्यपि, उच्चतम न्यायालय ऐसी समितियों को स्थापित करने पर सहमत नहीं हुआ था ।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, को तारीख 06.01.2023 के अपने हाल ही की संसूचना में सरकार ने विभिन्न न्यायिक उदघोषणा को मद्देनजर रखते हुए एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया और अन्य बातों के साथ, सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में खोजबीन-सह-मूल्यांकन समिति भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों से मिलकर बननी चाहिए । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्रियों) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बननी चाहिए । विद्यमान, एमओपी परिकल्पना करता है कि यदि मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने की वांछा करता है तो उस पर विचार करने के लिए उसे अग्रेषित करना चाहिए । यद्यपि, इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए नामों को कॉलेजियम से बाहर के ज्येष्ठ न्यायाधीशों से लिए गए नामों के साथ और प्रस्तावित सचिवालय द्वारा रखे गए डाटाबेस (न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता) को खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । उच्च न्यायालय का कॉलेजियम उक्त समिति द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल पर चर्चा कर सकता है और अत्यधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के लिए सिफारिश कर सकता है । उपयुक्त स्तर पर कॉलेजियम पूर्व वर्णित स्रोतों से पात्र अभ्यर्थियों का पैनल बनाने के लिए पूर्वोक्त आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकता है तथा अपेक्षित कारण दर्शाते हुए कार्यवाही कर सकता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव को सुसंगत दस्तावेजों के साथ सरकार को भेज सकता है । उक्त समितियों को पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा, जिसमें से संबंधित कॉलेजियम अपनी सिफारिश करेगा ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *40
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया

***40. श्री के. मुरलीधरन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप देने हेतु कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

"न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रकिया" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 40, जिसका उत्तर तारीख 03.02.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ग) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में 2015 की डब्ल्यूपी(सी) 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के पूरक पर 16-12-2015 को विस्तृत आदेश जारी किया था और यह अधिकथित किया था कि भारत सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से प्रक्रिया ज्ञापन को पूरक करके अंतिम रूप दे सकती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेंगे। आदेश में कहा गया है कि वे निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे जैसे कि पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, सचिवालय, शिकायत तंत्र और विविध मामले जिन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें नियुक्ति की गोपनीयता को भंग किए बिना उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश करने वालों के साथ बातचीत सम्मिलित है ।

उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने सम्यक विचार विमर्श के पश्चात् 22.3.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को एमओपी भेजा था, संशोधित प्रारूप एमओपी पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की प्रतिक्रिया 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुई थी । एससीसी के विचारों के जवाब में सरकार के दृष्टिकोण से 03.08.2016 को सीजेआई को अवगत कराया गया था। एमओपी के प्रारूप पर सरकार के विचारों पर एससीसी की टिप्पणियां 13.03.2017 को प्राप्त हुई ।

इसके पश्चात, उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही में तारीख 4.7.2017 के निर्णय में उन्नयन के लिए उनके नाम की सिफारिश करते समय अवमाननाकर्ता के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक समुचित प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को सामने लाया था । जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था । सुसंगत बिंदुओं पर सरकार के दृष्टिकोण को तारीख 11.07.2017 के पत्र द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था । हालांकि, अभी उच्चतम न्यायालय के जवाब का इंतजार है ।

उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने **2018** की दांडिक अपील संख्या **470** में अपने निर्णय तारीख **28.03.2018** के द्वारा प्रणाली में कमियों को उजागर किया था और संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था ।

एक अन्य मामले में, मैसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [**2019** की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या: **2419]** से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे के संबंध में, उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने तारीख **20.04.2021** के अधीन, सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को संसाधित करने में लगने वाले समय के संबंध में अतिरिक्त समयसीमा अधिकथित की थी । हालाँकि, ये समय-सीमाएँ अभी एमओपी का भाग नहीं हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर एक अन्य मामले 2019 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1236 की सुनवाई करते हुए, अपने तारीख 20.04.2021 के निर्णय द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए नए मानदंड अधिकथित किए हैं, विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, सरकार ने विद्यमान एमओपी के पैरा 24 के पूरक के लिए 18.08.2021 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध करता है। मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और सुझावों के मद्देनजर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को तारीख **06.01.2023** की अपनी हालिया संसूचना में एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अभी उच्चतम न्यायालय से जवाब मिलना बाकी है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1406
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

1406. श्री पी. रविन्द्रनाथ :
श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 114वें विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्थायी 'ग्राम न्यायालयों' की स्थापना की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना और नए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य बनाने का कोई विचार है ताकि देश के ग्रामीण और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले सर्वाधिक वंचित नागरिकों की न्यायिक व्यवस्था तक त्वरित और सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली 'एकबारगी प्रोत्साहन योजना' में संशोधन करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) आगामी तीन वर्षों में स्थापित किए जाने वाले ग्राम न्यायालयों को संसाधनों के आवंटन सहित अनंतिम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इन न्यायालयों में निचली अदालतों में लंबित मामलों पर विचार किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : केंद्रीय सरकार ने नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के संदर्भ में, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं । हालाँकि, अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाता है। आज की तारीख में ग्राम न्यायालयों की राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	ग्राम न्यायालय	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
1.	पंजाब	9	2	25.20
2.	केरल	30	30	828.00
3.	महाराष्ट्र	36	23	660.80
4.	राजस्थान	45	45	1240.98
5.	आंध्र प्रदेश	42	0	436.82
6.	ओडिशा	23	19	524.40
7.	झारखंड	6	1	75.60

8.	कर्नाटक	2	2	25.20
9.	गोवा	2	0	25.20
10.	तेलंगाना	55	0	693.00
11.	लद्दाख	2	0	0.00
12.	जम्मू - कश्मीर	20	0	0.00
13.	मध्य प्रदेश	89	89	2456.40
14.	हरियाणा	2	2	25.20
15.	उत्तर प्रदेश	113	51	1323.20
कुल		**476**	**264**	**8340.00**

(ख) और (ग) : जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) : स्कीम के अनुसार, केंद्रीय सरकार, ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए गैर-आवर्ती व्ययों के लिए राज्यों को प्रति ग्राम न्यायालय 18.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, एकबारगी सहायता प्रदान करती है । केंद्रीय सरकार, इन ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील बनाने के लिए आवर्ती व्ययों के लिए पहले तीन वर्षों के लिए प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए सहायता प्रदान करती है । तथापि, वर्ष 2021 में जारी किए गए पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो ग्राम न्यायालय निधि तभी जारी की जाएगी, जब न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के साथ-साथ उन्हें अधिसूचित और चालू किया जाएगा और न्याय विभाग के ग्राम न्यायालयों के पोर्टल पर रिपोर्ट की जाएगी।

(ङ) और (च) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 प्रत्येक पंचायत के लिए मध्यवर्ती स्तर पर या किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर संलग्न पंचायतों के समूह या जहां संलग्न पंचायतों के समूह के लिए किसी भी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। ग्राम न्यायालयों को अधिनियम की अनुसूची में सिविल और दांड़िक अधिकारिता के साथ यथाउपबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय समझा जाएगा। अधिनियम की धारा 9 के संदर्भ में, न्यायाधिकारी समय-समय पर अपनी अधिकारिता में आने वाले गांवों का दौरा करेगा और किसी भी स्थान पर परीक्षण या कार्यवाही करेगा, जिसे वह उस स्थान के निकट मानता है जहां पक्षकार आमतौर पर निवास करते हैं या जहां संपूर्ण या भागतः वाद हेतुक उत्पन्न हुआ था, परन्तु जहां ग्राम न्यायालय अपने मुख्यालय के बाहर सचल न्यायालय आयोजित करने का निर्णय करता है, वहां वह उस तारीख और स्थान का व्यापक प्रचार करेगा जहां वह सचल न्यायालय आयोजित करने का प्रस्ताव करता है। ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता में आने वाले जिला/सत्र न्यायालयों या उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सिविल और दांडिक मामलों को ग्राम न्यायालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को और अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1450
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मामलों का निपटारा

1450 श्री कमलेश पासवान :
श्री रवि किशन :
श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री रविन्द्र कुशवाहा :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री एस.वेंकटेशन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) अंग्रेजी के साथ या उसके बिना हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करके मामलों के निपटान के लिए विभिन्न राज्यों से किस सीमा तक सहयोग मांगा जा रहा है;
(ग) क्या सरकार ने न्यायिक प्रणाली में न्यायालयों के उपयोग के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का एक सामान्य विधिक शब्दकोश तैयार किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उनकी शीघ्र सुनवाई के लिए देश में और अधिक वर्चुअल न्यायालय तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1)(क) यह कथन करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । संविधान के अनुच्छेद 348 का खंड (2) यह कथन करता है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

मंत्रिमंडल समिति के निर्णय, तारीख 21.05.1965 ने यह अनुबंधित किया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर प्राप्त की जाए ।

संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग 1950 में प्राधिकृत किया गया । मंत्रिमंडल समिति के ऊपर यथावर्णित निर्णय, तारीख

21.05.1965 के पश्चात्, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया ।

भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक की सरकारों से क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में तमिल, गुजराती, हिन्दी, बंगाली और कन्नड के प्रयोग को अनुज्ञात करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह की वांछा की गई और यह सूचित किया गया कि उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रस्तावों को स्वीकार न करने का विनिश्चय किया ।

तमिलनाडु सरकार से एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को इस संबंध में पूर्ववर्ती निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का तथा भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति प्रेषित करने का अनुरोध किया । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने, गहन विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव को सहमति न देने का विनिश्चय किया तथा माननीय न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों को दोहराया ।

विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वाधान में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में "भारतीय भाषा समिति" का गठन किया है । समिति, विधिक सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के प्रयोजन से सभी भारतीय भाषाओं से निकटता वाली एक सामान्य सार शब्दावली विकसित कर रही है ।

(ङ) : वर्चुअल न्यायालय, न्यायालय में पक्षकार या अधिवक्ता की उपस्थिति को हटाने तथा वर्चुअल प्लेटफार्म पर मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए लक्षित, एक संकल्पना है । इस संकल्पना का सृजन न्यायालय के संसाधनों के प्रभावी उपयोजन तथा यातायात चालानों के निपटारे के लिए पक्षकारों को एक प्रभावी रास्ता प्रदान करने के लिए किया गया है । वर्चुअल न्यायालय, न्यायाधीश द्वारा वर्चुअल इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर प्रशासित किया जा सकता है, जिसकी अधिकारिता संपूर्ण राज्य तक हो सकेगी तथा वह 24 x 7 कार्यरत रहेगा । तारीख 01.12.2022 तक, 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान, में 21 ऐसे न्यायालय हैं । तारीख 02.01.2023 तक, 21 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 2.40 करोड़ से अधिक (2,40,28,319) मामले व्यवहारित किए गए हैं और 32 लाख से अधिक (32,62,303) मामलों में 347 करोड़ (347.86) रुपए से अधिक ऑन-लाइन जुर्माना वसूल किया गया है ।

तथापि, वर्चुअल न्यायालय की स्थापना एक प्रशासनिक मामला है, जो केवल न्यायपालिका और संबद्ध राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र के अधीन आता है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1455
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति

1455. श्रीमती माला राय :
डॉ.जी.रणजीत रेड्डी :
श्रीमती कविता मलोथू :
डॉ कलानिधि वीरास्वामी :
डॉ वेंकटेश नेता बोरलकुंता :
प्रो.सौगत राय :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री बी.मणिक्कम टेगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए एक खोज सह मूल्यांकन समिति गठित करने और इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक सरकारी नामिती को शामिल करने का है ;
(ख) यदि हां, तो समिति के गठन के लिए प्रस्तावित तंत्र क्या है और यदि नहीं, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा किस तंत्र का पालन किया जा रहा है ;
(ग) क्या ऐसे कदमों से उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की स्वायत्तता का अतिक्रमण होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या सरकार के उक्त कदमों की पूरे देश में आलोचना हुई है ;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और
(च) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र के साथ बदलने और प्रणाली में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए, तारीख 13.04.2015 से सरकार संविधान का (निन्यानवां संशोधन) अधिनियम, 2014 को और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 प्रभाव में लाई है । हालाँकि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के निर्णय द्वारा दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया है । संविधान (निन्यानवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पूर्व यथा विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रवर्तनशील घोषित किया गया था ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में रिट याचिका (सी) 2015 का 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के संपूरक पर 16-12-2015 को विस्तृत आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से इसे पूरक करके प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दें । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर विनिश्चय लेंगे

। आदेश में कहा गया है कि वे निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे जैसे कि पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, सचिवालय, शिकायत तंत्र और प्रकीर्ण मामले जिन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें नियुक्ति की गोपनीयता, बिना त्याग के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश करने वालों के साथ बातचीत सम्मिलित है ।

उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने उचित परिश्रम के पश्चात 22.3.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति को पुनरीक्षित एमओपी भेजा, पुनरीक्षित प्रारूप एमओपी पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की प्रतिक्रिया 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुई । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के विचारों के प्रतिउत्तर में सरकार के दृष्टिकोण को 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को अवगत कराया गया था । प्रारूप एमओपी पर सरकार के विचारों पर एससीसी की टिप्पणियां 13.03.2017 को प्राप्त हुई।

तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध स्वत: अवमानना कार्यवाही में तारीख 04.07.2017 के निर्णय में उन्नयन में उनके नाम की सिफारिश के समय अवमाननाकर्ता के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को सामने लाया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । सुसंगत बिंदुओं पर सरकार के दृष्टिकोण को तारीख 11.07.2017 के पत्र द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था ।

उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आपराधिक अपील संख्या 2018 की 470 में तारीख 28.03.2018 के अपने निर्णय के द्वारा प्रणाली में कमियों को उजागर किया और संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ।

अन्य मामले में, मैसर्स/पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या: 2419 की 2019] से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले के संबंध में, उच्चतम न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ के तारीख 20.04.2021 के आदेश द्वारा सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की प्रक्रिया में लगने वाले समय के संबंध में अतिरिक्त समय-सीमा निर्धारित की है। यद्यपि, ये समय-सीमा अभी प्रक्रिया ज्ञापन का हिस्सा नहीं हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर अन्य मामला संख्या रिट याचिका (सिविल) 2019 का 1236 की सुनवाई करते हुए, तारीख 20.04.2021 के अपने निर्णय द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए नए मानक अभिकथित किए हैं । विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, सरकार ने विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के संपूरक पैरा 24 के लिए तारीख 18.08.2021 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपबंध करते हैं । यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

एनजीएसी मामले में 2015 की रिट याचिका (सि.) सं. 13 में तारीख 16 दिसंबर, 2015 के उच्चतम न्यायालय के आदेश में नियत मानदंड पर एमओपी के अनुपूरण में प्रस्ताव भेजते हुए सरकार ने सुझाव दिए हैं, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के स्तर पर स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की क्रमश: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कोलेजियम की सहायता करने के लिए आवश्यकता सम्मिलित है । यह प्रस्ताव किया गया था कि समितियां भावी अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सुसंगत सामग्री की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन कर सकेंगी और एक सुकरकर्ता के रूप में कार्य करेंगी । सिफारिश करने के विनिश्चय का उपयोग

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंधित कॉलेजियमों द्वारा किया जाएगा । यद्यपि, उच्चतम न्यायालय ऐसी समितियों को स्थापित करने पर सहमत नहीं हुआ था ।

तारीख 06.01.2023 के अपने हाल ही की संसूचना में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, सरकार ने विभिन्न न्यायिक उदघोषणा को मद्देनजर रखते हुए एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पद बल दिया और अन्य बातों के साथ, सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में खोजबीन-सह-मूल्यांकन समिति भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों से मिलकर बननी चाहिए । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति भारत सरकार और मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्रियों) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बननी चाहिए । विद्यमान, एमओपी परिकल्पना करता है कि यदि मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने की वांछा करता है तो उस पर विचार करने के लिए उसे अग्रेषित करना चाहिए । यद्यपि, इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए नामों को कॉलेजियम से बाहर के ज्येष्ठ न्यायाधीशों से लिए गए नामों के साथ और प्रस्तावित सचिवालय द्वारा रखे गए डाटाबेस (न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता) खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । उच्च न्यायालय का कॉलेजियम उक्त समिति द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल पर चर्चा कर सकता है और अत्यधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के लिए सिफारिश कर सकता है । उपयुक्त स्तर पर कॉलेजियम पूर्व वर्णित स्रोतों से पात्र अभ्यर्थियों का पैनल बनाने के लिए पूर्वोक्त आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकता है तथा अपेक्षित कारण दर्शाते हुए कार्यवाही कर सकता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव को सुसंगत दस्तावेजों के साथ सरकार को भेज सकता है । उक्त समितियों को पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा, जिसमें से संबंधित कॉलेजियम अपनी सिफारिश करेगा । उच्चतम न्यायालय से प्रतिउत्तर प्राप्त किया जाना है ।

सरकार संविधान, उसके मूल्यों और महत्वपूर्ण रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो भारत के संविधान की एक अभिन्न विशेषता है। एमओपी को अन्तिम रूप देने का उद्देश्य संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, उचित प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनाना है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1460
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

जनजातीय वर्ग के कैदियों को वकील की सेवाएं लेने के लिए वित्तीय सहायता

1460. श्री विजय कुमार हांसदाक:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय संकट के कारण जनजातीय वर्ग के कैदी अपने मुकदमे के लिए कोई वकील नहीं रख पाते हैं और हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद भी वे जेल की हिरासत में रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो झारखंड तथा अन्य जनजाति बहुल क्षेत्रों में इस प्रकार के कैदियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केंद्र सरकार के पास ऐसे कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने या वकील की सेवाएं लेने के लिए सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) क्या सरकार की हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद ऐसे जनजातीय कैदियों को रिहा करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन अभिरक्षाधीन व्यक्तियों सहित जनजाति के व्यक्ति, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर एक सुरक्षात्मक घर में अभिरक्षा सहित खंड 12(क) द्वारा अर्थात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य और खंड 12 (छ) द्वारा अर्थात अभिरक्षाधीन व्यक्ति या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थ के भीतर किशोर घर में या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर एक मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में अभिरक्षाधीन व्यक्ति सहित जनजातीय लोग उनकी आय पर ध्यान दिए बिना मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ख) : कैदियों जिसके अंतर्गत जनजाति के व्यक्ति भी है, जिन्हे चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (नवंबर, 22 तक) के दौरान 'अभिरक्षा' की श्रेणी के अधीन पैनल अधिवक्ता प्रदान किए गए थे, के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला, झारखंड और अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित राज्य-वार विवरण **उपाबंध-क** पर है।

(ग) : उपरोक्त के अतिरिक्त, नाल्सा ने भारत में जनजातीय आबादी को न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नाल्सा (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015 नामक एक योजना तैयार की है। इसके अलावा, नाल्सा ने सभी स्तरों पर विधिक सहायता और समर्थन को मजबूत करके

अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए गरीबी उन्मूलन स्कीम और सरकार के कार्यक्रमों के अधीन बुनियादी अधिकारों और लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नाल्सा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन) स्कीम, 2015 नाम से एक और योजना तैयार की है।

(घ) और (ङ) : नाल्सा ने विचाराधीन समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) के सुचारू कामकाज के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी यूटीपी सहित 14 श्रेणियों के अधीन विचाराधीन कैदियों (यूटीपी) को अविलंब लाभ मिले। यूटीआरसी के अधीन पहचानी गई श्रेणी में से एक यूटीपीएस (आदिवासी यूटीपीएस सहित) धारा 436क सीआरपीसी के अधीन आती है, जिसमें यूटीआरसी संबंधित ट्रायल कोर्ट को मामले पर विचार करने और ज़मानत से इनकार करने के लिए कोई विशेष कारण न होने पर उसे प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर रिहा करने की सिफारिश करता है।

****

उपांबध-क

श्री विजय कुमार हांसदाक, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए "जनजाति वर्ग के कैदियों को वकील की सेवाएं लेने के लिए वित्तीय सहायता" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1460, जिसका उत्तर तारीख 10.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

अप्रैल, 2022 से नवंबर, 2022 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन अभिरक्षा में श्रेणी के अधीन पैनल अधिवक्ता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	साल्सा	अभिरक्षाधीन
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	13
2	आंध्र प्रदेश	1294
3	अरुणाचल प्रदेश	662
4	असम	3580
5	बिहार	3768
6	चंडीगढ़	399
7	छत्तीसगढ	2020
8	दादरा और नागर हवेली	2
9	दमण और दीव	4
10	दिल्ली	20139
11	गोवा	184
12	गुजरात	2555
13	हरियाणा	5309
14	हिमाचल प्रदेश	285
15	जम्मू-कश्मीर	281
16	झारखंड	**2418**
17	कर्नाटक	943
18	केरल	2730
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	4329
21	महाराष्ट्र	4305
22	मणिपुर	804
23	मेघालय	631
24	मिजोरम	968
25	नागालैंड	75
26	ओडिशा	490
27	पुडुचेरी	94
28	पंजाब	6498
29	राजस्थान	2051
30	सिक्किम	276
31	तमिलनाडु	3713
32	तेलंगाना	715
33	त्रिपुरा	263
34	उत्तर प्रदेश	505
35	उत्तराखंड	1283
36	पश्चिमी बंगाल	7916
37	लद्दाख	1
	कुल	**81503**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1467
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों के निपटान की समय-सीमा

1467. श्री चन्देश्वर प्रसाद :
श्रीमती रंजनबेन भट्ट :
श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में बच्चों और महिलाओं के प्रति यौन अपराधों/उत्पीड़न के अनेक मामले लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बलात्कार, यौन अपराधों और उत्पीड़न आदि जैसे मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार न्यायालयों के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शीघ्र अथवा निश्चित समयावधि में निपटाए जाने वाले मामलों को वर्गीकृत करने के लिए कोई कदम उठाने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर, 2022 तक देश की विभिन्न न्यायालयों में पोक्सो (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण) अधिनियम के अधीन बलात्कार और अपराधों से संबंधित 3,56,491 मामले लंबित थे। देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों का ब्यौरा अनुबंध-1 पर दिया गया है ।

(ख) से (च) : महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से संबंधित मामलों का त्वरित/शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1क) और धारा 309 द्वारा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से अन्वेषण और विचारण के लिए प्रत्येक के लिए 2 मास की समय सीमा विहित की गई है। यद्यपि अन्वेषण और विचारण राज्य सरकारों और न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र में आता है, लेकिन न्याय विभाग द्वारा राज्यों और उच्च न्यायालयों के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकों के माध्यम से और अंतरराज्यिक परिषद सचिवालय की बैठकों के माध्यम से भी इन उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दांडिक विधि संशोधन अधिनियम, 2018 और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के स्वप्रेरणा

1/2019 तारीख 25.7.2019 के निदेशोंं के अनुसरण में, भारत संघ ने अक्टूबर, 2019 में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बलात्कार और पोस्को अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना के लिए आरंभ की थी । प्रारंभ में यह स्कीम 1 वर्ष के लिए थी, जिसे तारीख 31.03.2023 तक जारी रखा गया है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.12.2022 तक 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 418 अनन्य पोस्को न्यायालयों सहित 768 एफटीएससीएस संचालित हैं, जिन्होंने 1,37,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। एफटीएससी के लिए, केंद्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2020-21 में, 160.00 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021-22 में 134.56 करोड़ रुपये की राशि और तारीख 31/1/2023 तक चालू वित्त वर्ष के दौरान 186.93 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की है। कार्यरत एफटीएससी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है। एफटीएससी की स्कीम के अनुसार, ऐसे प्रत्येक न्यायालय से एक वर्ष में 165 मामलों का निपटान करने की अपेक्षा की जाती है, जिसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सूचित किया गया है।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1467 जिसका उत्तर तारीख 10/2/2023 को दिया जाना है के लिए उपाबंध
देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित यौन अपराधों और पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के ब्यौरे (31 दिसंबर, 2022 तक)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	दिसंबर 2022 तक लंबित मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9081
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	0
3	अरुणाचल प्रदेश	490
4	असम	10939
5	बिहार	22592
6	चंडीगढ़	233
7	छत्तीसगढ	7637
8	दादरा और नगर हवेली	58
9	दिल्ली	11570
10	दीव और दमन	59
11	गोवा	177
12	गुजरात	12043
13	हरियाणा	6807
14	हिमाचल प्रदेश	1729
15	जम्मू - कश्मीर	2171
16	झारखंड	6797
17	कर्नाटक	8008
18	केरल	13806
19	लद्दाख	3
20	लक्षद्वीप	44
21	मध्य प्रदेश	17115
22	महाराष्ट्र	44741
23	मणिपुर	130
24	मेघालय	2305
25	मिजोरम	354
26	नागालैंड	0
27	ओडिशा	18791
28	पुडुचेरी	353
29	पंजाब	2982
30	राजस्थान	18383
31	सिक्किम	15
32	तमिलनाडु	22153
33	तेलंगाना	12587
34	त्रिपुरा	757
35	उत्तर प्रदेश	62010
36	उत्तराखंड	2625
37	पश्चिमी बंगाल	36946
	कुल	**356491**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1467 जिसका उत्तर तारीख 10/2/2023 को दिया जाना है के लिए उपाबंध

कार्यरत एफटीएससी की प्रास्थिति (31/12/2022 तक)

क्र. सं. **(1)**	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** **(2)**	**एफटीएससी सहित ईपोक्सो** **(3)**	**अनन्य पॉक्सो न्यायालयों (स्थमभ 3 में से)** **(4)**
1	छत्तीसगढ	15	11
2	गुजरात	35	24
3	मिजोरम	3	1
4	नागालैंड	1	0
5	झारखंड	22	16
6	मध्य प्रदेश	67	57
7	मणिपुर	2	0
8	हरियाणा	16	12
9	चंडीगढ़	1	0
10	राजस्थान	45	30
11	तमिलनाडु	14	14
12	त्रिपुरा	3	1
13	उत्तर प्रदेश	218	74
14	उत्तराखंड	4	0
15	दिल्ली	16	11
16	मेघालय	5	5
17	जम्मू - कश्मीर	4	2
18	पंजाब	12	3
19	हिमाचल प्रदेश	6	3
20	तेलंगाना	34	0
21	आंध्र प्रदेश	14	14
22	बिहार	48	48
23	असम	17	17
24	महाराष्ट्र	39	20
25	कर्नाटक	30	17
26	केरल	52	14
27	ओडिशा	44	23
28	गोवा	1	1
	कुल	**768**	**418**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1475
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से न्याय

1475. श्री मोहनभाई कुंडारिया :
श्री अनिल फिरोजिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) आम आदमी को समय पर न्याय प्राप्त करने में डिजिटल प्रणाली/तकनीक के माध्यम से होने वाले लाभों/लाभों की संभावना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मध्य प्रदेश सहित देश के किन-किन न्यायालयों में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति का प्रस्ताव है और उनके क्या-क्या कार्य होंगे ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : ई-न्यायालय परियोजना को संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय की संयुक्त साझेदारी के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए परियोजना 2007 से कार्यान्वित है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रणाली/तकनीक का प्रयोग करते हुए न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता द्वारा देश की न्यायिक प्रणाली को बदलने और न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से बढ़ाने, न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय, पारदर्शी बनाने और आम आदमी को समय पर न्याय प्रदान करने का है।

चरण- I (2011-2015) का कार्यान्वयन 639.41 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ प्रारंभ हुआ था । पहले चरण में डिजिटाइजेशन के नट और बोल्ट - हार्डवेयर की स्थापना, इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, मामले के अभिलेख को डिजिटाइज़ करना और ई-न्यायालयर प्लेटफॉर्म का संचालन करना, पर ध्यान केंद्रित किया गया था ।

नागरिकों को न्यायिक सेवाओं की आईसीटी सुविधा पर केंद्रित परियोजना का दूसरा चरण 2015 में 1670 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू हुआ था । इस चरण तक कुल 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। चरण II में वादियों और वकीलों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें एंड-टू-एंड डिजिटाइजेशन प्रणाली (जैसे मामला सूचना प्रणाली), पोर्टल जो लोगों को लंबित मामलों (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड) के बारे में जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है और डिजिटल फाइलिंग और भुगतान (ई-फाइलिंग और ई-

भुगतान) के लिए प्रणाली, जिसने न्यायपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक जनता के पहुंचने के तरीके में क्रांति ला दी है, का विकास शामिल है ।

ई-न्यायालय परियोजना में सरकार ने सभी के लिए न्याय सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहले की हैं:-

i. वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (डब्ल्यूएएन) के अधीन पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाए गए आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादी 22.09 करोड़ से अधिक मामलों और 20.43 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (02.02.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

iii. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर समयोचित सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप में इलैक्ट्रानिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किया गया है (31 दिसंबर, 2022 तक कुल 1.59 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप सृजित की गई है (31 दिसंबर, 2022 तक कुल 18,407 डाउनलोड) ।

iv. यातायात चालान मामलों के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 आभासी न्यायालय प्रचालित किए गए हैं । 21 आभासी न्यायालयों द्वारा 2.40 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और 32 लाख से अधिक (32,62,303) मामलों में 347.86 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना 02.01.2023 तक वसूला गया है ।

v. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से 24.12.2022 तक) 3,79,954 सुनवाईयां करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । उच्च न्यायालयों (77,01,697 मामले) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,82,20,040 मामले) ने 31.12.2022 तक 2.59 करोड़ आभासी सुनवाईयां की हैं ।

vi. अद्यतन विशेषताओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए नया ई-फाइलिंग प्रणाली (वर्जन 3.0) चालू किया गया है । प्रारुप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्रचालित किए गए हैं । 31.12.2022 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियम अंगीकृत किए हैं ।

vii. मामलों की ई-फाइलिंग हेतु फीस के इलैक्ट्रानिक संदाय के लिए विकल्प अपेक्षित होता है, जिसके अन्तर्गत न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियां भी हैं जो सीधे संचित निधि में संदेय होती हैं । कुल 20 उच्च न्यायालयों ने उनकी संबंधित अधिकारिताओं के भीतर ई-संदाय का कार्यान्वयन किया है । 31.12.2022 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

viii. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 689 ई-सेवा केंद्रों को वकील या वादी की सुविधा के आशय से प्रारंभ किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।

ix. प्रौद्योगिकी रूप से समर्थ तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ की गई है । इसे वर्तमान में, 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ।

x. एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरम्भ किया गया है जिसमें खंडपीठ, मामले के प्रकार, मामले की संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय, तारीख से तारीख तक और पूरे पाठ्य से सर्च करने की विशेषताएं हैं । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं ।

xi. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सृजित डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने तथा जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक के नाम से ज्ञात 39 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइनबोर्ड प्रणाली 25 उच्च न्यायालयों में लगाए गए हैं ।

xii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के प्रति वृहद रूप से जागरूकता के सृजन और उनसे परिचित कराने के लिए तथा "स्किल डिवाइड" की समस्या का समाधान करने के लिए ई-फाइलिंग पर निर्देशिका तथा "ई-फाइलिंग पर कैसे रजिस्टर करें" पर ब्रोशर अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है । ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए हैं । इन कार्यक्रमों ने 5,13,080 पणधारियों को कवर किया है जिनके अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारिवृंद, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षणकर्ता, उच्च न्यायालयों का तकनीकी कर्मचारिवृंद और अधिवक्ता हैं ।

(ख) : वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के 11 पद हैं। साथ ही, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के 12 पद हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय सहित शेष उच्च न्यायालयों के लिए अपर महासालिसिटर के 13 अतिरिक्त पदों के सृजन पर सरकार विचार कर रही है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1494
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

भारतीय न्यायिक प्रणाली की समीक्षा

1494. श्री जगदम्बिका पाल :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार के पास भारतीय न्यायिक प्रणाली को और अधिक स्वदेशी बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने की कोई नीति है ; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी नहीं, वर्तमान में भारतीय न्यायिक प्रणाली को और अधिक स्वदेशी बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है । तथापि, न्यायिक कार्यवाहियों तथा निर्णयों को आम नागरिक के लिए स्थानीय/स्वदेशी भाषा के माध्यम से अधिक सरलता से बोधगम्य बनाने के लिए, कार्यवाहियों और निर्णयों का अंग्रेजी से अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के प्रयास किए गए हैं । राजस्थान (वर्ष 1950), उत्तर प्रदेश (वर्ष 1969), मध्य प्रदेश (वर्ष 1971) और बिहार (वर्ष 1972) के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था ।

जैसा कि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय कई विषय श्रेणियों में निर्णय पारित करता है, जिनमें से 14 विषय श्रेणियों में पारित निर्णयों का अनुवाद संबंधित उच्च न्यायालय के माध्यम से 14 स्थानीय भाषाओं, अर्थात् असमिया, बंगला, गारो, हिंदी, कन्नड, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में करवाया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त, एसयूवीएएस (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर), जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है, न्यायिक क्षेत्र के दस्तावेजों को अंग्रेजी से हिंदी, कन्नड, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, बंगला, उर्दू में और इसके विपरीत में अनुवाद करने की योग्यता रखता है ।

विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वाधान में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में "भारतीय भाषा समिति" का गठन किया है । समिति विधिक सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के प्रयोजन से सभी भारतीय भाषाओं के करीब एक सामान्य कोर शब्दावली विकसित कर रही है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1495
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

टेली लॉ के अंतर्गत अधिवक्ताओं और विधि के छात्रों की विशेषज्ञता का उपयोग

1495. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का टेली लॉ योजना के अंतर्गत जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिवक्ता और विधि के छात्रों की विशेषज्ञता का उपयोग करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का कानून के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षुता पूरी कर चुके विधि के विद्यार्थियों को शामिल करने का विचार है ताकि उनकी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग न्याय प्रदान करने की प्रणाली में तेजी लाने में किया जा सके ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कानून प्रशिक्षुओं की प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करने के लिए सरकार की वैकल्पिक योजना क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार अपने टेली-लॉ पहल के माध्यम से साधारण सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और नागरिक टेली-लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पैनल वकीलों के एक कैडर के माध्यम से नागरिकों को मुकदमा पूर्व सलाह और परामर्श प्रदान करती है। अब तक 914 पैनल वकीलो को टेली-लॉ के अधीन ऑन-बोर्ड किया गया है। टेली-लॉ का समाज के कमजोर वर्गों तक अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए पहुंचने के साथ ही, विशेष रूप से विधि के छात्रों और सामान्य रूप से छात्रों को नागरिकों के टेली-लॉ मोबाइल ऐप पर परा विधिक स्वयंसेवियो (पीएलवी) के रूप में स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

(ग) से (ङ) : जी, हां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) वर्ष की ग्रीष्म कालीन और शीत कालीन अवधि के दौरान विधि के छात्रों के लिए 3 सप्ताह का प्रशिक्षुता कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षुता कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विधि इंटर्न को क्षेत्रीय केंद्र बिंदु के साथ विधिक सेवा संस्थानों और विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्य करने का एक व्यापक विचार मिलता है। इस प्रशिक्षता के दौरान छात्र केंद्रीय जेल या उप जेल जाते हैं और कैदियों के साथ बातचीत करते हैं जिससे पता लगाया जा सके कि उनका प्रतिनिधित्व काउंसिल कर रहे हैं और कैदियों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, विधिक सेवा क्लीनिक के कार्य करने का संप्रेक्षण करते हैं, संप्रेक्षण गृह/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/औषध पुनर्वास

केंद्र/जिला न्यायालय जिसमें मजिस्ट्रियल, सत्र और सिविल न्यायालय और पुलिस स्टेशन सम्मिलित हैं और इन संस्थानों में विधिक सेवा वकीलों की भूमिका को देखें। छात्र विधिक साक्षरता/विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में भी उपस्थित होते हैं और उनमें भाग लेते हैं। प्रशिक्षुता के सफल समापन पर विधि इंटर्न को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1498
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की खंड पीठें

1498. श्री कुरुवा गोरांतला माधव :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत के विधि आयोग के उस 229 वें प्रतिवेदन को लागू करने का विचार है जिसमें उच्चतम न्यायालय को दिल्ली में संविधान पीठ और दिल्ली, चेन्नई/हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में चार क्षेत्रों में अपील पीठ में विभाजित करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सभी के लिए न्याय सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले अन्य प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति,राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे।

अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक न्यायपीठ की स्थापना की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद में,पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार अपील न्यायपीठों की स्थापना की जाए।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास भेजा गया, जिन्होंने सूचित किया कि इस मामले पर विचार करने के पश्चात, पूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को हुई अपनी बैठक में यह पाया कि दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका पी (सी) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय के द्वारा आधिकारिक घोषणा के लिए संवैधानिक न्यायपीठ के उपरोक्त उल्लिखित मुद्दे को संदर्भित करना उचित समझा। मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

न्याय को सुलभ और सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए, सरकार, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को लागू कर रही है, जिसके अधीन निम्नलिखित पहलों को कार्यान्वित किया गया है:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ संयोजकता प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी 22.09 करोड़ से अधिक मामलों और इन कम्प्यूटरीकृत (02.02.2023 तक) से संबंधित 20.43 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

iii. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक कुल 1.59 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक 18,407 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया है।

iv. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है। 21 वर्चुअल न्यायालयों में 1.32 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 32 लाख (3262303) से अधिक मामलों में 02.01.2023 तक 347.86 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है।

v. भारत का उच्चतम न्यायालय 3,79,954 सुनवाई (लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के बाद से 24.12.2022 तक) आयोजित करके एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा। उच्च न्यायालयों (7701697 मामलों) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,8220040 मामलों) ने 31.12.2022 तक 2.59 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है।

vi. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। मसौदा ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं। 31.12.2022 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है

vii. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि को देय हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है । 22 उच्च न्यायालयों में 31.12.2022 तक न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है।

viii. डिजिटल डिवाइड का सेतु बनाने के लिए, 689 ई-सेवा केंद्रों को वकील या वादी की सुविधा के इरादे से शुरू किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है।

ix. सम्मन देने और जारी करने की प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। यह वर्तमान में 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया गया है।

x. एक नया "निर्णय खोज"पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय दिन प्रति दिन,और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।

xi. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 25 उच्च न्यायालयों में 39 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है, स्थापित किए गए हैं।

xii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और परिचित बनाने के लिए और "कौशल विभाजन" को संबोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें" पर वकीलों के लिए एक ब्रोशर अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ई-न्यायालय सेवाओं के नाम पर ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 5,13,080 पणधारक सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता भी हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1499
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

त्वरित विशेष न्यायालय

1499. श्री मारगनी भरत :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एफटीएससी के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य- वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या सहित इन न्यायालयों की उपलब्धियां क्या हैं ;

(घ) प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में आन्ध्र प्रदेश में कितने एफटीएससीएस कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) राज्य में शेष एफटीएससी की स्थापना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यरत त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों (एफटीएससी) की संख्या और आवंटित निधियों के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर हैं ।

(ग) : राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा संचालित तृतीय पक्ष मूल्यांकन के अनुसार अनन्य पॉक्सो के 17.64 प्रतिशत मामले दोषी सिद्ध रिपोर्ट किए गए हैं । त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों ने दिसंबर, 2022 तक 1,37,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है । पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे **उपाबंध-2** पर है ।

(घ) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य में पहचान किए गए 18 त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों में से 31 दिसंबर, 2022 तक राज्य में 14 त्वरित विशेष निपटान न्यायालय कार्यरत हैं ।

(ङ) : योजना के कडे क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए न्याय विभाग द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें संचालित की गई हैं जिनमें शेष त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों की स्थापना शामिल हैं । अंतिम समीक्षा बैठक 13.01.2013 को आंध्र प्रदेश राज्य में संचालित की गई थी । इसके अतिरिक्त, विधि और न्यायमंत्री ने शेष त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों को परिचालित करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के मुख्यमंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखे हैं ।

****

उपाबंध- 1

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यरत विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या और आवंटित किए गए निधियों के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	31.12.2022 तक कार्यरत त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों की संख्या	जारी की गई रकम (वित्त वर्ष 2019-20)	जारी की गई रकम (वित्त वर्ष 2020-21)	जारी की गई रकम (वित्त वर्ष 2021-22)	जारी की गई रकम (31 दिसंबर, 2022 तक)
1	आंध्र प्रदेश	14	1.8	0	0	0
2	असम	17	2.85625	1.86875	3.375	6.7325
3	बिहार	48	2.025	15.26255	20.25	11.895
4	चंडीगढ़*	01	0.1875	0	0	0
5	छत्तीसगढ	15	3.375	3.375	4.259	3.93
6	दिल्ली	16	3.6	0	0	4.225
7	गोवा	01	0.225	0	0	0.26
8	गुजरात	35	7.875	7.875	0	9.26
9	हरियाणा	16	3.6	3.6	3.6	4.225
10	हिमाचल प्रदेश	06	1.0125	1.51875	0	2.375
11	जम्मू - कश्मीर	04	0.5625	0	2.635	1.58
12	झारखंड	22	4.95	4.95	0	5.825
13	कर्नाटक	30	6.975	0	6.635	7.395
14	केरल	52	8.4	0	0	7.4
15	मध्य प्रदेश	67	15.075	15.0750	26.175	17.72
16	महाराष्ट्र	39	31.05	0	0	0
17	मणिपुर	02	0.675	0.675	0.3375	0.785
18	मेघालय	05	1.6875	0	0	1.977
19	मिजोरम	03	1.0125	1.0125	2.02625	1.18
20	नगालैंड	01	0.3375	0.3375	0	0.38
21	ओडिशा	44	5.4	1.3	16.2	11.64
22	पुडुचेरी **	0	0	0	0.1125	0
23	पंजाब	12	2.7	0	0	3.1625
24	राजस्थान	45	5.85	14.4	19.745	11.895
25	तमिलनाडु	14	3.15	3.15	2.59	3.7
26	तेलंगाना	34	8.1	0	0	8.9875
27	त्रिपुरा	03	1.0125	1.0125	0	1.1725
28	उत्तर प्रदेश	218	13.80625	84.29375	24.525	57.68
29	उत्तराखंड	04	2.7	0	2.092	1.53
	एनपीसी (तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु)	-	-	0.293702	-	-
कुल		**768**	**140**	**160**	**134.557**	**186.93**

*संघ राज्यक्षेत्र विशेष त्वरित निपटान न्यायालय के अधीन निधि की कोई आवश्यकता नहीं होने के संकेत है

** संघ राज्यक्षेत्र 2022 की शुरूआत में ही योजना का भाग बन गया

उपाबंध-2

विशेष त्वरित निपटान न्यायालय की प्रास्थिति-पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020			2021			2022		
		त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों की संख्या (31.12.2020)	लंबित मामले (31.12.2020)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों की संख्या (31.12.2021)	लंबित मामले (31.12.2021)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	त्वरित विशेष निपटान न्यायालयों की संख्या (31.12.2022)	लंबित मामले (31.12.2022)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले
1	आंध्र प्रदेश	8	3980	127	10	5483	296	14	7328	1511
2	असम	7	1211	36	15	3023	818	17	3881	1861
3	बिहार	45	12132	492	45	14002	2127	45	15587	3610
4	चंडीगढ़	1	176	2	1	235	19	48	220	97
5	छत्तीसगढ	15	2721	162	15	2674	1694	15	2745	1393
6	दिल्ली	0	0	0	16	4410	195	16	4426	552
7	गुजरात	35	5236	888	35	5632	2485	35	6619	3535
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	01	51	26
9	हरियाणा	16	3334	130	16	4373	1373	16	4103	1875
10	हिमाचल	3	462	40	6	961	148	6	923	378
11	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	4	390	49	4	444	66
12	झारखंड	20	3401	463	22	5380	1330	22	4384	2303
13	कर्नाटक	14	2729	268	18	3962	1760	30	5532	3424
14	केरल	23	4629	257	28	7653	3478	52	7213	6356
15	मध्य प्रदेश	66	11196	3422	67	14139	7944	67	12435	7539
16	महाराष्ट्र	25	5624	1270	34	7445	4489	39	8539	5607
17	मणिपुर	0	0	0	2	171	19	2	130	60
18	मेघालय	0	0	0	5	946	71	5	995	156
19	मिजोरम	0	0	0	3	40	47	3	36	62
20	नगालैंड	0	0	0	1	96	39	1	53	9
21	ओडिशा	15	6119	240	36	10613	2563	44	11754	4244
22	पंजाब	3	440	537	12	2009	964	12	1842	1099
23	राजस्थान	45	7938	1421	45	7581	4775	45	6801	4015
24	तमिलनाडु	14	4230	506	14	4684	1703	14	5127	2664
25	तेलंगाना	19	2864	481	25	5031	2979	34	7544	3498
26	त्रिपुरा	3	285	17	3	323	94	3	318	92
27	उत्तर प्रदेश	218	79468	26318	218	72924	31562	218	78238	8561
28	उत्तराखंड	4	668	80	4	763	606	4	940	366
	कुल	**599**	**158843**	**37148**	**700**	**184943**	**73627**	**768**	**198208**	**64959**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1536
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्याय मित्र योजना

1536. श्री धर्मेन्द्र कश्यप :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) क्या गरीब समुदायों के विवादों के समाधान के लिए न्याय मित्र के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित न्याय मित्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या देश के विभिन्न जिला न्यायालयों में लगभग 100 न्याय मित्र कार्यरत हैं ; और

(च) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्याय मित्र योजना न्यायालयों में मामलों के लंबन को कम करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2017 में आंरभ की गई थी । इसका उद्देश्य 10 से 15 वर्ष पुराने मामले जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सिविल मामले जैसे वैवाहिक, दुर्घटना दावा मामले और आपराधिक मामले भी है, का निपटान न्यायमित्र योजना के माध्यम से सुकर बनाना है । न्यायमित्र (एनएम) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी है, जिसके पास उच्च न्यायालयों/जिला न्यायालयों में विधिक डिग्री/पृष्ठभूमि स्थित है । इन जिलों में एनएम को चिन्हित राज्यों के उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार से नामांकनों की मांग करके नियुक्त किया जाता है ।

(घ) से (च) : न्यायमित्र कार्यक्रम के आरंभ से, कुल 39 न्यायमित्रों को असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों के विभिन्न जिला न्यायालयों में नियुक्त किया गया था । तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड महामारी के कारण भौतिक न्यायालयों की सुनवाई बंद होने के कारण और सामाजिक दूरी बनाए रखना सहित अन्य कोविड के समुचित प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के कारण कोई न्यायमित्र नियुक्त नहीं किया जा सका । वर्ष 2021-2022 के लिए, 11 न्यायमित्र देश के 11 जिला न्यायालयों में नियुक्त किए गए । नियुक्त किए गए न्यायमित्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-क** पर है । उत्तर प्रदेश राज्य में, वर्ष 2017-18 के दौरान, तीन (3) न्यायमित्र, गोरखपुर, मेरठ और वाराणसी जिला न्यायालय में प्रत्येक में एक नियुक्त किए गए थे । इसके

अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान, एक (1) न्यायमित्र इलाहाबाद, जिला न्यायालय में नियुक्त किया गया था और वर्ष 2021-2022 में, दो (2) न्यायमित्र आगरा और इलाहाबाद जिला न्यायालय में प्रत्येक में एक अप्रैल, 2022 से नियुक्त किए गए थे ।

****

उपाबंध-क

न्यायमित्र योजना पर संसद सदस्य श्री धर्मेन्द्र कश्यप द्वारा उठाए गए अतारांकित प्रश्न सं. 1536 जिसका उत्तर 10.02.2023 को दिया जाना है, के भाग (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण-							
2017-2022 तक नियुक्त किए गए न्यायमित्र की संख्या अंतर्विष्ट करने वाला राज्य-वार विवरण							
क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2017-2018	वर्ष 2018-2019	वर्ष 2019-2020	वर्ष 2020-2021	वर्ष 2021-2022	कुल
1.	असम	-	-	-	*शून्य	02	02
2.	बिहार	01	-	-		--	01
3.	महाराष्ट्र	--	-	03		01	04
4.	ओडिशा			02		02	04
5.	राजस्थान	04	03	02		02	11
6.	त्रिपुरा	01	-	-		-	01
7.	**उत्तर प्रदेश**	**05**	**-**	**01**		**02**	**08**
8.	पश्चिमी बंगाल	04	01	01		02	08
	कुल	**15**	**04**	**09**		**11**	**39**

*वर्ष 2020-2021 के दौरान कोविड महामारी द्वारा न्यायालयों के बंद होने और सामाजिक दूरी बनाए रखना प्रोटोकाल के कारण कोई न्यायमित्र नियुक्त नहीं किया जा सका ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1561
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

काफी समय से लंबित मामले

1561. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :
श्री नारणभाई काछड़िया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अलग-अलग कितने आपराधिक और दीवानी मामले लंबित हैं और देश में विचाराधीन कैदियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में 10 वर्ष से कम, 10 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की न्यायालय-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा काफी समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई सी एम आई एस) से पुन:प्राप्त भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालया में 69,511 मामले लंबित थे जिनमें से 55,015 सिविल मामले और 14,496 दांडिक मामले थे ।

उच्च न्यायालयों की दशा में इस समय कुल 59,77,361 मामले लंबित हैं जिनमें से 07 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से उपलब्ध सूचना के अनुसार 42,90,686 सिविल मामले और 16,86,675 दांडिक मामले हैं ।

31.12.2021 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो से पुन:प्राप्त किए गए अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध डाटा के अनुसार विचारण के अधीन राज्य वार विस्तृत विवरण उपाबंध-1 पर है ।

(ख) : 10 वर्ष से कम, 10 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या के संबंध में श्रेणी वार सूचना का विस्तृत कथन उपाबंध-2 पर है ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान विशिष्टत: न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । केन्द्रीय सरकार की इस मामले में काई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

यद्यपि, केन्द्रीय सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए उचित पर्यावरण का उपबंध करने के लिए विभिन्न पहले की हैं । राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार

मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी जिसमें प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की संख्या को कम करके तथा संरचनात्मक परिर्वनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करके पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्याधीक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरी तथा मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है ।

न्यायालयों में मामलों की लंबितता को कम करने/न्यूनतम करने में सहायता के लिए न्याय विभाग की विभिन्न पहलों के अधीन महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और उनके निष्कर्ष निम्नानुसार है:

i. **<u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u>** 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9490.45 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.01.2023 तक बढ़कर 21,245 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.01.2023 तक 18,726 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,780 न्यायालय हाल और 1,652 आवासी इकाईयां (न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा ।

ii. **<u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u>** :- सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 02.02.2023 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 22.09 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 20.43 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है ।कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 619 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 02.01.2023 तक, इन न्यायालयों ने 2.40 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 347.86 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,82,20,040 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.12.2022 तक 77,01,697 मामलों (कुल 2.59 करोड़) की सुनवाई की। 24.12.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 3,79,954 सुनवाई हुई।

iii. <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 06.02.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 52 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 870 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 626 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
06.02.2023	25,135	19,376

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

iv. <u>बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी :</u> अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

v. <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंध

करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 848 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में जोडा गया है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा अक्टूबर, 2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान 186.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 768 एफटीएससी वर्तमान में 418 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 31.12.2022 तक 1,37,000 मामलों का निपटारा किया गया।

vi. इसके अतिरिक्त, लंबितता कम करने और न्यायालयों को मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियां जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को संशोधित किया है ।

vii. **<u>अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर</u> :-** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण अनुकल्पि विवाद समाधान तंत्र है । यह ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमा पूर्व प्रक्रम्य पर लंबित विवाद/मामलें निपटाए जाते हैं/उन पर आपस में समझौता किया जाता हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा किया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में समझा जाता है और सभी पक्षकारों पर अंतिम और आबद्धकर होता है तथा किसी न्यायालय के समक्ष उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है । न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए और मुकदमापूर्व प्रक्रम्य पर विवादों को निपटाने के लिए भी, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो वह ठीक समझे, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । तथापि, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार, लोक अदालतें आवश्यकतानुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व नियत तारीख को सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में साथ-साथ आयोजित की जाती हैं ।

पिछले दो वर्षों के दौरान लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं:

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	कुल संख्या
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010

कुल	3,82,21,509	1,64,92,538	5,47,14,047

ix. सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-विधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें विधिक सलाह प्राप्त करने वाले जरूरतमंद और अलाभान्वित वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफार्म तथा विडियों कान्फ्रेसिंग तथा टेलिफोन के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ परामर्श करने और ग्रामपंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर और टेली-विधि मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध चैट सुविधाओं का उपबंध किया गया हैं ।

प्रवर्ग	जारी की गई कुल सलाह	%
अनुसूचित जाति	10,00,641	31.62%
अनुसूचित जनजाति	5,62,169	17.77%
अन्य पिछडा वर्ग	9,26,006	29.26%
महिला	10,59,373	33.48%
सामान्य	6,75,574	21.35%
31 जनवरी, 2023 तक	31,64,390	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

******

उपाबंध-1

देश में विचारण के अधीन राज्य-वार विवरण के ब्यौरे (31.12.2021 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	विचारण के अधीन कैदियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5831
2	अरुणाचल प्रदेश	121
3	असम	7620
4	बिहार	59577
5	छत्तीसगढ	12288
6	गोवा	481
7	गुजरात	11599
8	हरियाणा	18237
9	हिमाचल प्रदेश	2024
10	झारखंड	16249
11	कर्नाटक	11689
12	केरल	4892
13	मध्य प्रदेश	29094
14	महाराष्ट्र	31752
15	मणिपुर	513
16	मेघालय	866
17	मिजोरम	640
18	नगालैंड	326
19	ओडिशा	18164
20	पंजाब	19510
21	राजस्थान	17954
22	सिक्किम	302
23	तमिलनाडु	11706
24	तेलंगाना	4796
25	त्रिपुरा	598
26	उत्तर प्रदेश	90606
27	उत्तराखंड	4674
28	पश्चिमी बंगाल	22577
29	अंदमान और निकोबार द्वीप	158
30	चंडीगढ़	718
31	दादर और नागर हवेली और दमण और दीव	177
32	दिल्ली	16665
33	जम्मू-कश्मीर	4531
34	लद्दाख	16
35	लक्षद्वीप	5
36	पुदुचेरी	209
	कुल	427165

स्रोत:- गृह मंत्रालय ।

उपाबंध -2

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या से संबंधित विवरण के ब्यौरे

न्यायालय का नाम	10 साल से कम समय से लंबित मामले			10 वर्ष से 20 वर्ष तक लंबित मामले			20 वर्ष से अधिक लंबित मामले		
	सिविल	दांडिक	कुल	सिविल	दांडिक	कुल	सिविल	दांडिक	कुल
*उच्चतम न्यायालय		58,085			6,652			4,774	
**उच्च न्यायालय	3289243	1261794	4551037	788281	343774	1132055	213162	81107	294269
**जिला और अधीनस्थ न्यायालय	10041675	29238678	39280353	700124	2778009	3478133	152546	517456	670002

* स्रोत:- 01.02.2023 तक भारत के उच्चतम न्यायालय के डाटा के अनुसार

** स्रोत:- 07.02.2023 तक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के डाटा के अनुसार

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1564
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1564. श्री विजय कुमार दुबे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश (यूपी) में जिला न्यायालय में की गई नियुक्तियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उक्त न्यायालयों में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों का जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : पिछले पांच वर्षों में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए काडर-वार न्यायिक अधिकारियों की उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में की गई नियुक्तियों के ब्यौरो से संबंधित सूचना **उपाबंध-1** पर है ।

(ख) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों के जिला-वार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर हैं ।

(ग) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 1124 न्यायालय/पद रिक्त पड़े हैं । ये न्यायालय/पद विभिन्न कारणों, जैसे संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु आदि, से विभिन्न तारीखों से रिक्त हुए है ।

****

उपाबंध-1

पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवाओं में की गई नियुक्ति के काडर-वार ब्यौरे

वर्ष में की गई नियुक्तियां	काडर				**कुल**
	उच्चतर न्यायिक सेवा		सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) (पदोन्नति)	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) (सीधी भर्ती)	
	सीधी भर्ती	पदोन्नति			
2018	28	186	0	30	**244**
2019	70	289	175	580	**1114**
2020	45	67	37	47	**196**

2021	28	6	8	140	**182**
2022	0	1	4	0	**5**

उपाबंध-2

तारीख 06.02.2023 की स्थिति के अनुसार, अधिकारियों के रिक्त न्यायालयों/पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए जिला-वार ब्यौरा ।

क्र.सं.	जिले का नाम	रिक्त न्यायालयों/पदों की संख्या
1	आगरा	32
2	अलीगढ़	17
3	इलाहाबाद	26
4	अम्बेडकर नगर	12
5	अमेठी	6
6	अमरोहा	6
7	औरैया	8
8	आजमगढ़	26
9	बागपत	2
10	बहराइच	18
11	बलिया	17
12	बलरामपुर	12
13	बाँदा	12
14	बाराबंकी	12
15	बरेली	18
16	बस्ती	20
17	ज्ञानपुर स्थित भदोही	13
18	बिजनौर	10
19	बदायूं	20
20	बुलंदशहर	18
21	चंदौली	11
22	चित्रकूट	8
23	देवरिया	20
24	एटा	17
25	इटावा	10
26	फैजाबाद	17
27	फर्रुखाबाद	21
28	फतेहपुर	9
29	फिरोजाबाद	11
30	गौतम बुद्ध नगर	53
31	गाज़ियाबाद	14
32	गाजीपुर	26
33	गोंडा	20
34	गोरखपुर	19
35	हमीरपुर	14
36	हापुड़	8
37	हरदोई	20
38	हाथरस	11
39	उरई स्थित जालौन	11
40	जौनपुर	30
41	झांसी	12
42	कन्नौज	9
43	कानपुर नगर	18
44	कासगंज	2
45	कौशाम्बी	10
46	पडरौना स्थित कुशीनगर	20
47	लखीमपुर खीरी	17
48	ललितपुर	7
49	लखनऊ	16
50	महाराजगंज	16
51	महोबा	5

52	मैनपुरी	13
53	मथुरा	13
54	मऊ	14
55	मेरठ	21
56	मिर्जापुर	14
57	मुरादाबाद	12
58	मुजफ्फरनगर	17
59	पीलीभीत	8
60	प्रतापगढ़	17
61	रायबरेली	14
62	रमाबाई नगर	18
63	रामपुर	12
64	सहारनपुर	14
65	संभल	8
66	संतकबीर नगर	9
67	शाहजहांपुर	13
69	शामली	7
70	भिंगा स्थित श्रावस्ती	3
71	सिद्धार्थनगर	12
72	सीतापुर	21
73	सोनभद्र	15
74	सुल्तानपुर	16
75	उन्नाव	16
76	वाराणसी	30
	कुल	**1124**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1597
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत

1597. श्री अरुण कुमार सागर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित लोक अदालतों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू वर्षों के दौरान आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों की राज्य-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसी लोक अदालतों में निपटाए गए कुल मामलों का राज्य- वार/ वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार इन अदालतों को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य लोक अदालतों, राष्ट्रीय लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाओं) द्वारा आयोजित लोक अदालतों तथा निपटाए गए मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरे क्रमशः **उपाबंध-क, उपाबंध-ख** और **उपाबंध-ग** पर दिए गए हैं ।

प्रत्येक वर्ष, नालसा राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित करने के लिए कलैण्डर जारी करती है । 2023 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतें 11 फरवरी, 13 मई, 09 सितम्बर और 09 दिसम्बर को आयोजित होने के लिए अधिसूचित हैं । राज्य लोक अदालतें स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

(घ) और (ङ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त/निदेश जारी किए हैं, ताकि मामलों की लम्बित संख्या को कम किया जा सके । इसके अतिरिक्त, कोविड को ध्यान में रखते हुए, ई-लोक अदालत अवधारित की गई थी जिससे लोगों की न्याय तक पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, जो अन्यथा लोक अदालतों में भागीदारी करने में असमर्थ थे । पहली ई-लोक अदालत तारीख 27.06.2020 को आयोजित की गई और तभी से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ई-लोक अदालतें

आयोजित की गई हैं; जिनमें 344.92 लाख मामलों पर विचार किया गया और 61.09 लाख मामलों का निपटारा किया गया ।

****

उपाबंध-क

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत के संबंध में संसद सदस्य श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उठाये गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1597 जिसका उत्तर 10.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान गठित की गई राज्य लोक अदालतों और न्यायपीठों में निपटाये गए मामलों की जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	2020-21		2021-22		2022-23 (नवम्बर, 22 तक)	
		गठित की गई न्यायपीठों की सं.	निपटाये गए मामलों (पूर्व-मुकद्मेबाजी और लंबित मामलें दोनों)	गठित की गई न्यायपीठों की सं.	निपटाये गए मामलों (पूर्व-मुकद्मेबाजी और लंबित मामलें दोनों)	गठित की गई न्यायपीठों की सं.	निपटाये गए मामलों (पूर्व-मुकद्मेबाजी और लंबित मामलें दोनों)
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	90	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	3585	30461	4874	12123	4086	5118
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	25	24	91	1	4
4.	असम	6	1	136	13672	0	0
5.	बिहार	28	97	1	6	0	0
6.	चंडीगढ़	26	1	69	37	7	534
7.	छत्तीसगढ़	491	3475	187	228	98	89
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	300	195359	250	147103	8	3913
11.	गोवा	8	777	30	3209	25	898
12.	गुजरात	2851	21880	5157	15546	2927	14866
13.	हरियाणा	33774	52789	54762	115797	38716	211039
14.	हिमाचल प्रदेश	90	3205	260	22031	112	3456
15.	जम्मू-कश्मीर	125	9469	24	3271	112	45534
16.	झारखंड	607	79649	1310	22954	947	5920
17.	कर्नाटक	1912	121884	412	2524	213	2036
18.	केरल	721	4837	302	19226	427	21579
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	2	1
20.	मध्य प्रदेश	1714	14903	808	4110	733	2516
21.	महाराष्ट्र	22	605	6	28	7	41
22.	मणिपुर	1	21	0	0	4	43
23.	मेघालय	0	0	23	89	0	0
24.	मिजोरम	27	147	17	204	29	1016
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	239	4628	12	326	0	0
27.	पुडुचेरी	24	392	42	262	34	429
28.	पंजाब	0	0	339	1108	6	15
29.	राजस्थान	607	34514	786	845	896	1328

30.	सिक्किम	110	158	110	636	98	655
31.	तमिलनाडु	767	13117	759	13066	723	7291
32.	तेलंगाना	1501	24327	2827	7363	1770	8908
33.	त्रिपुरा	12	6938	93	11624	17	2003
34.	उत्तर प्रदेश	200	100305	57	31414	16	119647
35.	उत्तराखंड	121	6166	25	8605	87	16500
36.	पश्चिमी बंगाल	575	13853	774	74999	394	9003
37.	लद्दाख	0	0	4	32	2	132
	कुल योग	**50451**	**744073**	**74480**	**532529**	**52497**	**484514**

उपाबंध – ख

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत के संबंध में संसद सदस्य श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उठाये गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1597 जिसका उत्तर 10.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाये गए मामलों की जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला विवरण ।

क्रम सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	2020	2021	2022
		निपटाए गए मामलें	निपटाए गए मामलें	निपटाए गए मामलें
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	248	3997	3310
2	आंध्र प्रदेश	37896	122839	647956
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1054	1071
4	असम	12188	39642	113989
5	बिहार	66451	151620	305483
6	चंडीगढ़	2569	16833	15569
7	छत्तीसगढ़	24464	134548	1125318
8	दादरा और नागर हवेली	1768	172	1323
9	दमण और दीव	31	113	215
10	दिल्ली	83006	154992	535025
11	गोवा	351	1680	3934
12	गुजरात	41584	748722	1185571
13	हरियाणा	30298	123413	673487
14	हिमाचल प्रदेश	5971	35556	111150
15	जम्मू - कश्मीर	13258	166544	390496
16	झारखंड	53152	232473	1121405
17	कर्नाटक	334681	1277856	3444607
18	केरल	15010	68681	136101
19	लक्षद्वीप	8	7	129
20	मध्य प्रदेश	108365	347333	419776
21	महाराष्ट्र	215837	2440375	4754239
22	मणिपुर	204	794	1343
23	मेघालय	303	852	956
24	मिजोरम	218	790	4432
25	नागालैंड	251	941	888
26	ओडिशा	18329	35557	337065
27	पुडुचेरी	1738	5084	6405
28	पंजाब	32528	138175	392256
29	राजस्थान	103060	286834	4572315
30	सिक्किम	30	110	232
31	तमिलनाडु	88819	191604	447536
32	तेलंगाना	47560	349902	1611677
33	त्रिपुरा	382	1070	4814
34	उत्तराखंड	8088	20882	67438
35	उत्तर प्रदेश	1171022	5551793	18698973
36	पश्चिमी बंगाल	28596	133736	788082
37	लद्दाख	0	1463	1444
	कुल योग	**2548368**	**12788037**	**41926010**

उपाबंध - ग

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत के संबंध में संसद सदस्य श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उठाये गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1597 जिसका उत्तर 10.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण
पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020-21,2021-22 और 2022-23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों (पी यू एस) की बैठकें और इन बैठकों में निपटाए गए मामलों की संख्या की जानकारी अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	2020-21		2021-22		2022-23 (नम्बर, 22 तक)	
		वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाये गए मामलें	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाये गए मामलें	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाये गए मामलें
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	431	1283	927	1406	702	465
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4.	असम	99	12	141	56	139	26
5.	बिहार	977	203	482	221	313	157
6.	चंडीगढ़	246	108	240	687	159	7339
7.	छत्तीसगढ़	346	32	1045	1199	802	1240
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	532	14765	791	17395	520	11175
11.	गोवा	24	30	2	0	0	0
12.	गुजरात	1	105	9	2238	1	8
13.	हरियाणा	3413	9654	3547	30960	2189	45935
14.	हिमाचल प्रदेश	6	10	9	11	0	0
15.	जम्मू - कश्मीर	0	0	0	0	0	0
16.	झारखंड	3554	1943	5144	32514	4068	15878
17.	कर्नाटक	1069	3869	1292	5371	713	2920
18.	केरल	336	248	212	1104	166	1917
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	455	270	886	574	758	349
21.	महाराष्ट्र	541	249	918	765	664	970
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	583	1350	742	1561	384	868
27.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	2868	3987	4538	9967	3302	10293
29.	राजस्थान	1123	806	2960	3228	2876	3557
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	236	80	671	272	715	377
32.	तेलंगाना	66	549	108	6674	79	5629
33.	त्रिपुरा	1	0	44	81	60	133
34.	उत्तर प्रदेश	2714	383	3961	1087	2564	673

35.	उत्तराखंड	156	522	484	765	382	372
36.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0
37.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**19777**	**40458**	**29153**	**118136**	**21556**	**110281**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1602
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण

1602. श्री ए. के. पी. चिनराज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के लिए अद्यतन प्रक्रिया ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) के अनुसार क्या समय- सीमा अपनाई जाएगी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : तारीख 06.02.2023 तक, एक उच्च न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालयों में 10 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों के अधीन है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरित किए जाते है ।

विद्यमान एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है । एमओपी इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उच्चतम न्यायालय के एक या अधिक ऐसे न्यायाधीशों, जो अपने विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में है, के विचारों को ध्यान में रखने के अतिरिक्त उस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति जिसके न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाना है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के भी जहां स्थानांतरित होना है, के विचारों को ध्यान में रखने की भी अपेक्षा की जाती है । सभी स्थानांतरण लोकहित में अर्थात् संपूर्ण देश में बेहतर न्याय प्रशासन की अभिवृद्धि के लिए किए जाते हैं । एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कोई समयसीमा एमओपी में विहित नहीं की गई है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *133
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

पोक्सो से संबंधित लंबित मामले

***133 .डा. डी. रविकुमार :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान सूचित किए गए लंबित मामलों की संख्या त्वरित न्यायालयों में बड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार को 2017-22 के दौरान विचारण के लिए कुल मामलों (सीएफटी) की बढ़ती संख्या की जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पोक्सो सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए देश में त्वरित न्यायालयों का विस्तार करने हेतु कोई विशेष प्रावधान कर रही है या योजना बना रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

"पॉक्सो से संबंधित मामले" संबंधी लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0 *133 के भाग (क) से भाग (ङ) के उत्तर में, निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ङ) : भारत सरकार, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के बढ़ते हुए लंबित मामलों की संख्या की गंभीरता और संवेदनशीलता का संज्ञान लेते हुए, दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 लेकर आई जिसने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को संशोधित किया । संशोधन अधिनियम ने बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया जो आजीवन कारावास तक विस्तारित है । 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के बलात्कार के मामलें में मृत्यु दंड का उपबंध किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1क) तथा धारा 309 के अधीन अन्वेषण तथा विचारण दोनों में से प्रत्येक के लिए 2 मास की समय-सीमा विहित की गई । अधिनियम में यथा आदेशित तथा भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वत: 1/2019 तारीख 25.07.2019 में मामलों के समय-सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने अक्तूबर, 2019 में 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 1023 त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए, जिसके अंतर्गत, 389 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय भी हैं, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की । एफटीएससी स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक न्यायालय को 165 मामले प्रत्येक वर्ष निपटारा करना है । स्कीम में सीएसएस पैटर्न में राज्यों को प्रत्येक न्यायालय के लिए 1 न्यायिक अधिकारी तथा 7 न्यायालय कर्मचारिवृन्द के वेतन के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध किया गया । इसके अतिरिक्त, कार्यालय व्ययों, किराया प्रभारों आदि, जब कभी आवश्यक हों, को कवर करने के लिए लचीले अनुदान का उपबंध भी किया गया है। त्वरित प्रचालन को सुकर बनाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा अन्य न्यायालय कर्मचारिवृन्द को संविदा आधार पर लगाने के लिए स्वतंत्रता दी गई है । प्रारंभ में स्कीम 1 वर्ष के लिए थी जिसे 31.03.2023 तक और जारी रखा गया है । इन न्यायालयों के कार्यकरण के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 160.00 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 134.56 करोड़ रुपए, चालू वित्तीय वर्ष (31/1/2023 तक) 186.93 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है ।

31.12.2022 को यथा विद्यमान, 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 768 एफटीएससी प्रचालन में है, जिनके अंतर्गत 418 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय भी हैं, जिन्होने 1,37,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है जबकि 1,98,208 मामले लंबित थे । स्कीम को आरंभ करने के समय से एफटीएससी की निपटारा और लंबन समेत राज्य वार प्रास्थिति उपाबंध पर है। स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए न्याय विभाग राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विधि सचिवों तथा उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों और नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से पुनर्विलोकन बैठकें संचालित कर रहा है । इसके अतिरिक्त, विधि और न्याय मंत्री द्वारा अर्ध शासकीय पत्र तारीख 12.12.2019, 16.03.2020, 16.07.2020, 16.02.2021, 03.08.2021 तथा 02.09.2022 राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को चिन्हित एफटीएससी के जल्द प्रचालन तथा लंबित मामलों के निपटारे को त्वरित करने का अनुरोध करने के लिए जारी किए गए हैं ।

बडी संख्या में लंबित मामलों का देखते हुए न्याय विभाग ने तीन और वर्ष अर्थात् 2026 तक स्कीम के विस्तार के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है ।

****

उपाबंध

एफटीएससी की स्थिति - पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्र सं.	**राज्य/सं.रा.**	**2020**			**2021**			**2022**		
		कार्यशील एफटीएससी की सं. (31.12.2020)	**लंबित मामले** (31.12.2020)	**वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले**	**कार्यशील एफटीएससी की सं.** (31.12.2021)	**लंबित मामले** (31.12.2021)	**वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले**	**कार्यशील एफटीएससी की सं.** (31.12.2022)	**लंबित मामले** (31.12.2022)	**वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले**
1	आंध्र प्रदेश	8	3980	127	10	5483	296	14	7328	1511
2	असम	7	1211	36	15	3023	818	17	3881	1861
3	बिहार	45	12132	492	45	14002	2127	45	15587	3610
4	चंडीगढ़	1	176	2	1	235	19	48	220	97
5	छत्तीसगढ	15	2721	162	15	2674	1694	15	2745	1393
6	दिल्ली	0	0	0	16	4410	195	16	4426	552
7	गुजरात	35	5236	888	35	5632	2485	35	6619	3535
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	01	51	26
9	हरियाणा	16	3334	130	16	4373	1373	16	4103	1875
10	हिमाचल	3	462	40	6	961	148	6	923	378
11	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	4	390	49	4	444	66
12	झारखंड	20	3401	463	22	5380	1330	22	4384	2303
13	कर्नाटक	14	2729	268	18	3962	1760	30	5532	3424
14	केरल	23	4629	257	28	7653	3478	52	7213	6356
15	मध्य प्रदेश	66	11196	3422	67	14139	7944	67	12435	7539
16	महाराष्ट्र	25	5624	1270	34	7445	4489	39	8539	5607
17	मणिपुर	0	0	0	2	171	19	2	130	60
18	मेघालय	0	0	0	5	946	71	5	995	156
19	मिजोरम	0	0	0	3	40	47	3	36	62
20	नगालैंड	0	0	0	1	96	39	1	53	9
21	ओडिशा	15	6119	240	36	10613	2563	44	11754	4244
22	पंजाब	3	440	537	12	2009	964	12	1842	1099
23	राजस्थान	45	7938	1421	45	7581	4775	45	6801	4015
24	तमिलनाडु	14	4230	506	14	4684	1703	14	5127	2664
25	तेलंगाना	19	2864	481	25	5031	2979	34	7544	3498
26	त्रिपुरा	3	285	17	3	323	94	3	318	92
27	उत्तर प्रदेश	218	79468	26318	218	72924	31562	218	78238	8561
28	उत्तराखंड	4	668	80	4	763	606	4	940	366
	योग	**599**	**158843**	**37148**	**700**	**184943**	**73627**	**768**	**198208**	**64959**

टिप्पण- एफटीएससी की स्कीम अक्तूबर, 2019 में आरंभ की गई ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2767
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

अकार्यशील ग्राम न्यायालय

2767. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :
श्री चंद्र शेखर साहू :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :
श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनेक अधिसूचित ग्राम न्यायालय कार्य नहीं कर रहे हैं ;
(ख) यदि हां, तो इन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के कोने-कोने में ग्राम न्यायालयों के कार्य नहीं करने के क्या कारण हैं ;
(ग) क्या सरकार ने इन्हें शीघ्र आरंभ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी हां, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अनुसार, 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 477 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें से 265 ग्राम न्यायालय 10 राज्यों में कार्य कर रहे हैं । राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है किंतु अधिनियम राज्यों के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है । राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ग्राम न्यायालयों के न चलने का मुख्य कारण कई राज्यों में न्यायाधिकारी के पद का न भरना, लोक अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की साधारणतया कमी है जो इन ग्राम न्यायालयों को चलाते हैं । इसके अतिरिक्त, नियमित न्यायालयों के साथ एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में अधिकारिता होना अन्य कारण है जिसके कारण यह स्कीम नहीं चल पा रही है । इसके अतिरिक्त, अनेक राज्यों में पंचायत के स्तर पर ग्राम न्यायालयों की उनकी स्वयं की एक स्वतंत्र प्रणाली है ।

(ग) और (घ) : अधिसूचित ग्राम न्यायालयों को कार्यशील बनाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/उच्च न्यायालयों के साथ नियमित पत्राचार किया जाता है। न्याय विभाग की केन्द्रीय स्तरीय

मॉनीटरी समिति की नियमित बैठकों के दौरान राज्यों को नियमित रुप से अधिसूचित ग्राम न्यायालयों के प्रचालन में तेजी लाने का भी स्मरण कराया जाता है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2776
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

कार्यरत ई-न्यायालय

2776. श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डॉ. जयंत कुमार राय :
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्री जयंत सिन्हा :
श्री कृपानाथ मल्लाह :
श्री भोला सिंह :
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;
(ख) इस परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और देश में संचालित ई-न्यायालयों की राज्य-वार और जिले वार संख्या कितनी है ;
(ग) देश भर में कार्यरत ई- न्यायालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में इस परियोजना के लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(घ) उक्त अवधि के दौरान ई-न्यायालय मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;
(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान ईन्यायालयों द्वारा कितने मामलों का निपटारा किया गया है ;
(च) क्या सरकार का प्रभावी न्याय प्रदान करने हेतु ई- न्यायालय परियोजना के चरण-3 को शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तहत आबंटित निधि कितनी है और निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ; और
(छ) सरकार द्वारा देश में ई-न्यायालयों में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को लोकप्रिय बनाने और सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए देश में ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुभारंभ किया है । राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन एक परियोजना है । ई-न्यायालय परियोजना को ई-समिति भारत के उच्चतम न्यायालय और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है । परियोजना का चरण-1, वर्ष 2011-2015 के दौरान कार्यान्वित किया गया था । परियोजना का चरण-2, वर्ष 2015 में आरम्भ हुआ, जिसके अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है :--

- नए न्यायालयों के साथ-साथ मौजूदा न्यायालयों को आई टी अवसंरचना प्रदान करना और चरण-1 में शामिल न्यायालयों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर प्रदान करना
- चरण-1 में न्यायिक अधिकारियों को प्रदान किए गए अप्रचलित लैपटाप को बदलना और नए न्यायिक अधिकारियों को लैपटाप और अन्य आई टी सुविधाओं की व्यवस्था करना
- न्यायालयों और कारागारों में वी सी उपस्करों को प्रतिष्ठापित करना
- चरण-1 के अधीन शामिल नहीं हुए न्यायिक अधिकारियों को लैपटाप, प्रिन्टर, यूपीएस और संबद्धता का प्रावधान करना और चरण-1 के अधीन न्यायिक अधिकारियों को प्रदान किए गए अप्रचलित लैपटाप को बदलना
- न्यायिक अकादमियों और प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में हार्डवेयर का प्रतिष्ठापन करना
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और तालुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) का कम्प्यूटरीकरण करना
- सभी न्यायालय परिसरों में क्लाउड संबद्धता
- डब्ल्यू ए एन के माध्यम से देश में सभी न्यायालयों को जोड़ना
- 5% न्यायालय परिसरों को धारणीय विद्युत उपलब्धता प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा उपस्कर
- देश के सभी न्यायालयों के लिए ई-आफिस, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, लर्निंग टूल्स प्रबंधन प्रणाली और न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली और स्थानीयकरण परियोजना प्रबंधन ढ़ांचा का प्रतिष्ठापन और प्रचालन
- ई-न्यायालय के चरण-2 के लिए साफ्टवेयर विकसित करना
- पणधारियों को प्रशिक्षण, आऊटरीच अभियान और जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रबंधन पहल को बदलना

देश में परिचालित ई-न्यायालयों का विस्तृत विवरण उपाबंध-1 में सलंग्न है । ई-न्यायालय के अवसंरचनात्मक विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां उपाबंध-2 में दी गई हैं । ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 के लक्ष्यों का ब्यौरा उपाबंध-3 में सलंग्न किया गया है । ई-न्यायालय परियोजना में, सरकार ने सभी के लिए न्याय सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहल की है :--

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ संयोजकता प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी), आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादकारी 22.38 करोड़ से अधिक मामलों और इन कम्प्यूटरीकृत से संबंधित 20.83 करोड़ से अधिक (01.03.2023 तक) आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31 जनवरी, 2023 तक कुल 1.64 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक 18,407 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया है ।

iv. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है । 31.01.2023 तक, 21 वर्चुअल न्यायालयों में 2.53 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 33 लाख से अधिक (33,57,972) मामलों में 359.34 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है ।

v. भारत का उच्चतम न्यायालय 4,02,937 सुनवाई (लॉकडाउन अवधि की शुरुआत से 31.01.2023 तक) आयोजित करके एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा । उच्च न्यायालयों (77,67,596 मामलों) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,84,95,235 मामलों) ने 31.01.2023 तक 2.62 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है ।

vi. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है । मसौदा ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं । तारीख 31.01.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

vii. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस, जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं, के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है, जो सीधे समेकित निधि को देय हैं । कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है । 22 उच्च न्यायालयों में 31.12.2022 तक न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

viii. डिजिटल डिवाइस को पाटने के लिए, 689 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों या वादी की सुविधा के आशय से प्रारंभ किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है ।

ix. सम्मन जारी करने और देने की प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है । यह वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया गया है ।

x. एक नया "निर्णय खोज" पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय: दिन प्रति दिन, और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है । यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है ।

xi. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 25 उच्च न्यायालयों में 39 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम, जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है, स्थापित किए गए हैं ।

(ङ) : एनजेडीजी पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, अंतिम पांच वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है :--

वर्ष	**कुल संस्थित मामले**	**कुल निपटाए गए मामले**
2022	21853647	19521570
2021	18161344	14568227
2020	12577604	7731987
2019	16893238	14951046
2018	15225544	13250054

(च) : परियोजना का चरण-2 पूरा होने के करीब है और ई-न्यायालय चरण-3 के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है और 21 अक्टूबर 2022 को ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है । व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की तारीख 23.02.2023 को बैठक हुई । ई-न्यायालय परियोजना चरण-3 के अन्य, अपेक्षित अनुमोदन अग्रिम चरण में हैं ।

(छ) : न्याय की प्रक्रियाएं प्रशासनिक मामले हैं, जो कठोर रूप से न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है ।

देश में ई-न्यायालय को लोकप्रिय बनाने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने ई-न्यायालय परियोजना के अधीन प्रदान की जाने वाली आईटीसी सेवाओं पर 117 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं । इन कार्यक्रमों में लगभग 5,13,080 हितधारी शामिल हैं, जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय के कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर ट्रेनर, उच्च न्यायालय के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता शामिल हैं ।

****

उपाबंध-1

कार्यरत ई-न्यायालय के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2776, जिसका उत्तर 17/03/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । देश में परिचालित ई-न्यायालयों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बंबई	दादरा और नगर हवेली	1	3
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुडुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	ओडिशा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	योग		**3452**	**18735**

उपाबंध-2

कार्यरत ई-न्यायालय के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2776, जिसका उत्तर 17/03/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । पिछले तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना विकास के लिए जारी की गई निधियां ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	2019-20		2020-21		2021-22	
		जारी की गई (करोड़)	उपयोजित (करोड़)	जारी की गई करोड़)	उपयोजित (करोड़)	जारी की गई (करोड़)	उपयोजित (करोड़)
1	इलाहाबाद	15.04	9.00	13.79	5.11	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
3	बंबई	0.00	0.00	8.86	7.91	0.00	0.00
4	कलकत्ता	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	4.44	4.40	2.34	2.22	0.00	0.00
6	दिल्ली	0.00	0.00	3.00	0.63	0.00	0.00
7	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	0.98	0.98	1.52	0.18	1.26	0.00
8	गुवाहाटी (असम)	13.68	13.40	6.11	1.78	3.49	3.30
9	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.51	0.31	0.72	0.35	0.30	0.00
10	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.70	0.33	0.83	0.18	0.84	0.00
11	गुजरात*	0.00	0.00	3.48	0.83	0.00	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.00	1.24	0.00	0.00
13	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	0.00	0.00	1.00	0.17	0.00	0.00
14	झारखंड	5.53	0.35	2.98	0.48	0.00	0.00
15	कर्नाटक	9.15	8.92	4.29	2.49	0.00	0.00
16	केरल	0.00	0.00	2.83	1.23	1.58	0.00
17	मध्य प्रदेश	11.21	5.92	6.28	6.16	0.00	0.00
18	मद्रास	0.00	0.00	4.73	2.45	0.00	0.00
19	मणिपुर	0.61	0.36	1.30	0.21	0.76	0.00
20	मेघालय	0.92	0.09	2.32	0.36	2.23	0.65
21	ओडिशा	13.46	0.00	3.37	1.63	0.00	0.00
22	पटना	7.08	4.61	5.44	1.67	0.00	0.00
23	पंजाब और हरियाणा	0.00	0.00	4.55	0.64	0.00	0.00
24	राजस्थान	1.29	1.29	10.58	8.99	1.62	1.62
25	सिक्किम	1.61	0.68	1.01	0.92	0.77	0.00
26	तेलंगाना	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
27	त्रिपुरा	2.24	1.33	4.44	3.82	0.95	0.46
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	1.28	0.63	0.00	0.00
योग		**88.44**	**51.97**	**107.74**	**52.28**	**13.80**	**6.02**

* गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपए वापस कर दिए। कुल उपयोग में अभ्यर्पित निधियां शामिल हैं ।

उपाबंध-3

कार्यरत ई-न्यायालय के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2776, जिसका उत्तर 17/03/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । वर्ष-वार लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है :

ई-न्यायालय एमएमपी के चरण 2 के वर्षवार लक्ष्य और वित्तीय लक्ष्य (वित्तीय रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	वर्ष 1		वर्ष 2		वर्ष 3		वर्ष 4		कुल लक्ष्य	योग करोड़ में
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1 (क)	14249 न्यायालयों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर (1 + 3 प्ररूप)	3575	108.8	3550	108.1	7124	216.89	0	0	14249	433.8
1 (ख)	नए न्यायालयों का कम्प्यूटीकरण (2+6 प्ररूप)	1000	54.16	1000	54.16	1000	54.16	1013	54.87	4013	217.4
1 (ग)	संभावित न्यायालयों का कम्प्यूटीकरण (2+6)			0		0		1738	94.14	1738	94.14
2 (क)	मौजूदा न्यायालय परिसरों में तकनीकी अवसंरचना	1000	88.16	1000	88.16	700	61.71		0	2700	238
2 (ख)	नए न्यायालय परिसरों में तकनीकी अवसंरचना	200	25.63	150	19.22	150	19.22	300	38.45	800	102.5
3 (क)	चरण-1 में न्यायिक अधिकारियों को प्रदान किए गए अप्रचलित लैपटाप को बदलना	7155	32.43	0	0	0	0	0	0	7155	32.43
3 (ख)	नए न्यायिक अधिकारियों को लैपटाप और अन्य आई टी सुविधाओं की व्यवस्था करना	1800	9.86	1630	8.92	1630	8.92	1631	8.93	6691	36.64
4 (क)	न्यायालयों में वीसी उपस्करों को प्रतिष्ठापित करना	1000	11	750	8.25	750	8.25	0	0	2500	27.5
4 (ख)	कारागारों में वीसी उपस्करों को प्रतिष्ठापित करना	300	2.1	300	2.1	200	1.4	0	0	800	5.6
5	न्यायिक अकादमियों और प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में हार्डवेयर का प्रतिष्ठापन करना	17	3.46	3	0.61	0	0	0	0	20	4.07
6 (क)	डीएलएसए का कम्प्यूटरी-करण करना	400	9.15	222	5.08	0	0	0	0	622	14.23
6 (ख)	टीएलएससी का कम्प्यूटरीकरण करना	0	0	0	0	1168	16.74	1000	14.33	2168	31.08
7	सभी न्यायालय परिसरों में क्लाउड संबद्धता		25	0	25	0	23		0	3500	73
8	डब्ल्यूएएन से जोड़ना		38.55		77.11		77.11		38.55		231.3
9	5% न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा	0	0	58	8.75	58	8.75	58	8.75	175	26.25
10	साफ्टवेयर विकसित करना		12.33	0	13.46	0	14.71		2.28		42.78
11	प्रबंधन परिवर्तन		5		5		5		5		20
12	न्यायिक प्रक्रिया रिइंजीनियरिंग		5		5		5		5		20
13	जेकेएमएस		4.82		4.82		4.82		4.82		19.28
14	सेवाप्रदान		0		0		0		0		0
योजना के अनुसार योग			**435.5**		**433.7**		**525.68**		**275.12**		**1670**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2808
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

मामलों को सुनवाई हेतु लगाने में देरी

2808. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी :

श्री रघु राम कृष्ण राजू :

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के बार लीडर्स के साथ कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की है और विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता अथवा संपत्ति के सम्बन्ध में न्यायाधीशों को मामलों, जिन पर वादियों और वकीलों को अपने मामलों को सुनवाई के लिए लगाने और प्रक्रियात्मक देरी से बचने में मदद के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, की पहचान, सुनवाई और राहत प्रदान करने में सहायता करने के लिए कुछ व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति क्या है और ऐसी चर्चाओं का क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : जी नहीं, उच्चतम न्यायालय के विधिज्ञ नेताओं से ऐसी कोई चर्चा आरंभ नहीं की गई है क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान अनन्य रुप से न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र में आता है । केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । उनकी प्राथमिकता के निबंधनों में न्यायालय कार्यवाहियां और मामलों की सूचियां संबंद्ध न्यायालयों के अनन्य अधिकार-क्षेत्र के भीतर पूर्ण रुप से आती है ।

तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी जिसमें प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की संख्या को कम करके तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करके पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित

मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी तथा मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2814
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

त्वरित न्याय हेतु न्यायालयों की स्थापना

2814. श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में त्वरित न्याय हेतु न्यायालयों की स्थापना के लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में स्थापित की जाने वाली ऐसी अदालतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : देश में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करके अपनी आवश्यकता और संसाधन के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करते हैं । 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने 2015-2020 के दौरान जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामले, महिलाओं से संबंधित सिविल मामले, बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों, निर्योग्य व्यक्तियों, अन्त्य बीमारी से संक्रमित व्यक्तियों, आदि और पांच वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण के लिए 1800 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना के लिए सिफारिश की है । वित्त आयोग ने इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन (32% से 42%) के माध्यम से बढ़े हुए राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का आग्रह किया था । संघ सरकार ने 2015-16 से आगे त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से निधि आवंटित करने का भी आग्रह किया है । इस संबंध में, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र, 31.01.2023 तक 843 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की है, जिसके ब्यौरे उपाबंध-1 में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में न्याय विभाग ने बलात्कार और पोक्सो अधिनियम में पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए 389 अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय सहित 1023 त्वरित निपटान के विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) को स्थापित करने के लिए अक्तूबर, 2019 से केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू कर रहा है । यह स्कीम एक वर्ष के लिए थी, जो 31 मार्च, 2023 तक जारी है । 31.03.2023 से आगे स्कीम के विस्तार के लिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की गई है । 31.01.2023 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक एफटीएससी ब्यौरा उपाबंध-2 में दिया गया है ।

*****

उपाबंध-1

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार त्वरित निपटान न्यायालयों की प्रास्थिति (एफटीसी)
(31.01.2023 को)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत न्यायालय	लंबित मामलें
1.	आंध्र प्रदेश	22	7446
2.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	18	11049
5.	बिहार	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ	23	5349
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0
9.	दिल्ली	10	4084
10.	दीव और दमन	0	0
11.	गोवा	4	2288
12.	गुजरात	51	6730
13.	हरियाणा	6	668
14.	हिमाचल प्रदेश	3	495
15.	जम्मू-कश्मीर	4	691
16.	झारखंड	34	7813
17.	कर्नाटक	0	0
18.	केरल	0	0
19.	लद्दाख	0	0
20.	लक्षद्वीप	0	0
21.	मध्य प्रदेश	0	0
22.	महाराष्ट्र	111	162135
23.	मणिपुर	6	351
24.	मेघालय	0	0
25.	मिजोरम	2	230
26.	नागालैंड	0	0
27.	ओडिशा	0	0
28.	पुडुचेरी	0	0
29.	पंजाब	7	251
30.	राजस्थान	0	0
31.	सिक्किम	2	14
32.	तमिलनाडु	73	107788
33.	तेलंगाना	0	0
34.	त्रिपुरा	3	1382
35.	उत्तर प्रदेश	372	1115130
36.	उत्तराखंड	4	932
37.	पश्चिमी बंगाल	88	74016
योग		**843**	**1508842**

उपाबंध-2

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की प्रास्थिति (एफटीएससी)
(31.01.2023 को)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चिन्हित न्यायालय		कार्यरत न्यायालय		संचयित निपटान (सीएसएस के प्रारंभ से)		ई-पोक्सो न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या	एफटीएससी, जिसमें ई-पोक्सो न्यायालय भी सम्मिलित हैं, में मामलों की कुल लंबितता
		एफटीएससी, जिसमें ई-पोक्सो भी सम्मिलित हैं	ई-पोक्सो	एफटीएससी, जिसमें ई-पोक्सो भी सम्मिलित हैं,	ई-पोक्सो	ई-पोक्सो	योग		
1	छत्तीसगढ	15	11	15	11	2653	3067	2059	2700
2	गुजरात	35	24	35	24	5284	6639	5350	6727
3	मिजोरम	3	1	3	1	27	109	31	76
4	नागालैंड	1	0	1	0	3	51	0	53
5	झारखंड	22	8	22	16	2353	3820	3276	4480
6	मध्य प्रदेश	67	26	67	57	13626	16258	9600	12056
7	मणिपुर	2	0	2	0	0	82	0	129
8	हरियाणा	16	12	16	12	2502	3449	3241	4290
9	चंडीगढ़	1	0	1	0	0	130	0	215
10	राजस्थान	45	26	45	30	6354	9146	5558	6939
11	तमिलनाडु	14	14	14	14	4696	4696	5026	5026
12	त्रिपुरा	3	1	3	1	103	189	122	319
13	उत्तर प्रदेश	218	74	218	74	19170	41053	47935	78839
14	उत्तराखंड	4	4	4	0	0	1012	0	932
15	दिल्ली	16	11	16	11	531	814	3104	4426
16	मेघालय	5	5	5	5	255	255	1004	1004
17	जम्मू-कश्मीर	4	0	4	2	63	119	245	440
18	पंजाब	12	2	12	3	1308	2194	589	1771
19	हिमाचल प्रदेश	6	3	6	3	373	540	417	912
20	केरल	56	14	56	14	3353	10503	1927	7049
21	कर्नाटक	31	17	31	17	4198	5506	3037	5577
22	तेलंगाना	36	10	34	0	2731	6211	0	7634
23	आंध्र प्रदेश	18	8	13	13	1820	1820	7299	7299
24	बिहार	54	30	45	45	5953	5953	15576	15576
25	असम	27	15	17	17	2814	2814	3905	3905
26	महाराष्ट्र	138	30	35	17	7387	10598	3494	8292
27	ओडिशा	45	22	43	23	4639	7111	8124	11850
28	गोवा	2	0	1	1	30	30	47	47
29	पश्चिमी बंगाल	123	20	0	0	0	0	0	0
30	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	0	0	0	0	0
31	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1023	389	764	411	92226	144169	130966	198563

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2920
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान

2920. श्री रामदास तडस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के आलोक में मामलों के निपटान हेतु ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं अथवा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्पूर्ण देश के जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अधीन नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक सामाजिक, आर्थिक या अन्य र्नियोग्यताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रहे, जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई थी । राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए उत्तरदायी है । तथापि, राज्यों के लिए ग्राम न्यायालयों का गठन करना आज्ञापक नहीं हैं । अधिसूचित किए गए और क्रियाशील बनाए गए ग्राम न्यायालयों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यरत ग्राम न्यायालय
1	मध्य प्रदेश	89	89
2	राजस्थान	45	45
3	केरल	30	30
4	महाराष्ट्र	36	23

5	ओड़िशा	24	20
6	उत्तर प्रदेश	113	51
7	कर्नाटक	2	2
8	हरियाणा	2	2
9	पंजाब	9	2
10	झारखंड़	6	1
11	गोवा	2	0
12	आंध्र प्रदेश	42	0
13	तेलंगाना	55	0
14	जम्मू-कश्मीर	20	0
15	लद्दाख	2	0
कुल		477	265

(ग) : देश भर के जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई सीधी भूमिका नहीं है। हालाँकि, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यमों से तथा पालन मानक और क्षमताओं की स्थापना करके, लंबित और बकाया मामलों में कमी करके और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि करके पहुंच में अभिवृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था । मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतवर्लित है ।

और, वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 9812.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 13.03.2023 तक 21,295 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 13.03.2023 तक 18,741 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,488 न्यायालय हाल और 1,305 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं (न्याय विकास पोर्टल के अनुसार)।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन न्याय वितरण में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वॉन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित जानकारी तक पहुंच सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.01.2023 तक, इन

न्यायालयों ने 2.53 करोड़ से अधिक मामलों पर विचार किया है और 359 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माना की वसूली की है।

साथ ही, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जा रहा है। 01.05.2014 से 07.03.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 54 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। उच्च न्यायालयों में 887 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 646 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए थे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 कर दी गई है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है

तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
13.03.2023	25,189	19,520

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, भारत सरकार ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए गए थे। 31.01.2023 तक, 843 त्वरित निपटान न्यायालय जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों आदि के खिलाफ अपराधों के लिए कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने आईपीसी के अधीन बलात्कार के लंबित मामलों और पोक्सो अधिनियम के अधीन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। अब तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) का पूरे मन से प्रचार किया जा रहा है । इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, कि वाणिज्यिक विवादों की दशा में पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि (पीआईएमएस) को आज्ञापक बनाया जाए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया था। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा दिए गए पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है। एल.एस.ए. अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आवश्यकता के अनुसार लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तिथि पर एक साथ किया जाता है।

सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में अवस्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससीएस) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम सेविधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

देश में प्रो-बोनों और प्रो-बोनों वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां निःस्वार्थ काम के लिए स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रोबोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण करा

सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 69 चयनित लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2941
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व

2941. डॉ. डी. रविकुमार :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) न्यायपालिका में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;
(ख) जाति के संबंध में न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके. कि निर्णय देने में कोई पूर्वाग्रह न हो ;
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की दर क्या है ;
(घ) क्या इस अधिनियम के तहत शिकायत के प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और मामलों को उचित रूप से दर्ज किए जाने और बिना किसी भेदभाव के चलाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी व्यक्ति की जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है । तथापि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उचित अभ्यर्थियों के लिए सम्यक् रूप से परामर्श देने हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को परामर्श भेजते समय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है।

उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के प्रवर्ग/जाति से संबंधित उपलब्ध जानकारी अनुसार, जो उच्च न्यायालय कालेजियम (एचसीसी) द्वारा उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के लिए उनकी

सिफारिश के समय अर्थात् 2018 से बायोडेटा में सिफारिशकर्ता द्वारा उपदर्शित किया गया है, न्याय विभाग द्वारा संकलित किया गया है और ब्यौरा निम्नानुसार है :--

प्रवर्ग	**कुल (15.03.2023 को)**
सामान्य	444
अन्य पिछड़ा वर्ग	64
अल्पसंख्यक	15
अनुसूचित जाति	17
अनुसूचित जनजाति	09
जानकारी उपलब्ध नहीं है	20

जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण सेवानिवृत्ति के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है। अत: जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती या आरक्षण का संबंध है, केंद्रीय सरकार की जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होती है।

(ग) : भारत में अपराध रिपोर्ट (2012) में की गई रिपोर्ट के अनुसार जिसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वर्ष 2021 के लिए अनुसूचित जातियों (एससी) के विरुद्ध अपराधों/अत्याचार के विरुद्ध अभियोग दर 36.0% रही है, जबकि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन 28.1% है ।

(घ) और (ङ) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-2) के अधीन राज्य का विषय है और राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता के भीतर सभी अपराध, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराध भी सम्मिलित हैं, के निवारण,उनका पता लगाने, रजिस्ट्रीकरण, अन्वेषण और अभियोजन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं । अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1898 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र में निहित है । सरकार अपने स्तर पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अक्षरश: प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को परामर्श जारी करती है ।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1898 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम जागरूकता पीढ़ी और प्रचार के साथ-साथ राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को स्वीकृत केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रवृत्त है ।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए अत्याचार के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया

है । हेल्पलाइन का उद्देश्य विधि के अधीन उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरुकता प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य विभेदीकरण को समाप्त करना और संरक्षण प्रदान करना है। एनएचएए संपूर्ण देश में '14566' एक टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2944
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

निःशुल्क विधिक सेवा के लाभार्थी

2944. श्री श्याम सिंह यादव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न्याय बंधु योजना के तहत निःशुल्क विधिक सेवा से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) देश भर में इस योजना के लिए पंजीकृत अधिवक्ताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और (ग) उक्त योजना के तहत देश में राज्य-वार प्रो बोनो (निःशुल्क विधिक सेवा) क्लब में शामिल होने वाले विधि विद्यालयों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : सरकार ने 2017 में न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) को प्रारंभ किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य नि:शुल्क की संस्कृति को आगे बढ़ाना और देशभर में नि:शुल्क विधिक सेवाओं के प्रस्ताव के वितरण के लिए एक ढांचा तैयार करना है । यह विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम,1987 की धारा 12 के अधीन नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्तियों को नि:शुल्क वकीलों के साथ जोड़ता है । इस कार्यक्रम के अधीन नि:शुल्क विधिक कार्य में रूचि रखने वाले अधिवक्ताओं को नि:शुल्क कार्य विधिक सेवाओं के वितरण के लिए योग्य उपेक्षित लाभार्थियों के साथ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ा जाता है । 1 मार्च, 2023 तक कुल 2180 व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवा से लाभान्वित किया गया है । (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे उपाबंध-'क' पर है) । जबकि अब तक देशभर में 5954 अधिवक्ताओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया है । चूंकि नि:शुल्क अधिवक्ताओं से संबंधित डाटा राज्य विधिज्ञ परिषद् के अनुसार बनाए रखा जाता है, इसे उपाबंध-'ख' के अधीन दिया गया है । अब तक 69 विधि विद्यालय उक्त योजना के अधीन नि:शुल्क क्लब में शामिल हो चुके हैं । (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-'क'** पर है) ।

****

उपाबंध 'क'

निःशुल्क विधिक सहायता के लाभार्थी के संबंध में श्री श्याम सिंह यादव, संसद् सदस्य, द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2944, जिसका उत्तर 17-03-2023 को दिया जाना है, के भाग (क) और भाग (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :

न्यायबन्धु के अधीन शामिल हुए निःशुल्क विधिक सहायता और विधि विद्यालय से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य-वार विवरण

(2017-2023)

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या	विधि विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	58	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	02
3.	असम	7	01
4.	बिहार	77	02
5.	चंडीगढ़	28	01
6.	छत्तीसगढ	25	02
7.	दिल्ली	401	05
8.	गोवा	2	01
9.	गुजरात	73	05
10.	हरियाणा	117	04
11.	हिमाचल प्रदेश	4	01
12.	जम्मू-कश्मीर	9	01
13.	झारखंड	37	01
14.	कर्नाटक	44	03
15.	केरल	25	01
16.	मध्य प्रदेश	93	03
17.	महाराष्ट्र	379	05
18.	मणिपुर	7	01
19.	मेघालय	0	01
20.	मिजोरम	0	01
21.	नागालैंड	0	01
22.	ओडिशा	106	03
23.	पंजाब	17	02
24.	राजस्थान	33	03
25.	सिक्किम	1	01
26.	तमिलनाडु	33	03
27.	तेलंगाना	74	01
28.	त्रिपुरा	02	01
29.	उत्तर प्रदेश	281	07
30.	उत्तराखंड	23	02
31.	पश्चिमी बंगाल	213	03
32.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	00
33.	लक्षद्वीप	0	00
34.	दादरा और नागर हवेली	0	00
35.	दमन और दीव	0	00
36.	पुड्डुचेरी	0	00
	कुल	**2180**	**69**

उपाबंध 'ख'

निःशुल्क विधिक सहायता के लाभार्थी के संबंध में श्री श्याम सिंह यादव, संसद् सदस्य, द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2944, जिसका उत्तर 17-03-2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :

इस स्कीम के लिए देशभर में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं की संख्या का राज्य विधिज्ञ परिषद्-वार विवरण
(2017-2023)

क्र.सं.	**राज्य विधिज्ञ परिषद्**	**अधिवक्ताओं की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	539
2	असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	100
3	बिहार	426
4	छत्तीसगढ	158
5	दिल्ली	751
6	गुजरात	180
7	हिमाचल प्रदेश	89
8	जम्मू-कश्मीर	115
9	झारखंड	150
10	कर्नाटक	137
11	केरल	129
12	मध्य प्रदेश	517
13	महाराष्ट्र और गोवा	462
14	मणिपुर	24
15	मेघालय	7
16	ओडिशा	225
17	पंजाब और हरियाणा	619
18	राजस्थान	194
19	तमिलनाडु	264
20	तेलंगाना	104
21	त्रिपुरा	6
22	उत्तर प्रदेश	557
23	उत्तराखंड	71
24	पश्चिमी बंगाल	130
	कुल योग	**5954**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2971
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ता और न्यायाधीश

2971. श्री नव कुमार सरनीया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन अधिवक्ताओं का न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में रिकॉर्ड पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के रूप में नामित किया गया है ;

(ख) हाल ही में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में वास्तव में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामले/अपील की सुनवाई के लिए किन-किन उच्च न्यायालयों में विशेष पीठ हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में व्यवसायरत् अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय और संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में पदाभिहित किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायालय व्यवसाय और प्रशासन के एक भागरूप में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम प्रदान करने के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने देश भर में सभी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम का प्रयोग को शासित करने के लिए रिट याचिका (सी) संख्या 33/ 2016 और रिट याचिका(सी) 819/2016 में अपने निर्णय तारीख 12.10.2017 द्वारा मानदंड /मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए हैं । न्यायालय वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11.12.2021 तक, भारत के उच्चतम न्यायालय में 436 पदाभिहित वरिष्ठ अधिवक्ता और 3041 एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड हैं। उच्च न्यायालयों

में लगभग 1,306 वरिष्ठ अधिवक्ता पदाभिहित हैं। तथापि, पदाभिहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में सामाजिक प्रास्थिति से संबंधित कोई विशिष्ट ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई उपबंध नहीं करते हैं। तथापि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए । 16.03.2023 तक, उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 124 नामों की सिफारिश की है, जो सरकार और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के विचाराधीन हैं। इनमें से 04 अनुशंसित अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और 03 अनुशंसित अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

(ग) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता से संबंधित डेटा को पुनरीक्षित उपाबंध (2018 में पुनरीक्षित) के अनुसार संस्थागत किया गया है, जिसमें अनुशंसितों को विहित प्रारूप (उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श से तैयार किया गया) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध कराने होंगे । अत:, वर्ष 2018 से डाटा अनुरक्षित किया गया है । वर्ष 2018 से उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए 569 न्यायाधीशों में से 17 न्यायाधीश अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और 09 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं ।

(घ) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन मामले/अपील की सुनवाई के लिए विशेष पीठों का पदनाम उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में आता है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2977
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालयों की निगरानी

2977. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अब तक कितने राज्यों को शामिल किया गया है और वर्ष 2021 के संशोधित दिशानिर्देश क्या है ;

(ख) केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई निधि में अब तक राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना की प्रगति और निधि के समुचित उपयोग की देखरेख करने के लिए किसी निगरानी समिति का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो इस योजना के अंतर्गत पूरी तरह से शामिल किए गए हैं और कितने राज्यों ने अब तक ग्राम न्यायालय की स्थापना की है और उनका प्रचालन कर रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : अब तक 13 राज्य, ग्राम न्यायालय 2008 स्कीम में जुड़ चुके हैं। संघ राज्यक्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने भी इस योजना को लागू किया है।

(ख) से (घ) : राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अब तक 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 477 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। इनमें से, 265 ग्राम न्यायालय वर्तमान में 10 राज्यों में कार्यरत हैं । राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित, संचालित ग्राम न्यायालयों का राज्य-वार विवरण और इस विभाग द्वारा जारी की गई निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र**	**ग्राम न्यायालय अधिसूचित**	**ग्राम न्यायालय कार्यात्मक**	**निधि जारी की गई (रकम लाख रुपये में)**
1	मध्य प्रदेश	89	89	2456.40

2	राजस्थान	45	45	1240.98
3	केरल	30	30	828.00
4	महाराष्ट्र	36	23	660.80
5	ओडिशा	24	20	337.40
6	उत्तर प्रदेश	113	51	1323.20
7	कर्नाटक	2	2	25.20
8	हरियाणा	2	2	25.20
9	पंजाब	9	2	25.20
10	झारखंड	6	1	75.60
11	गोवा	2	0	25.20
12	आंध्र प्रदेश	42	0	436.82
13	तेलंगाना	55	0	693.00
14	जम्मू-कश्मीर	20	0	0.00
15	लद्दाख	2	0	0.00
कुल		**477**	**265**	**8153.00**

परियोजनाओं की प्रगति और समय पर पूरा होने की निगरानी करने और विभिन्न विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए क्रमशः, केंद्र और राज्य में दो निगरानी समितियों का गठन किया गया है। योजना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए ये समितियां व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बैठकें करती हैं। समितियों की संरचना इस प्रकार है:

(i) <u>राज्य में उच्च न्यायालय स्तर की निगरानी समिति:</u> समिति की अध्यक्षता संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं और यह उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, राज्य के विधि/गृह सचिव और राज्य पीडब्ल्यूडी के सचिव से मिलकर बनती हैं। समिति के पास राज्य में योजना के कार्यान्वयन की समग्र निगरानी की जिम्मेदारी है ।

(ii) <u>न्याय विभाग में केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति:</u> समिति की अध्यक्षता सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) द्वारा की जाती है और यह सभी राज्यों (विधि/गृह, उच्च न्यायालयों और पीडब्ल्यूडी विभाग) के प्रतिनिधि, संबंधित संयुक्त सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) और वित्तीय सलाहकार (विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार) तथा संबंधित उप सचिव (न्याय विभाग) जो संयोजक के रूप में कार्य करते हैं,से मिलकर बनती है ।

इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग द्वारा एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अर्थात ग्राम न्यायालय पोर्टल, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से ग्राम न्यायालयों की अधिसूचना/संचालन की तारीख के संबंध में, उनके तालुक और जिलेवार स्थान; निधियां जारी करने की स्थिति; जारी की गई निधियों के उपयोग की स्थिति; ग्राम न्यायालयों आदि में लंबित मामलों, संस्थित किए गए नए मामलों और दीवानी और आपराधिक मामलों के संबंध में निपटाए गए मामलों का डेटा संग्रह करने को सक्षम करके बेहतर प्रबंधन के लिए

विकसित किया गया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रत्येक मास की 5 तारीख तक पोर्टल पर नियमित रूप से डेटा अपलोड/अपडेट करना आवश्यक है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *241
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के संबंध में आर एंड ए डब्ल्यू की रिपोर्ट

+*241. श्री मनीश तिवारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने एक अधिवक्ता की लैंगिकता के संबंध में आर एंड ए डब्ल्यू की रिपोर्टों का हवाला दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आर एंड ए डब्ल्यू रिपोर्टों का उपयोग करती रहती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी भारतीय नागरिक के न्यायाधीश के रूप में मनोनयन के लिए उसका लैंगिक ओरिएन्टेशन कानूनी/संवैधानिक रूप से मूल तात्विक स्थान रखता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए राजनीतिक झुकाव और ऑनलाइन पोस्ट को ध्यान में रखती है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मई 2019 से फरवरी 2023 के बीच कॉलेजियम की सिफारिशों को कितनी बार वापस भेजा गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

'उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के संबंध में आर एंड ए डब्ल्यू की रिपोर्ट' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० *241, जिसका उत्तर 17.03.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ङ) : उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) ने अपने 18 जनवरी, 2023 के कार्यवृत्त में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की रिपोर्ट को उद्धृत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक अधिवक्ता की कामुकता का उल्लेख किया गया है, जिसके नाम की दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। आम तौर पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के अर्तवर्लित होने पर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों पर आरएंडएडब्ल्यू रिपोर्ट मांगने का चलन नहीं है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों/इनपुट के आलोक में विचार किया जाना चाहिए, जो विचाराधीन नामों के संबंध में उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध हो सकते हैं। । तदनुसार, सिफारिशकर्ताओं का निर्धारण करने के लिए आईबी इनपुट प्राप्त किए जाते हैं और एससीसी को प्रदान किए जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) में अपने तारीख 6.10.1993 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ अवलोकन किया था कि योग्यता चयन, न्यायिक चयन के लिए प्रमुख पद्धति है और चयनित होने वाले उम्मीदवारों के पास उच्च सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कौशल, भावनात्मक स्थिरता का उच्च स्तर, दृढ़ता, शांति, कानूनी सुदृढ़ता, क्षमता और सहनशक्ति होनी चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त, सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षित व्यक्तिगत अर्हताओं की पहचान नैतिक शक्ति, नैतिक दृढ़ता और भ्रष्ट या दुष्ट प्रभावों के लिए अभेद्यता, विनम्रता और संबद्धता की कमी, न्यायिक स्वभाव, उत्साह और काम करने की क्षमता है। मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए 2023 की डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 148 में 10.02.2023 के एक वर्तमान निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि अपने आप में अन्यथा उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति पर पूर्ण रोक नहीं है। इसी प्रकार, उन्नयन के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा नीतियों या कार्यों की आलोचना उन्हें अनुपयुक्त मानने के आधार का नहीं है।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की यह भी राय है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा राजनीतिक झुकाव या विचारों की अभिव्यक्ति उसे संवैधानिक पद धारण करने से वंचित नहीं करती है जहां तक कि न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित व्यक्ति सक्षम, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। सरकार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पणधारी है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर प्रक्रिया ज्ञापन में यथा अभिकथित इनपुट प्रदान करती है जिसमें न्यायपालिका में उच्च संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए विचाराधीन अभ्यथियों की सक्षमता, योग्यता और सत्यनिष्ठा के बारे में जानकारी होती है। इनपुट के साथ सिफारिशें सलाह के लिए एससीसी को प्रस्तुत की जाती हैं। यह उल्लेखनीय है कि सरकार केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त करती है जिनकी एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती है ।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार, सहयोगी प्रक्रिया के अधीन

एससीसी द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार की मांग कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों को ही उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *251
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

ई-न्यायालय संबंधी परियोजना

+*251. श्री ए. राजा :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में ई-न्यायालय परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ई-न्यायालयों से सम्बन्धित अवसंरचना के विकास के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) कितने न्यायालयों ने वकीलों और मुवक्किलों की वर्चुअल उपस्थिति वाली ऑनलाइन अदालती सुनवाई शुरू की है;

(घ) क्या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को ऑनलाइन सुनवाई करने से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

ई-न्यायालय संबंधी परियोजना से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *251 जिसका उत्तर 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है के भाग (क) से (च) के उत्तर निर्दिष्ट विवरण।

(क) : सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए देश में ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन एक परियोजना है। ई-न्यायालय परियोजना को ई-समिति भारत के उच्चतम न्यायालय और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का चरण I 2011-2015 के दौरान कार्यान्वित किया गया था। परियोजना का चरण II 2015 में आरम्भ हुआ, जिसके अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता में वृद्धि की दिशा में, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग द्वारा ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, 2976 न्यायालय साइट को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ संयोजकता प्रदान की गई है ।

ii. मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं के लिए आधार बनाता है, अनुकूलित मुक्त और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 को जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

iii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी 22.38 करोड़ से अधिक मामलों और (01.03.2023 तक) से संबंधित 20.83 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लंबित निगरानी और अनुपालन में सुधार के लिए एनजेडीजी डेटा तक पहुंचने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों सहित संस्थागत मुकदमों को अनुमति देने के लिए 2020 में ओपन एपीआई शुरु किए गए हैं।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की प्रास्थिति,

वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31 जनवरी 2023 तक कुल 1.64करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक 18,407 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया है। जस्टआईएस मोबाइल ऐप अब आईओएस में भी उपलब्ध है।

v. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है। 21 वर्चुअल न्यायालयों में 2.40 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 33 लाख (3357972) से अधिक मामलों में 31.01.2023 तक 359.34 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है।

vi. भारत का उच्चतम न्यायालय 4,02,937 सुनवाई (लॉकडाउन अवधि की शुरुआत के बाद से 31.01.2023 तक) आयोजित करके एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा। उच्च न्यायालयों (77,67,596 मामलों) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,84,95,235 मामलों) ने 24.12.2022 तक 2.63 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं। 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय रूम के लिए वीसी उपकरण के लिए निधि भी जारी की गई है। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी अनुज्ञप्तियां उपाप्त की गई हैं। 1732 डॉक्यूमेंट विजुअलाइजर्स की उपापन के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी जारी की गई हैं।

vii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। प्रारुप ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं। 31.01.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, 25 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन, 19 जिला न्यायालयों ने 31.01.2023 तक ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है।

viii. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की अपेक्षा होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि को देय हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान कार्यान्वित किया है । 21 उच्च न्यायालयों में 31.12.2022 तक न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ix. प्रक्रिया सेवा को समर्थ बनाने वाली प्रौद्योगिकी और सम्मन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। यह वर्तमान में 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है।

x. एक नया "निर्णय खोज"पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय दिन प्रति दिन,और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।

xi. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सृजित किए गए डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 25 उच्च न्यायालयों में 39 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम जिसे जस्टिस क्लॉक कहा जाता है, स्थापित किए गए हैं।

xii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और परिचित बनाने के लिए और "कौशल विभाजन" को संबोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रीकरण कैसे करें" पर वकीलों के लिए एक ब्रोशर अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ई-न्यायालय सेवाओं के नाम पर ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 5,13,080 पणधारक सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता भी हैं।

परियोजना का चरण II पूरा होने के करीब है और ई-न्यायालय चरण III के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है और 21 अक्टूबर 2022 को ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक तारीख 23.02.2023 को बैठक हुई। ई-न्यायालय परियोजना चरण-III के अन्य अपेक्षित अनुमोदन अग्रिम चरण में हैं। परियोजना के चरण-III में विभिन्न नई सुविधाओं की प्रसुविधा की कल्पना की गई है, जिनमें से कुछ डिजिटल पहलें हैं जो डिजिटल और पेपरलेस न्यायालयों को सम्मिलित करती हैं जिनका उद्देश्य न्यायालय में डिजिटल प्रारूप के अधीन न्यायालयी कार्यवाही करना है; ऑनलाइन न्यायालय जो डिजिटल रूप से सक्षम सुनवाई के विभिन्न रूपों की खोज और अपनाने के माध्यम से न्यायालय में वादियों या वकीलों की उपस्थिति को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है; यातायात उल्लंघनों के अधिनिर्णयन से परे वर्चुअल न्यायालयों की परिधि का विस्तार; लम्बित मामलों के विश्लेषण के लिए कृतिम आसूचना और इसके सबसेट जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग, भविष्य की मुकदमेबाजी का पूर्वानुमान आदि है ।

(ख) : ई-न्यायालयों के अवसंरचना विकास के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां **उपाबंध-1** में दी गई है।

(ग) : जिन न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई हो रही है, उनका विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

(घ) : जी हां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऑनलाइन सुनवाई करने की तकनीक से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(ङ) और (च) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी; भोपाल द्वारा संचालित किया जाता है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

क्र.सं.	**कार्य. सं**	**कार्यक्रम का नाम**	**कार्यक्रम: तारीख**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1	पी-1276	ई-न्यायालय परियोजना के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका की आईसीटी सक्षमता पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कार्यशाला और कृतिम आसूचना की विकसित अवधारणा	08 और 09/01/2022	24
2	पी - 1300	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम (ई-समिति)	21/08/2022	25
3	पी - 1313	ई-समिति राष्ट्रीय सम्मेलन (ई-समिति)	06/11/2022	31
4	पी - 1334	ई-न्यायालय परिचयात्मक कार्यक्रम और कंप्यूटर कौशल संवर्धन कार्यक्रम - स्तर I और II (ई-समिति)	05/03/2023	31

चालू शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रत्येक क्षेत्रीय सम्मेलन में ई-न्यायालय पर उपरोक्त विशेष कार्यक्रमों के अलावा, दो सत्र पूरी तरह से ई-न्यायालय पर समर्पित हैं। चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान अर्थात; 2022-23, एनजेए ने 8 क्षेत्रीय सम्मेलन निर्धारित किए हैं, जिनमें से अब तक 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रतिभागियों की कुल संख्या 625 थी (जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और न्यायिक अधिकारी सम्मिलित हैं)।

****

उपाबंध-1

ई-न्यायालय संबंधी परियोजना से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *251 जिसका उत्तर 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है के उत्तर निर्दिष्ट विवरण। अवसंरचना विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	2019-20	2020-21	2021-22
1	इलाहाबाद	15.04	13.79	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	1.96	0.00
3	बंबई	0.00	8.86	0.00
4	कलकत्ता	0.00	4.93	0.00
5	छत्तीसगढ़	4.44	2.34	0.00
6	दिल्ली	0.00	3.00	0.00
7 (क)	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	0.98	1.52	1.26
7 (ख)	गुवाहाटी (असम)	13.68	6.11	3.49
7 (ग)	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.51	0.72	0.30
7 (घ)	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.70	0.83	0.84
8	गुजरात*	0.00	3.48	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	2.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	0.00	1.00	0.00
11	झारखंड	5.53	2.98	0.00
12	कर्नाटक	9.15	4.29	0.00
13	केरल	0.00	2.83	1.58
14	मध्य प्रदेश	11.21	6.28	0.00
15	मद्रास	0.00	4.73	0.00
16	मणिपुर	0.61	1.30	0.76
17	मेघालय	0.92	2.32	2.23
18	ओडिशा	13.46	3.37	0.00
19	पटना	7.08	5.44	0.00
20	पंजाब और हरियाणा	0.00	4.55	0.00
21	राजस्थान	1.29	10.58	1.62
22	सिक्किम	1.61	1.01	0.77
23	तेलंगाना	0.00	1.79	0.00
24	त्रिपुरा	2.24	4.44	0.95
25	उत्तराखंड	0.00	1.28	0.00
कुल		**88.44**	**107.74**	**13.80**

*गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपए वापस कर दिए। कुल उपयोग में अभ्यर्पित निधियां शामिल हैं

उपाबंध- 2

ई-न्यायालय संबंधी परियोजना से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *251 जिसका उत्तर 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है के उत्तर निर्दिष्ट विवरण। 31 जनवरी 2023 तक उन न्यायालयों का विवरण जहां वर्चुअल सुनवाई हो रही है साथ ही वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से सुने गए मामलों का विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालयों में सुनवाई की संख्या	जिला न्यायालयों में सुनवाई की संख्या	कुल सुनवाई
1	इलाहाबाद	241390	4114257	4355647
2	आंध्र प्रदेश	380252	1412770	1793022
3	बंबई	38305	80818	119123
4	कलकत्ता	139053	81940	220993
5	छत्तीसगढ़	103097	43160	146257
6	दिल्ली	317729	4502342	4820071
7	गुवाहाटी -अरुणाचल प्रदेश	2292	8128	10420
8	गुवाहाटी -असम	266160	333777	599937
9	गुवाहाटी - मिजोरम	3963	13268	17231
10	गुवाहाटी - नागालैंड	930	650	1580
11	गुजरात	388929	192808	581737
12	हिमाचल प्रदेश	183904	100200	284104
13	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	257708	458532	716240
14	झारखंड	218343	641727	860070
15	कर्नाटक	1170814	123066	1293880
16	केरल	160411	541229	701640
17	मध्य प्रदेश	668369	782248	1450617
18	मद्रास	1424427	347900	1772327
19	मणिपुर	38695	15288	53983
20	मेघालय	2859	27554	30413
21	ओडिशा	288674	247949	536623
22	पटना	275754	2116523	2392277
23	पंजाब और हरियाणा	581047	1873547	2454594
24	राजस्थान	229688	179006	408694
25	सिक्किम	482	12227	12709
26	तेलंगाना	299031	190327	489358
27	त्रिपुरा	10585	12564	23149
28	उत्तराखंड	74705	41430	116135
कुल		**7767596**	**18495235**	**26262831**

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *256
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

मानव एवं पशु के मध्य संघर्ष के पीड़ितों को राहत

+*256. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन राज्य और केन्द्रीय कानूनों का ब्यौरा है जो मानव एवं पशु के मध्य संघर्ष में घायल या मारे गए लोगों को राहत प्रदान करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की मानव एवं पशु के मध्य संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने को एक कानूनी अधिकार बनाने के लिए विधान लाने संबंधी कोई योजना/प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार पीड़ितों को मुआवजे का शीघ्र संवितरण सुनिश्चित करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की तर्ज पर, विधि द्वारा एक अधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

‘मानव एवं पशु के मध्य संघर्ष के पीड़ितों को राहत’ से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० *256, जिसका उत्तर 17.03.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ङ) : वन्यजीवों के प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर आती है और मुआवजे की दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न स्कीमों (सीएसएस) अर्थात् 'वन्यजीव आवासों का विकास'; 'प्रोजेक्ट टाइगर' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंट'; के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संरक्षित क्षेत्रों के अंदर मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को बाहर स्थानांतरित करने के लिए, मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान के मामले में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता सहित वित्तीय अवलंब का भी उपबंध है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिनियमित, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्यजीवों और उनके आवासों के लिए सुरक्षा का उपबंध करता है। हालाँकि, अधिनियम में मानव-पशु संघर्ष में घायल या मारे गए लोगों को अनुतोष प्रदान करने का कोई उपबंध नहीं है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए सरकार न तो कोई विधान लाने पर और न ही अभिकरण का सृजन करने पर विचार कर रही है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3914
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

3914. श्रीमती माला राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विभिन्न पदों पर नियुक्त/नामित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उन्हें दिए गए संवैधानिक और अन्य पदों का पद-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : न्याय विभाग केवल उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से संबंधित है । विभिन्न संवैधानिक पदों, आयोगों, अधिकरणों आदि में सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां सुसंगत नियमों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती हैं । अत:, सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3951
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

त्वरित न्याय हेतु समिति

3951. श्री चन्देश्वर प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई पृथक समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति पर किए गए अतिरिक्त व्यय का कोई आकलन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : जी, नहीं न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कोई समर्पित समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, सरकार सरल, वहन योग्य और त्वरित न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई स्कीमों और परियोजनाओं को लागू कर रही है और कई पहल कर रही है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है । राष्ट्रीय मिशन के अधीन उल्लेखनीय पहलें इस प्रकार हैं: -

   i. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की

तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 9755.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2023 को 21,271 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2023 को 18,734 हो गई है।

ii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 07..03.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 54 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 887 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 646 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
21.03.2023	25,189	19522

तथापि,अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

iii. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है।

iv. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

v. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार ,वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

2. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 689 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता

हो। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.01.2023 तक, इन न्यायालयों ने 2.53 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 359 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को शामिल करने का आशय रखता है।

3. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है। 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 843 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों क्रियान्यवित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है।

4. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(फरवरी तक)	1,75,98,095	30,25,724	2,06,23,819
कुल	5,58,19,604	1,95,18,262	7,53,37,866

5. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा

लिंग वार				
महिला	11,46,046	33.43	11,23,504	33.49
पुरुष	22,82,642	66.57	22,31,041	66.51
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	7,31,346	21.33	7,12,646	21.24
ओबीसी	10,08,050	29.40	9,83,336	29.31
एससी	10,86,611	31.69	10,66,037	31.78
एसटी	6,02,681	17.58	5,92,526	17.66
कुल	**34,28,688**		**33,54,545**	

6. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3952
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

बाल न्यायालयों की स्थापना हेतु अनुदान

3952. श्री रितेश पाण्डेय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2019-22 के दौरान बाल न्यायालयों की स्थापना और देखरेख के लिए सरकार की मौद्रिक स्वीकृति और आवंटन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्तमान में चल रहे बाल न्यायालयों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे बाल न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जिनकी स्थापना के लिए वर्तमान में अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है ;और

(घ) वर्ष 2019-22 के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षण गृहों, विशेष गृहों, बाल गृहों और सुरक्षित स्थानों के निर्माण तथा रखरखाव हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) को किए गए मौद्रिक आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : बाल न्यायालय ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों में से एक है जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है जो अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालय स्थापित करती हैं । दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्संग के लिए मृत्यु दंड को सम्मिलित करके बलात्संग जैसे अपराधों के लिए सजा को और अधिक कठोर बनाना और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश सू मोटो 1/ 2019 तारीख 25.07.2019 कि "देश के प्रत्येक जिले में, यदि पॉक्सो अधिनियम के अधीन 100 से अधिक मामले हैं, तो एक विशेष / नामित विशेष न्यायालय स्थापित किया जाएगा, जो पॉक्सो अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध का विचारण नहीं करेगा" तदनुसार, भारत संघ ने अक्टूबर 2019 में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की, जिसमें से 389 अनन्य पॉक्सो (इ-पॉक्सो) न्यायालयों को बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निर्धारित किया गया था। .

आज तक, 28 राज्य और संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) इस योजना में सम्मिलित हो चुके हैं। यह योजना आरंभ में एक वर्ष के लिए थी जिसे मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई

जानकारी के अनुसार, 411 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 764 एफटीएससी 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं।

(घ) : किसी विशेष विधिक सहायता योजना/कार्यक्रम के लिए पृथक रूप से कोई निधियां नहीं रखी गई हैं ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधियों का आवंटन सभी विधिक सहायता संबंधी गतिविधियों के लिए समेकित आधार पर किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधि/अनुदान सहायता केवल विधिक सहायता गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है और संप्रेक्षण गृहों आदि की स्थापना और रखरखाव के लिए नहीं । वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (10 मार्च, 2023 तक) के दौरान, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) सहित, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधियों के राज्यवार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-1** के अधीन दिया गया है

****

उपाबंध-1

'बाल न्यायालयों की स्थापना के लिए अनुदान' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3952, जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (10.03.2023 तक) के दौरान उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और एमसीपीसी सहित,राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित निधियां।

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (10.03.2023 तक)
1	आंध्र प्रदेश	20000000	34000000	50000000	45000000
2	अरुणाचल प्रदेश	20000000	10000000	14000000	25000000
3	असम	30000000	37000000	64000000	66500000
4	बिहार	45000000	37000000	76000000	84000000
5	छत्तीसगढ़	60000000	39500000	52500000	66000000
6	गोवा		5000000	1500000	2500000
7	गुजरात	35000000	34500000	57500000	82000000
8	हरियाणा	90000000	45000000	65000000	74000000
9	हिमाचल प्रदेश	40000000	18500000	24500000	37000000
10	जम्मू-कश्मीर	60000000	35000000	46500000	61000000
11	झारखंड	40000000	40000000	73500000	69000000
12	कर्नाटक	70000000	62500000	75000000	85000000
13	केरल	110000000	52500000	99000000	79500000
14	मध्य प्रदेश	45000000	30000000	50000000	66000000
15	महाराष्ट्र	60000000	62500000	82500000	94000000
16	मणिपुर	40000000	10000000	10500000	10000000
17	मेघालय	10000000	5000000	5000000	15000000
18	मिजोरम	25000000	5000000	11500000	13500000
19	नागालैंड	25000000	5000000	11500000	16500000
20	ओडिशा	60000000	32500000	42500000	68000000
21	पंजाब	100000000	32500000	64000000	54500000
22	राजस्थान	65000000	45500000	70000000	83500000
23	सिक्किम	25000000	5000000	6500000	12500000
24	तमिलनाडु	50000000	42000000	60000000	74000000
25	तेलंगाना	35000000	35000000	41000000	50500000
26	त्रिपुरा	30000000	28000000	26500000	26000000
27	उत्तर प्रदेश	30000000	65000000	60000000	116000000
28	उत्तराखंड	20000000	25000000	25500000	30500000
29	पश्चिमी बंगाल	90000000	52000000	70000000	85000000
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				500000
31	चंढीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	10000000	8000000	5500000	5000000
32	दादरा और नागर हवेली		250000		
33	दमण और दीव		250000		
34	दिल्ली	80000000	50000000	93000000	122000000
35	लक्षद्वीप				500000
36	पुडुचेरी		1000000	2000000	7200000
37	लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र			6500000	2500000
38	उच्चतम न्यायालय एल.एस.सी		10000000	10000000	9000000
39	मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी)				12500000
	कुल	**1420000000**	**1000000000**	**1453000000**	**1751200000**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3960
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

जिला न्यायालयों में सुविधाएं

3960. श्री दिलीप शइकीया :

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र के सतारा, शोलापुर और पुणे के जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के न्यायालय कक्षों सहित न्यायालयों की खराब स्थिति पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त जिला न्यायालयों का आधुनिकीकरण करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : 1993-94 से सरकार द्वारा न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना का उद्देश्य बेहतर न्याय प्रदान करने को सुकर बनाने को ध्यान में रखते हुए देश में अधीनस्थ न्यायालयों की भौतिक अवसंरचना में सुधार करना है । इस योजना के अधीन केन्द्रीय निधियों की हिस्सेदारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को विहित अनुपात में जारी की गई है, जो 8 एनईआर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) जहां यह 90 : 10 हैं, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए यह 60:40 (केन्द्रीय : राज्यों) हैं और संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में कोई राज्य हिस्सेदारी शामिल नहीं है । अब तक केन्द्रीय हिस्सेदारी 9812.82 करोड़ रुपये इसके प्रारंभ से स्कीम के अधीन जारी की जा चुकी हैं, जिसमें से 1022.72 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों को जारी किए जा चुके हैं और महाराष्ट्र राज्य को 861.94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।

उपरोक्त सीएसएस को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बार 2021 से 2026 तक पांच साल के लिए बढ़ाया गया था और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के 3 नए संघटक, शौचालय परिसर और वकील हॉलों को न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाईयों को छोड़कर इस स्कीम के दायरे में लाया गया था ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना का निर्माण और उसका आधुनिकीकरण मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । न्यायिक अवसंरचना पर भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम केवल राज्य सरकारों के संसाधनों का संपूरक है । न्यायिक अवसंरचना की बेहतरी के लिए निधियों के त्वरित उपयोग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं । राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वे उत्तर पूर्वी राज्यों और महाराष्ट्र राज्य के सतारा, सोलापुर और पुणे जिलों सहित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना विकास परियोजनाएं चला रहे हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3967
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

पुराने मामलों का निपटान

3967. श्रीमती शारदा अनिल पटेल :

डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर :

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न न्यायालयों में 30 से 50 वर्षों से अधिक समय से आपराधिक और दीवानी मामले लंबित हैं और यदि हां, तो 30 से 40, 40 से 50 और 50 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों को इन पुराने मामलों को समयबद्ध कार्यक्रम में निपटाने के लिए कोई निर्देश दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेश के बाद कितने मामलों का निपटान किया गया है ; और

(घ) ऐसे पुराने मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह सूचित किया है कि, उनके एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमईएस) से प्राप्त डाटा के अनुसार, 50 वर्ष से अधिक समय से कोई मामला लंबित नहीं है।
उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के मामले में, 30 से 40, 40 से 50 और 50 वर्ष से अधिक समय से लंबित दांडिक और सिविल मामलों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

न्यायालय का नाम	30 से 40 वर्ष		40 से 50 वर्ष		50 वर्ष से अधिक	
	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक	सिविल	दांडिक
उच्च न्यायालय	45261	23026	14650	1907	1077	1
जिला और अधीनस्थ	34214	84747	6917	8518	936	371

स्त्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

(ख) : उच्चतम न्यायलय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालयों को नियमित आधार पर अपने विभिन्न निर्णयों/आदेशों के माध्यम से समय से निपटान के लिए निदेश दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2012) 2 एससीसी 688] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचार किया कि जबकि इसे उच्च न्यायालयों पर अधीक्षण की कोई शक्ति नहीं है तथा भारत के संविधान के अधीन उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है; किंतु अंतिम न्यायालय के रुप में तथा संपूर्ण न्याय करने के लिए इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो इसमें निहित है, लोक हित में न्याय प्रशासन में सुधार की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने विधि के नियम में तथा न्याय परिदान प्रणाली में साधारण मनुष्य की निष्ठा बनाए रखने के लिए, क्योंकि दोनों विकट रुप से सहबद्ध हैं, कतिपय मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं । इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में, उच्चतम न्यायालय ने जोर दिया कि योग्य दांडिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने या विचारण के उपरांत अन्वेषण रोकने का आदेश देने के लिए उच्च न्यायालयों को अपने प्राधिकार का उपयोग यदा-कदा करना चाहिए । ऐसी शक्ति का प्रयोग मामले के त्वरित निपटारे के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए सम्यक सावधानी और सतर्कता से किया जाना चाहिए । एक बार ऐसी शक्ति का प्रयोग किए जाने पर, उच्च न्यायालयों को उस मामले को नहीं भूलना चाहिए, जहां उन्होंने अन्वेषण और विचारण रोकने की उनकी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया है । सबसे महत्वपूर्ण, उच्च न्यायालयों को ऐसी कार्यवाहियों का निपटारा यथासंभव शीघ्र किंतु रोक आदेश जारी किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर अधिमानत: सुनिश्चित करना चाहिए ।

जमानत आवेदन की सुनवाई न होने की सांस्थानिक समस्या का उपचार करने और ऐसे आवेदनों के त्वरित निपटारे के लिए, उच्चतम न्यायालय के अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [(2021) 2एससीसी427] के मामले में जोर दिया कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति मामलों के लंबन और निपटारे को मानीटर करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) को संसाधन के रुप में उपयोग करें । उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उनकी प्रशासनिक हैसियत में आईसीटी साधनों का उपयोग करना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हो तथा जमानत आवेदनों के न सुने जाने तथा त्वरित गति से निपटारा न होने की समस्या का उपचार करने के लिए उनके प्रबंध के अधीन हैं । उच्चतम न्यायालय ने बकाया समिति का भी गठन किया है और उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों के लंबायमान को कम करने के लिए सूत्रबद्ध कदम उठाए है।

(ग) : जैसा कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है, उच्चतम न्यायालय के समय पर निपटान के निदेश के पश्चात् निपटाए गए मामलों की संख्या से संबंधित जानकारी रजिस्ट्री द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है और केन्द्रीय सरकार की इस विषय में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3980
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

निचली अदालतों में न्यायालय कक्ष

3980. श्री एंटो एन्टोनी :

श्री जगदम्बिका पाल :

श्री विनसेंट एच. पाला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में निचली अदालतों के लिए उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और निचली न्यायपालिका के समक्ष आ रही अवसंरचनात्मक चुनौतियों से निपटने में सरकार के सामने आ रही बाधाएं. यदि कोई हों, क्या हैं और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और न्यायालय कक्षों की उपलब्धता तथा स्वीकृत पद संख्या और उपलब्ध आवासीय इकाइयों के बीच अंतर को दूर करने के लिए वास्तविक योजना का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायाधीशों की 25189 स्वीकृत पद संख्या और 19524 कार्यरत पद संख्या के विरुद्ध, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए 21296 न्यायालय परिसर और 18741 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं । 25189 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या की तुलना में, 3893 न्यायालय कक्षों और 6448 आवासीय इकाइयों का अंतराल है, लेकिन जब न्यायिक अधिकारियों की वास्तविक कार्यरत पद संख्या की तुलना की जाती है, तो न्यायालय कक्षों की कोई कमी नहीं है और आवासीय इकाइयों की थोड़ी कमी है । तथापि, पहले से ही 1655 संख्या में आवासीय इकाइयां हैं और 2806 संख्या में न्यायालय कक्ष हैं, जो निर्माणाधीन हैं । राज्यवार ब्यौरे उपाबंध पर हैं ।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित हैं । तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने केंद्र और राज्य के बीच विहित की गई निधि सहभाजन रीति में उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए न्यायपालिका में अवसंचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीकृत

प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का क्रियान्वयन किया है । स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है । इसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायिक भवनों और आवासीय निवासों के संनिर्माण आते है । स्कीम 9000 करोड़ रु. जिसके अंतर्गत 5,307 करोड़ रु. का केन्द्रीय अंश शामिल है, की बजेटीय लागत के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक विस्तारित की गई है । न्यायालय कक्षों और आवासीय कमरों के संनिर्माण के अतिरिक्त स्कीम में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता कक्ष, डिजिटल कम्प्यूटर कमरों और प्रसाधन परिसरों के संनिर्माण भी आते हैं । स्कीम के अधीन इसके प्रारंभ से अब तक 9812.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें से 2014-2015 से अब तक 6368.51 करोड़ रुपए (64.90%) जारी किए जा चुके हैं । 2022-23 के दौरान न्यायिक अवसंरचना पर केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए 848 करोड़ रुपए आबंटित किए गए, जिसमें से 20.03.2023 तक 803 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है और आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1051 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष से 24% अधिक है । अत:, न्यायिक अवसंरचना पर केंद्र प्रायोजित योजना अपेक्षित अवसंरचना की उपलब्धता में किसी भी अंतर को दूर करने की योजना है ।

बाधाओं के संबंध में, कोविड-19 महामारी के कारण राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर खर्च में सामान्य कमी आई, इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा यह देखा गया कि सीएसएस के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को जारी की गई निधि समयबद्ध तरीके से उपयोग में नहीं लाई जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के पास बड़ी मात्रा में अव्ययित शेष राशि बकाया है । सरकार ने सीएसएस को निधि जारी करने के लिए एक संशोधित वित्तीय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की शुरुआत की, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय निधि और संबंधित राज्य के अंश का उचित उपयोग किया जाता है और केवल उस विनिर्दिष्ट स्कीम में निवेश किया जाता है । कई प्रक्रियात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को ऑन-बोर्ड करने में कुछ समस्याएं हुईं । तथापि, समय बीतने के साथ उन सभी तकनीकी समस्याओं को ठीक/निपटारा कर लिया गया है और सभी राज्य अब आन-बोर्ड पीएफएमएस में शामिल हो गए हैं और केवल पीएफएमएस के माध्यम से खर्च कर रहे हैं । राज्यों को नियमित रूप से लिखने के अतिरिक्त, न्याय विभाग की केंद्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित आधार पर द्विमासिक बैठकें कीं, जिसके दौरान सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से उन पर उपलब्ध अव्ययित शेष राशि का शीघ्रता से उपयोग करने का आग्रह किया ।

****

उपाबंध

स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या और निचली अदालतों में न्यायालय कक्षों के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3980, जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

क्र सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल न्यायालय कक्ष	कुल आवासीय इकाइयां
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	13	17	10
2	आंध्र प्रदेश	618	548	647	574
3	अरुणाचल प्रदेश	41	33	29	29
4	असम	485	425	424	371
5	बिहार	2016	1350	1505	1197
6	छत्तीसगढ़	30	30	31	30
7	चंडीगढ़	552	436	475	460
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	3	3
9	दमण और दीव	4	4	5	5
10	दिल्ली	887	709	694	348
11	गोवा	50	40	53	26
12	गुजरात	1582	1151	1524	1341
13	हरियाणा	772	574	561	518
14	हिमाचल प्रदेश	179	163	170	153
15	जम्मू-कश्मीर	314	222	199	122
16	झारखंड	694	505	658	609
17	कर्नाटक	1375	1134	1185	1142
18	केरल	601	471	564	538
19	लद्दाख	17	9	9	6
20	लक्षद्वीप	4	4	3	3
21	मध्य प्रदेश	2028	1642	1543	1681
22	महाराष्ट्र	2190	1940	2350	2055
23	मणिपुर	59	42	43	16
24	मेघालय	99	57	53	26
25	मिजोरम	74	41	47	37
26	नागालैंड	34	24	30	39
27	ओडिशा	1001	814	814	707
28	पुदुचेरी	28	11	36	29
29	पंजाब	797	589	589	625
30	राजस्थान	1587	1249	1338	1137
31	सिक्किम	30	23	20	15
32	तमिलनाडु	1343	1061	1215	1343
33	तेलंगाना	560	419	533	475
34	त्रिपुरा	128	108	82	91
35	उत्तर प्रदेश	3694	2494	2758	2349
36	उत्तराखंड	299	269	253	210
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	836	421
योग		**25189**	**19524**	**21296**	**18741**

स्रोत: एमआईएस पोर्टल (न्याय विभाग)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3990
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के पदों की संख्या

3990. श्री नलीन कुमार कटील :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री दिनेश चन्द्र यादवः :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्रीमती सुमलता अम्बरीश :
श्री डी.के. सुरेश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लगभग चालीस प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और न्यायालय-वार कितने पद स्वीकृत और रिक्त हैं ;

(ख) क्या सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच असहमति ने न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या में वृद्धि की समस्या को बढ़ा दिया है और यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या न्यायाधीशों की कमी के कारण उक्त न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में और वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय/उपाय कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : तारीख 21.03.2023 तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कोई रिक्ति नहीं है । जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, 1114 स्वीकृत पद संख्या में से 785 न्यायाधीश कार्यरत हैं और 329 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं । 329 रिक्तियों में से उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा 119 प्रस्तावों के लिए सिफारिश की गई है, जो सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं और शेष 210 रिक्तियों के लिए सिफारिशें उच्च न्यायालय कॉलेजियम से ग्रहण की जानी हैं । तारीख 21.03.2023 तक स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे उपाबंध पर हैं ।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित करते हुए एक समन्वयकारी और एकीकृत प्रक्रिया है । विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से सलाह और

अनुमोदन अपेक्षित है । राय में भिन्नता यदि कोई हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा पारस्परिक रूप से सांमजस्य स्थापित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायाधीश के उच्च संवैधानिक पद पर केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए ।

प्रत्येक प्रयास शीघ्रता से रिक्तियों को भरने के लिए किया गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण हो रही हैं और न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि भी एक कारण है । सरकार नियत समय में शीघ्रता से रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है ।

मई, 2014 से 2023 (21.03.2023 तक) की अवधि के दौरान 54 न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए थे, 893 नए न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए थे और 646 अपर न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे ।

पिछले तीन वर्षों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में मामलों की लंबितता, संबंधित न्यायालयों में मामलों की लंबितता में वृद्धि/कमी दिखाने वाले विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	**2020**	**2021**	**2022**
उच्चतम न्यायालय*	64,429	96,855	69,598
उच्च न्यायालय**	56,42,567	56,49,068	59,78,714

*स्रोत: क्रमश: तारीख 04.12.2020, 06.12.2021 और 01.12.2022 तक भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबितता ।

**स्रोत: 31 दिसंबर संबंधित वर्ष अर्थात् 2020, 2021 और 2022 तक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड में लंबितता ।

न्यायालयों में मामलों की लंबितता न केवल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी की कारण हैं बल्कि विभिन्न अन्य कारकों के कारण भी है जैसे (i) राज्य और केन्द्रीय विधानों की संख्या में वृद्धि (ii) प्रथम अपील का अंबार (iii) कुछ उच्च न्यायालयों में साधारण सिविल अधिकारिता का जारी रहना (iv) उच्च न्यायालय को अर्ध-न्यायिक मंचों के आदेश के विरूद्ध अपील (v) पुनरीक्षण/अपीलों की संख्या (vi) निरंतर स्थगन (vii) याचिका अधिकारिता के उपयोग का अंधाधुंध उपयोग (viii) मामलों की सुनवाई को मॉनीटर, ट्रैंकिंग और एकत्रिकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी (ix) न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति के कार्यों को सौंपना ।

****

उपाबंध

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों को दिखाने वाला विवरण (21.03.2023 तक)

		स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
क.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**34**			**0**		
ख.	**उच्च न्यायालय**	**पीएमटी.**	**एडीडीएल**	**कुल**	**पीएमटी.**	**एडीडीएल**	**कुल**	**पीएमटी.**	**एडीडीएल**	**कुल**
1	इलाहाबाद	119	41	160	82	21	103	37	20	57
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	26	5	31	2	4	6
3	बॉम्बे	71	23	94	42	23	65	29	0	29
4	कलकत्ता	54	18	72	34	19	53	20	-1	19
5	छत्तीसगढ	17	5	22	9	4	13	8	1	9
6	दिल्ली	46	14	60	45	0	45	1	14	15
7	गुवाहाटी	22	8	30	14	9	23	8	-1	7
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	9	0	9	4	4	8
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	11	4	15	2	0	2
11	झारखंड	20	5	25	20	1	21	0	4	4
12	कर्नाटक	47	15	62	40	13	53	7	2	9
13	केरल	35	12	47	31	6	37	4	6	10
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	31	0	31	8	14	22
15	मद्रास	56	19	75	47	11	58	9	8	17
16	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	ओडिशा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19	पटना	40	13	53	32	0	32	8	13	21
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	27	65	26	-6	20
21	राजस्थान	38	12	50	33	0	33	5	12	17
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	30	2	32	2	8	10
24	त्रिपुरा	4	1	5	2	0	2	2	1	3
25	उत्तराखंड	9	2	11	5	0	5	4	2	6
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**640**	**145**	**785**	**200**	**129**	**329**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4000
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायिक डिजिटलीकरण प्रक्रिया की सुरक्षा

4000. श्री दयानिधि मारन :
श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) न्यायपालिका में डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं के दौरान न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटाइज करने और डाटा और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ;
(ख) सरकार द्वारा कोविड-प्रतिबंधों/ कोविड-सदमे के बाद मामलों से निपटने में न्यायालयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने लंबित मामलों के संबंध में ऑनलाइन वातावरण से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों पर विचार किया है ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) देश में ऑनलाइन सुनवाई का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है ; और
(च) क्या न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि करने और मामलों को तेजी से संसाधित करने के लिए किन्हीं कदमों अथवा प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है यदि हां तो, तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए देश में ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। ई- न्यायालय परियोजना को ई-समिति भारत के उच्चतम न्यायालय और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का चरण I 2011-2015 के दौरान लागू किया गया था। परियोजना का चरण II 2015 में आरम्भ हुआ, जिसके अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को चरण II तक कम्प्यूटरीकृत किया गया है। सरकार ने सभी के लिए न्याय सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन निम्नलिखित डिजिटल पहल की हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, पूरे भारत में 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को संयोजकता प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी 22.38 करोड़ से अधिक मामलों और 20.83 करोड़ (01.03.2023 तक) से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

iii. अनुकूलित मुक्त और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है। वर्तमान में सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 को जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31 जनवरी 2023 तक कुल 1.64करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक 18,407 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया है। जस्टआईएस मोबाइल ऐप अब आईओएस में भी उपलब्ध है।

v. भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा। उच्च न्यायालयों (77,67,596 मामले और अधीनस्थ न्यायालयों में 1,84,95,235 मामले) ने 31.01.2023 तक 2.63 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31.01.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,02,937 सुनवाई की । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं भी समर्थ की गई हैं। 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए 2506 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण के लिए भी निधियाँ जारी किए गए हैं ।वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई हैं।

vi. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है। 21 वर्चुअल न्यायालयों में 2.53 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 33 लाख (3357972) से अधिक मामलों में 31.01.2023 तक 359.34 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है।

vii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। प्रारूप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं। 31.01.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है।

viii. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि को

देय हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है। 21 उच्च न्यायालयों में 31.12.2022 तक न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ix. डिजिटल डिवाइड का सेतु बनाने के लिए, 689 ई-सेवा केंद्रों को वकील या वादी की सुविधा के आशय से शुरू किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है।

x. प्रक्रिया सेवा को समर्थ बनाने वाली प्रौद्योगिकी और सम्मन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। यह वर्तमान में 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में क्रियान्यवित किया गया है।

xi. एक नया "निर्णय खोज"पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय दिन प्रति दिन,और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।

xii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और परिचित बनाने के लिए और "कौशल विभाजन" को संबोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें" पर वकीलों के लिए एक ब्रोशर अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ई-न्यायालय सेवाओं के नाम पर ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 5,13,080 पणधारक सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता भी हैं।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के मामले में अपने विनिश्चय में कहा है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान का भाग 3 द्वारा शासित स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। निजता के अधिकार, सूचना के अधिकार और डेटा सुरक्षा को संतुलित करने के लिए, उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों वाली एक उप-समिति, डोमेन विशेषज्ञों से से मिल कर बनने वाले तकनीकी कार्य समूह के सदस्यों की सहायता से, ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित की गई है जो निजता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए डेटा सुरक्षा के लिए सुरक्षित संयोजकता और प्रमाणीकरण तंत्र का सुझाव/सिफारिश करें। उप-समिति को डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए समाधान देने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन बनाए गए डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा वितरण समाधानों का गंभीर रूप से मूल्यांकन और जांच करना आज्ञापक है।

कोविड अवधि के दौरान, मामलों के स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करने के लिए सीआईएस में एक कोविड - 19 प्रबंधन पैच विकसित किया गया था, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रख सकें और उन मामलों को स्थगित कर सकें जो वाद सूची में अत्यावश्यक नहीं हैं। उपरोक्त पहलों के अतिरिक्त ई-समिति के साथ न्याय विभाग ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कोविड के बाद के मामलों से निपटने में न्यायालयों की स्थिति में सुधार के लिए ई- न्यायालय परियोजना के अधीन की गई पहलों के उपयोग पर जोर दिया है।

वर्चुअल सुनवाई ने न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा किया है। यद्यपि वर्चुअल सुनवाई से संबंधित कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन निम्नलिखित लाभों ने चुनौतियों को पछाड़ दिया है:

- वकील और वादी अपनी पसंद के किसी भी स्थान (दूर-दराज के क्षेत्रों में भी) से न्यायालय में पेश हो सकते हैं।
- इससे समय और धन की काफी बचत होती है और इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त वादियों को मदद मिलती है
- वकील अल्प सूचना पर कई स्थानों पर सुनवाई में भाग ले सकते हैं।
- गवाहों को पेश करना आसान हो जाता है क्योंकि वे अपने सुरक्षित स्थानों पर हो सकते हैं।
- विचाराधीन कैदियों की आवाजाही बहुत ही किफायती और सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है।

इस प्रकार ऑनलाइन सुनवाई से मामलों का तेजी से न्याय होता है जिससे लंबित मामलों में कमी आती है।

(च) : जहां तक न्यायपालिका की संख्या बढ़ाने के कदमों/प्रस्तावों का संबंध है, संघ सरकार की जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की संख्या में चयन, नियुक्ति और/या वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, संबंधित उच्च न्यायालय इसे कुछ राज्यों में करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय इसे अन्य राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन उपबंध के अनुसार, जो उच्च न्यायालय के परामर्श से,संबंधित राज्य सरकार को, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की पद संख्या में वृद्धि करने और/या नियुक्ति के मुद्दे के संबंध में नियम और विनियम विरचित करने का अधिकार देता है।

मामलों के तेजी से प्रसंस्करण के लिए कदमों/प्रस्तावों के संबंध में, मामलों का निपटान विशेष रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई सीधी भूमिका नहीं है। तथापि, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के समय पर निपटान के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 9755.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2023 को 21,271 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2023 को 18,734 हो गई है।

ii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 689 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित

किए गए हैं। 31.01.2023 तक, इन न्यायालयों ने 2.53 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 359 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को सम्मिलित करने का आशय रखता है।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.07.2014 से 21.03.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 54 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 887 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 646 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
20.03.2023	25,189	19522

तथापि,अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है। 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 843 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों क्रियान्यवित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है।

vi. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार ,वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक

विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं

पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**पूर्व-मुकदमेबाजी मामले**	**लंबित मामले**	**सकल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(फरवरी तक)	1,75,98,095	30,25,724	2,06,23,819
कुल	5,58,19,604	1,95,18,262	7,53,37,866

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा**

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	11,46,046	33.43	11,23,504	33.49
पुरुष	22,82,642	66.57	22,31,041	66.51
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	7,31,346	21.33	7,12,646	21.24
ओबीसी	10,08,050	29.40	9,83,336	29.31
एससी	10,86,611	31.69	10,66,037	31.78
एसटी	6,02,681	17.58	5,92,526	17.66
कुल	**34,28,688**		**33,54,545**	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4018
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

4018. श्री दिलेश्वर कामैत :

क्या *विधि और न्याय* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय (एससी) में 1 मार्च, 2023 तक लबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर के उच्च न्यायालयों (एचसी) में 1 मार्च, 2023 तक लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों/बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : एकीकृत वाद प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त डाटा के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में 01 मार्च, 2023 तक लंबित मामलों की संख्या 69,379 हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 01 मार्च, 2023 तक संपूर्ण देश के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए है ।

(ग) : यदयपि, न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है और केन्द्रीय सरकार की इस विषय में कोई भूमिका नहीं है । लंबित मामलों में कमी लाने के लिए न्यायपालिका सहित सभी पणधारियों के सहयोग से नीचे दिए गए ब्यौरे के रुप में कई कदम उठाए गए हैः-

i.न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रही हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, इसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख तक 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 9755.51 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की

संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2023 को 21,271 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2023 को 18,734 हो गई है।

ii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 689 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.01.2023 तक, इन न्यायालयों ने 2.53 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 359 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी पणधारियों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को सम्मिलित करने का आशय रखता है।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 07..03.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 54 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 887 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 646 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
27.03.2023	25,189	19522

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया समितियों की स्थापना की गई है।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है। 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 843 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित

संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है।

vi.लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार ,वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के आज्ञापक पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए संशोधित किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं

पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**पूर्व-मुकदमेबाजी मामले**	**लंबित मामले**	**सकल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(फरवरी तक)	1,75,98,095	30,25,724	2,06,23,819
कुल	5,58,19,604	1,95,18,262	7,53,37,866

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के

साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा**

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	11,46,046	33.43	11,23,504	33.49
पुरुष	22,82,642	66.57	22,31,041	66.51
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	7,31,346	21.33	7,12,646	21.24
ओबीसी	10,08,050	29.40	9,83,336	29.31
एससी	10,86,611	31.69	10,66,037	31.78
एसटी	6,02,681	17.58	5,92,526	17.66
कुल	**34,28,688**		**33,54,545**	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4018 जिसका उत्तर तारीख 24.03.2023 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

01.03.2023 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामले		
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**मामलों की कुल संख्या**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1029326
2	बंबई उच्च न्यायालय	685727
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	206501
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	58576
5	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	252339
6	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	242280
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	91812
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	106391
9	गुजरात उच्च न्यायालय	161480
10	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	92133
11	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	44663
12	झारखंड उच्च न्यायालय	86388
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय	304553
14	केरल उच्च न्यायालय	194559
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	431508
16	मणिपुर उच्च न्यायालय	4942
17	मेघालय उच्च न्यायालय	1165
18	उड़ीसा उच्च न्यायालय	156570
19	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	440784
20	राजस्थान उच्च न्यायालय	642720
21	सिक्किम उच्च न्यायालय	173
22	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1366
23	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	46115
24	मद्रास उच्च न्यायालय	551552
25	पटना उच्च न्यायालय	212647
कुल		**6046270**

स्रोत : - राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड (एनजेडीजी).

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4033
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

सामाजिक रूप से समावेशी न्यायपालिका के लिये सुझाव

4033. श्री तापिर गाव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के सामाजिक प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई डेटा एकत्र करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके न्यायपालिका को सामाजिक रूप से अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार द्वारा उच्च न्यायपालिका को कोई सुझाव दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : अनुशंसाकर्ताओं द्वारा पुनरीक्षित उपाबंध (2018 में पुनरीक्षित) के अनुसार सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसमें उन्हें निर्धारित प्रारूप (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में ब्यौरे प्रदान करने हैं । अत:, 2018 के पश्चात् से डेटा उपलब्ध है। अनुशंसाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, 2018 से 20.03.2023 तक नियुक्त उच्च न्यायालय के 575 न्यायाधीशों में से 67 न्यायाधीश ओबीसी वर्ग के हैं, 17 न्यायाधीश अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, 09 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं और 18 न्यायाधीश अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। .

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता है। हालांकि, सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4047
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निधि

4047. श्री केसिनेनी श्रीनिवास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान रिक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निधि की स्थापना के बाद से केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इसके अंतर्गत कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(ग) भारत में कुल कितने न्यायालयों में इस समय डिजिटल कम्प्यूटर, केन्द्रीयकृत फाइलिंग केन्द्र, वादी के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र, किराए के परिसर और महिलाओं के लिए अलग शौचालय हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : संपूर्ण देश में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्रमश: उपाबंध 1 और उपाबंध 2 पर है ।

(ख) : कोई राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निधि नहीं है । तथापि, वर्ष 1993-94 से सरकार द्वारा न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) लागू की जा रही है । इस स्कीम का उद्देश्य बेहतर न्याय प्रदान करने की सुविधा के लिए देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के भौतिक अवसंरचना में सुधार करना है । स्कीम के अधीन, 8 एनईआर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) को छोड़कर, जहां 90:10 (केन्द्र : राज्य) का अनुपात है, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निधियों को जारी करने का विहित अनुपात 60:40 (केंद्र : राज्य) का है और संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में राज्य का कोई हिस्सा शामिल नहीं है । इस स्कीम के प्रारंभ से अब तक 9812.82 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश जारी किया जा चुका है, जिसमें से 6368.51 करोड़ रुपए (64.90%) वर्ष 2014-15 में जारी किया गया है । अब तक 9812.51 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी करने के विरुद्ध, राज्यों के पास 983.51 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष रकम है, जिसमें राज्य का हिस्सा भी शामिल है ।

(ग) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन अब तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है । डिजिटल कंप्यूटर वाले न्यायालयों का विस्तृत विवरण उपाबंध-3 में

संलग्न है । आज की तारीख तक 615 न्यायालय परिसर किराए पर हैं । विभाग केंद्रीयकृत फाइलिंग केन्द्रों, वादकारियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्रों और महिलाओं के लिए अलग शौचालयों पर केंद्रीय रूप से डाटा नहीं रखता है । तथापि, 2021 में इस विभाग के साथ साझा किए गए न्यायिक अवसंरचना की स्थिति पर भारत के उचचतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार कहा गया है कि 55% न्यायालीय परिसरों में केंद्रीयकृत फाइलिंग काउंटर है, लगभग 33% न्यायालय कक्षों में वकीलों और वादकारियों के लिए निकटवर्ती प्रतीक्षालय और 74% न्यायालय परिसरों में अलग महिला शौचालय हैं ।

****

उपाबंध-1

उच्च न्यायालयों में स्वीकृत/कार्यरत पद संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरों के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4047, जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण (20.03.2023 तक)

		स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
ख.	**उच्च न्यायालय**	**स्थाई**	**अपर**	**कुल**	**स्थाई**	**अपर**	**कुल**	**स्थाई**	**अपर**	**कुल**
1	इलाहाबाद	119	41	160	82	21	103	37	20	57
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	26	5	31	2	4	6
3	बम्बई	71	23	94	42	23	65	29	0	29
4	कलकत्ता	54	18	72	34	19	53	20	-1	19
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	9	4	13	8	1	9
6	दिल्ली	46	14	60	45	0	45	1	14	15
7	गुवाहाटी	22	8	30	14	9	23	8	-1	7
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	9	0	9	4	4	8
10	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	11	4	15	2	0	2
11	झारखंड	20	5	25	20	1	21	0	4	4
12	कर्नाटक	47	15	62	40	13	53	7	2	9
13	केरल	35	12	47	31	6	37	4	6	10
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	31	0	31	8	14	22
15	मद्रास	56	19	75	47	11	58	9	8	17
16	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	उड़ीसा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19	पटना	40	13	53	32	0	32	8	13	21
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	27	65	26	-6	20
21	राजस्थान	38	12	50	33	0	33	5	12	17
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	30	2	32	2	8	10
24	त्रिपुरा	4	1	5	2	0	2	2	1	3
25	उत्तराखंड	9	2	11	5	0	5	4	2	6
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**640**	**145**	**785**	**200**	**129**	**329**

स्रोत : न्याय विभाग की बेवसाइट (नियुक्ति डिविजन द्वारा अदयतन)

उपाबंध-2

उच्च न्यायालयों में स्वीकृत/कार्यरत पद संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरों के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4047, जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण (20.03.2023 तक)

क्रम सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल कार्यरत पदों की संख्या	कुल रिक्तियां
1.	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
2.	आंध्र प्रदेश	618	548	70
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	33	8
4.	असम	485	425	60
5.	बिहार	2016	1350	666
6.	चंडीगढ़	30	30	0
7.	छत्तीसगढ	552	436	116
8.	दादरा और हवेली	3	2	1
9.	दमण और दीव	4	4	0
10.	दिल्ली	887	709	178
11.	गोवा	50	40	10
12.	गुजरात	1582	1151	431
13.	हरियाणा	772	574	198
14.	हिमाचल प्रदेश	179	163	16
15.	जम्मू - कश्मीर	314	222	92
16.	झारखंड	694	505	189
17.	कर्नाटक	1375	1134	241
18.	केरल	601	471	130
19.	लद्दाख	17	9	8
20.	लक्षद्वीप	4	4	0
21.	मध्य प्रदेश	2028	1642	386
22.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23.	मणिपुर	59	42	17
24.	मेघालय	99	57	42
25.	मिजोरम	74	41	33
26.	नगालैंड	34	24	10
27.	ओडिशा	1001	814	187
28.	पुदुचेरी	28	11	17
29.	पंजाब	797	589	208
30.	राजस्थान	1587	1249	338
31.	सिक्किम	30	23	7
32.	तमिलनाडु	1343	1061	282
33.	तेलंगाना	560	419	141
34.	त्रिपुरा	128	108	20
35.	उतार प्रदेश	3694	2494	1200
36.	उत्तराखंड	299	269	30
37.	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
	कुल	**25189**	**19524**	**5665**

स्रोत : एमआईएस पोर्टल (न्याय विभाग)

उपाबंध-3

उच्च न्यायालयों में स्वीकृत/कार्यरत पद संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरों के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4047, जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बम्बई	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमण और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुडुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	उड़ीसा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	कुल		**3452**	**18735**
स्रोत : (ई-न्यायालय डिवीजन)				

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4056
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

मुकदमों पर व्यय

4056. श्री राजकुमार चाहर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादियों द्वारा इलाहाबाद में अपना मुकदमा चलाने के लिए वहन किए जाने वाले काफी अधिक व्यय के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का यात्रा और मुकदमेबाजी के खर्च को बचाने के लिए उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-फाइलिंग और सुनवाई को बढ़ावा देने का विचार है ;

(ग) क्या मामलों की ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कोई पत्र भेजा गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की वैश्विक प्रवृत्ति से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जहां तक न्यायालय शुल्क का संबंध है, न्यायालय में आने वाले सभी वादियों के लिए समान है। हालांकि, परिवहन और अन्य रसद व्यय अतिरिक्त लागतें हैं जो वादियों द्वारा वहन की जाती हैं, जो शहरों के बाहर स्थित हैं, जिसमें न्यायालय स्थित हैं।

(ख) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-II के अधीन, सरकार ने न्याय तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित विभिन्न ई-पहल आरंभ की हैं और इस प्रकार मुकदमेबाजी के खर्च के साथ-साथ यात्रा के समय को कम किया है।

उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है। नए संस्करण में, नया टैब प्रदान किया गया है जो अधिवक्ताओं और वादकारियों को दस्तावेज़ अपलोड करते समय इन-सिस्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपनी शपथ रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। नया संस्करण मेरे भागीदारों के विकल्प सहित, केस फाइलिंग, वकालतनामा, प्लीडिंग, ई-पेमेंट, एप्लिकेशन और पोर्टफोलियो सहित नया डैशबोर्ड प्रदान

करता है। नए संस्करण में प्रदान किया गया सहायता अनुभाग ट्यूटोरियल वीडियो, एफएक्यू और उपयोगकर्ता पुस्तिका प्रदान करता है ।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण लगाने के लिए सरकार ने 119.29 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं। 2506 वीसी केबिन और 14,443 कोर्टरूम के लिए वीसी उपकरण के लिए फंड भी जारी किया गया है। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं। 1732 डॉक्यूमेंट विजुअलाइजर्स की खरीद के लिए 7.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं ।

आईईसी अभियान के भाग रूप में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और जनता को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन उपलब्ध सुविधाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कई पहल की गई हैं, जैसे कि

• ई-समिति वेबसाइट

ई-समिति के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया और सभी हितधारकों के बीच ई-कोर्ट परियोजना से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए डीओजे की वेबसाइट से जोड़ा गया है और जो उच्च न्यायालयों को उनकी उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपलोड करने के लिए सक्षम बनाता है।

• यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, कूह, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता

ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए 'ई-न्यायालय सेवाएं' शीर्षक के अधीन हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 7 क्षेत्रीय भाषाओं में 12 सहायता वीडियो अपलोड किए गए हैं और ई-फाइलिंग पोर्टल सहायता डेस्क के माध्यम से और ई-समिति यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी जागरूकता के भाग के रूप में अधिवक्ताओं के लिए परिचालित किए गए हैं ।

• ई-फाइलिंग के बारे में जागरूकता और परिचय

ई-फाइलिंग पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए विभिन्न वेबिनार आयोजित किए गए। ई-फाइलिंग पर मैनुअल और ब्रोशर ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ई-समिति प्रशिक्षण

आईसीटी पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम राज्यों के न्यायाधीशों, न्यायालयों के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं सहित लगभग 5,13,080 हितधारकों को कवर करते हुए आयोजित किए गए हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है, जो देश भर में 5409 मास्टर ट्रेनरों को पहले ही प्रशिक्षित कर चुके हैं। इन 5409 मास्टर ट्रेनरों ने देश के प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं के लिए उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्ट सेवाओं और ई-फाइलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया और मास्टर ट्रेनर अधिवक्ताओं की पहचान भी की।

(ग) और (घ) : जी हां, माननीय विधि और न्याय मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने तारीख 09.03.2023 के डीओ पत्र के माध्यम से, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति सहित सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखकर इन वर्चुअल सेवाओं को प्रदान करने के लिए सभी न्यायालय परिसरों में वर्चुअल सुनवाई में और ई-सेवा केंद्रों की परिपूर्णता में उनकी भूमिका पर जोर दिया है ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय कार्यवाही संभव नहीं थी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 1,84,95,235 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 31.01.2023 तक 77,67,596 मामलों (कुल 2.62 करोड़) की सुनवाई की। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31.01.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,02,937 सुनवाई की ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4070
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक अदालत

4070. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश के विभिन्न भागों में स्थापित फास्ट ट्रैक अदालतों का राज्य और जिले-वार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कामकाज के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;
(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न फास्ट ट्रैक अदालतों और ग्रामीण अदालतों की स्थापना के बावजूद बड़ी संख्या में मामले अभी भी लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) इन फास्ट ट्रैक अदालतों और ग्रामीण अदालतों की स्थापना के बाद से कितने लंबित मामलों का निपटारा किया गया है ;
(घ) क्या लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार का और अधिक अदालतें स्थापित करने और मौजूदा अदालतों में और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का विचार है ;
(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
(च) समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : देश में त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) और ग्रामीण न्यायालयों सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, जो ऐसे न्यायालयों की आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से स्थापना करती हैं । 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने वर्ष 2015-20 के दौरान गंभीप प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, ज्येष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों, अत्यंत गंभीर रोगो से ग्रसित व्यक्तियों आदि और 5 वर्ष से अधिक से संपत्ति से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) को स्थापित करने की सिफारिश की थी । एफसी ने राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए कर न्यायगमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़ी हुई वित्तीय राशि का उपयोग करने का और आग्रह किया था । संघ सरकार ने भी राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर एफटीसी की स्थापना करने के लिए निधियां आबंटित करने का आग्रह किया है । उच्च न्यायालयों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार तारीख 31-1-2023 की स्थिति के अनुसार 843 एफटीसी कार्य कर रहे है । कार्यशील एफटीसी, निपटाए गए मामलें और चालू वर्ष (जनवरी, 2023) सहित पिछले तीन वर्ष के दौरान इन न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे उपाबंध पर दिए गए है ।

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों जिसके अंतर्गत अक्तूबर, 2019 से बलात्संग और पोस्को से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशिष्टतया बालकों का लैंगिक अपराधों से निवारण (ई-पोस्को) सहित 389 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीसीएस) सम्मिलित है, की स्थापना के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रही है । प्रारंभतः, यह स्कीम वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में एक वर्ष की अवधि के लिए थी । परियोजना की कुल लागत 767.25करोड़ रुपए थी, जिसमें केन्द्र का भाग 474करोड़ रुपए था जिसे निर्भया निधि से वित्तपोषित किया जाना था । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा स्कीम का तृतीय पक्षकार मूल्यांकन किया गया था, उसने स्कीम को 2 वर्ष के लिए जारी रखने की सिफारिश की । मंत्रिमंडल ने 1572.86करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत 971.70 करोड़ रुपए का केन्द्र का भाग सम्मिलित है, के बजटीय परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2023 तक स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 764 एफटीएससी जिसके अंतर्गत 411 अनन्य पोस्को न्यायालय है, 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यशील है जिन्होंने 1,44,000 से अधिक मामलों का निपटान कर दिया है जबकि 31 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार इन न्यायालयों में 1,98,563 मामलें लंबित है । 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र इस स्कीम में सम्मलित हुए है । 21 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में एफटीएससी पूर्णतया कार्यशील है, 7 राज्यों में एफटीएससी भागतः प्रचालनशील है जबकि 3 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह अभी इस स्कीम में सम्मिलित नहीं हुए है । इस स्कीम के प्रारंभ होने से लेकर 31.03.2023 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 633.7 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है ।

(च) : मामलों का निपटान अनन्य रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है । तथापि, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के समय पर निपटान के लिए समुचित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहलें की है, जो इस प्रकार है :

i. न्यायिक अवसंरचना के लिए केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अधीन न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों, जो अधिवक्ताओं और मुकद्दमेबाजी के कार्य को सरल बनाने और न्याय के परिदान में सहायता करने के लिए लक्ष्यित है, के संनिर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की गई है । आज की तारीख तक वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ होने से लेकर 9755.51करोड़ रुपए जारी कर दिए गए है । इस स्कीम के अधीन तारीख 30-6-2014 को न्यायालय हालों की संख्या 15,818 से बढ़कर तारीख 28.02.2023 को 21,271 हो गई हैं और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 28.02.2003 की स्थिति के अनुसार 18,734 हो गई है ।

ii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालय को आईटी समर्थ बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को बढ़ावा दिया गया है । कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4 % न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएएन संपर्कता उपलब्ध करा दी गई है । 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो संगोष्ठी सुविधा प्रदान की गई है । मामला प्रास्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करना, न्यायालय/मामले से संबंधित सूचना प्राप्त करने और ई-फाइलिंग सुविधाएं प्राप्त करने जैसी सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायालयों और मुकद्दमेबाजों को सहायता प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 689 ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए गए है । 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों की स्थापना की गई है । तारीख 31.1.2023 की स्थिति के अनुसार, इन न्यायालयों ने 2.53करोड़ मामलें देखें और जुर्माने के रूप में 359 करोड़ रुपए की वसूली की । ई-न्यायालय चरण-III प्रारंभ होने को है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और

ब्लाक-चेन जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करने की वांछा करती है जिससे न्यायालय परिदान अधिक सशक्त, सरल और सभी पणधारियों के लिए पहुंचनीय होगा ।

iii. सरकार उच्चतर न्यायापालिका में नियमित रूप से पदों को भर रही है । तारीख 01.05.2014 से तारीख 07.03.2023 तक उच्चतम न्यायालय ने 54 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी । उच्च न्यायालयों में 887 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी और 646 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया । उच्च न्यायालयों में मई, 2014 में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 906 से बढ़ाकर इस समय 1114 कर दिया गया है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कार्यशील संख्या को नीचे दिए अनुसार बढ़ाया गया है :

की स्थिति के अनुसार	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यशील संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
20.03.2023	25,189	19,522

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आता है ।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक के लिए लंबित मामलों का निपटान करने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयो में बकाया समितियों की स्थापना की गई है । बकाया समितियां इसके साथ जिला न्यायालयों के अधीन भी स्थापित की गई है।

v. 14वें वित्त आयोग के तत्वाधान में सरकार ने जघन्य अपराधों, ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है । तारीख 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं, बालकों आदि के विरुद्ध अपराधों के लिए 843 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यशील है । निर्वाचित सांसदों/विधायकों को अंतर्वलित करने वाले दांडिक मामलों के लिए 9 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 10 विशेष न्यायालय कार्यशील है ।

vi. न्यायालयों में लंबन और भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में पराक्रम्य लिखित (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसी विभिन्न विधियों का संशोधन किया गया है ।

vii. संपूर्ण रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का संवर्धन किया गया है । तद्नुसार, पूर्व सांस्थानिक माध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) को वाणिज्यक विवादों की दशा में आज्ञापक बनाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया था । माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन समय-सीमा विहित करके विवादों की शीघ्रता और तेजी से समाधान करने के लिए संशोधन किया गया है ।

viii.सामान्यजन को उपलब्ध लोक अदालत एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां विधि के न्यायालय के समक्ष लंबित विवादों/मामलों या पूर्व मुकद्दमा प्रक्रम पर लंबित मामलों का निपटान/सौहार्दपूर्ण निपटान किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा किए गए पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकर होती है तथा किसी न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है । लोक अदालत एक स्थायी स्थापन नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ किसी पूर्व नियत तारीख को किया जाता है । पिछले तीन वर्ष के दौरान लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :-

वर्ष	**पूर्व मुकद्दमा मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010

2023 (फरवरी तक)	1,75,98,095	30,25,724	2,06,23,819
कुल	**5,58,19,604**	**1,95,18,262**	**7,53,37,866**

ix. सरकार ने वर्ष 2017 में एक टैली-ला कार्यक्रम आरंभ किया जो वीडियो संगोष्ठी, टेलीकोम और बातचीत सुविधाएं, जो ग्राम पंचायत में और टैली-ला मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, पैनल अधिवक्ताओं के साथ विधिक सलाह और परामर्श की इच्छा रखने वाले जरुरतमंद और कमजोर वर्गों को प्रभावी और भरोसेमंद ई-इंटरफेस प्लेटफार्म उपलब्ध करवाकर जोड़ता है ।

***टैली-ला डाटा का प्रतिशतवार ब्रेकअप**

28 फरवरी, 2023 तक	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**प्रतिशतवार ब्रेकअप**	**सलाह समर्थ**	**प्रतिशतवार ब्रेकअप**
लिंगवार				
महिला	11,46,046	33.43	11,23,504	33.49
पुरूष	22,82,642	66.57	22,31,041	66.51
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	7,31,346	21.33	7,12,646	21.24
अन्य पिछड़ा वर्ग	10,08,050	29.40	9,83,336	29.31
अजा	10,86,611	31.69	10,66,037	31.78
अजजा	6,02,681	17.58	5,92,526	17.66
कुल	**34,28,688**		**33,54,545**	

x. जनहित संस्कृति और जनहित अधिवक्ताकरण के देश में संस्थाकरण करने के लिए प्रयास किए गए है । एक प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है जिसमें अधिवक्ता स्वैच्छा से जनहित कार्य को करने के लिए अपना समय और सेवा देने के लिए जनहित अधिवक्ता के रूप में न्यायबंधु (एंड्रायड एंड आईओएस और ऐप्स) पर रजिस्टर कर सकते है । न्यायबंधु सेवा उमंग मंच पर भी उपलब्ध है । राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं के जनहित पैनल को आरंभ किया गया है । नए आने वाले अधिवक्ताओं में जनहित संस्कृति उत्पन्न करने के लिए 69 चुनिंदा विधिक विद्यालयों में जनहित क्लब आरंभ किए गए है।

****

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4070 जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के लिए उपाबंध

वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय, निपटाए गए मामले और लंबित मामलों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020			2021			2022			जनवरी, 2023		
		त्वरित निपटान न्यायालय (31st दिसंबर तक)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	लंबित मामले (31, दिसंबर तक)	त्वरित निपटान न्यायालय (31, दिसंबर तक)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	लंबित मामले (31, दिसंबर तक)	त्वरित निपटान न्यायालय (31, दिसंबर तक)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	लंबित मामले (31, दिसंबर तक)	त्वरित निपटान न्यायालय (31, दिसंबर तक)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	लंबित मामले (31, दिसंबर तक))
1	आंध्र प्रदेश	21	1177	10069	21	312	10069	22	1446	6855	22	111	7446
2	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	14	2615	10108	16	3780	9356	16	7413	10750	18	540	11049
5	बिहार	33	1759	58636	0	1603	69792	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़		0		0			0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	23	2877	15310	23	5324	17779	23	4158	5330	23	262	5349
8	दादर और नागर हवेली		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	5	393	40733	7	223	48520	10	1019	4057	10	75	4084
10	दीव और दमण	0	0		0			0	0	0	0	0	0
11	गोवा	0	130	0	0	59974	0	4	7114	2215	4	940	2288
12	गुजरात	0	462	33560	35	37102	35335	54	3784	6791	51	464	6730
13	हरियाणा	5	825	58511	6	899	65337	6	433	873	6	42	668
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	15618	0	5	5102	3	313	497	3	12	495
15	जम्मू-कश्मीर	1	27	0	4	391	0	4	54	686	4	2	691
16	झारखंड	40	624	14507	6	861	19371	34	2417	7836	34	268	7813
17	कर्नाटक	13	210	38365	18	2051	39458	0	1257	0	0	0	0
18	केरल	23	217	100479	28	2333	114020	0	1650	0	0	0	0
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	2	1	15584	0	0	25769	1	59	193	0	0	0
22	महाराष्ट्र	116	63470	52079	110	114254	67315	111	118311	158149	111	8506	162135
23	मणिपुर	6	45	634	6	73081	634	6	316	360	6	16	351
24	मेघालय	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	2	179	0	2	1758	0	2	221	223	2	8	230
26	नगालैंड	1	3	66	0	3	153	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	0	0	39670	19	234	44689	0	304	0	0	0	0

28	पुदुचेरी	0	0	1535	0	0	1452	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	7	85	52198	7	471	85061	7	248	255	7	31	251
30	राजस्थान	0	0	44222	0	32	46048	0	0	0	0	0	0
31	सिक्कीम	2	5	188	2	5	195	2	20	14	2	1	14
32	तमिलनाडु	73	9389	29970	74	7865	32519	73	24993	107346	73	1363	107788
33	तेलंगाना	29	1525	15469	35	2849	18095	0	2645	0	0	0	0
34	त्रिपुरा	11	100	2551	11	347	3604	3	386	1393	3	15	1382
35	उत्तर प्रदेश	389	148466	413176	376	86013	396462	372	333049	1086490	372	36578	1115130
36	उत्तराखंड	4	170	15119	4	215	15997	7	554	1532	4	40	932
37	पश्चिमी बंगाल	87	5202	0	88	3172	1166	88	21065	72824	88	1900	74016
	कुल	**907**	**239956**	**1078357**	**898**	**405168**	**1173298**	**848**	**533229**	**1474669**	**843**	**51174**	**1508842**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4119
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल का उपयोग

4119. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के साथ- साथ इसकी मदुरै न्यायपीठ में तमिल भाषा को राजभाषा बनाए जाने की मांग पर कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी राज्यों को उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले; और

(ग) क्या सरकार उच्चतर न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(क) में कथन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी । संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) में कथन किया गया है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में,जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है,हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग की होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय में यह बताया गया है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी केसिवाय किसी अन्य भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर प्राप्त करनी होती है ।

भारत सरकार को क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के उपयोग को अनुज्ञात करने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक की सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन प्रस्तावों पर भारत

के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी और यह सूचित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने का विनिश्चय किया ।

तमिलनाडु सरकार से अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पूर्व के विनिश्चय के पुनर्विलोकन करने और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति देने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने बताया कि पूर्ण न्यायालय ने व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करने का विनिश्चय किया और माननीय न्यायालय के पूर्व के विनिश्चय को दोहराया ।

सरकार आदेशों और अन्य विधिक सामग्रियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करके विधिक मामलों को आम नागरिकों के लिए अधिक व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में 'भारतीय भाषा समिति' का गठन किया है। प्रादेशिक भाषाओं में विधिक सामग्री का अनुवाद करने के प्रयोजन से समिति सभी भारतीय भाषाओं के करीब एक सामान्य कोर शब्दावली विकसित कर रही है।

(ख) और (ग) : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है । तथापि, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के परामर्श से सरकार उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ में सभी राज्यों से समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए भी प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में सामाजिक विविधता संबंधी डाटा को पुनरीक्षित उपाबंध (2018 में पुनरीक्षित) के अनुसार संस्थागत किया गया है, जिसमें सिफारिशकर्ताओं को विहित प्रारूप (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के संबंधी विवरण प्रदान करना है। अत:, 2018 से डाटा को बनाए रखा गया है । 2018 से नियुक्त किए गए उच्च न्यायालय के 575 न्यायाधीशों में से 444 न्यायाधीश सामान्य प्रवर्ग, 67 ओबीसी प्रवर्ग, 17 न्यायाधीश अनुसूचित जाति प्रवर्ग, 09 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग और 18 न्यायाधीश अल्पसंख्यक प्रवर्ग के हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4129
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

4129. श्री राम चरण बोहरा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) न्यायपालिका हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इस संबंध में हितधारकों और न्यायालयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा की गई टिप्पणियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) की स्थापना का उपबंध करता है, जिसमें जिला न्यायाधीश से नीचे का कोई पद सम्मिलित नहीं होगा । सांविधानिक उपबंध जिला न्यायाधीश स्तर पर एआईजेएस के सृजन को समर्थ बनाता है । सरकार की दृष्टि में, समग्र न्याय परिदान प्रणाली को सशक्त करने के लिए उचित तौर पर विरचित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा महत्वपूर्ण है । यह नए अर्हित अधिवक्ताओं को समुचित रूप से सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करेगा, जिनका चयन समुचित अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, इसके साथ समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व को समर्थ करके उनको सामाजिक रूप से समाविष्ट करने के मुद्दे पर भी ध्यान देगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव की विरचना की गई थी और इसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । देश में सर्वोत्तम प्रतिभा को आकृष्ट करने के अतिरिक्त, इससे सीमांत वर्गों और महिलाओं में से सक्षम व्यक्तियों को न्यायपालिका में सम्मिलित करने को भी सुकर बनाया जा सकेगा । इस प्रस्ताव को अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में भी एक कार्यसूची मद के रूप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया कि इस मुद्दे पर और चर्चा तथा विचार करने की आवश्यकता है ।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार भी मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मत में भिन्नता थी । जबकि, कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि, कुछ अन्य, केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे ।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती करने में सहायता करने और सभी स्तर पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित मामले को मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में, जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित की गई थी, की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया कि इस पर जिला न्यायाधीशों के पदों पर शीघ्रता से नियुक्ति करने के लिए रिक्तियों को भरने हेतु विद्यमान प्रणाली में समुचित विधि तैयार करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के प्रस्ताव को उस पर उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों के साथ 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था ।

एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर पात्रता, आयु, चयन मानदंड, अर्हता, आरक्षण आदि के बिन्दुओं पर 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का महा-सालिसिटर, न्याय विभाग के सचिव, विधि कार्य विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव की उपस्थिति में पुन: चर्चा की गई । मार्च, 2017 में संसदीय सलाहकार समिति और तारीख 22.02.2021 को आयोजित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बैठक में भी एआईजेएस की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया ।

मुख्य पणधारियों के बीच मत की विद्यमान भिन्नता को दृष्टि में रखते हुए, वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करने के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं हुई है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4132
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

ई-लोक अदालत की प्रभावकारिता

4132. सुश्री देबाश्री चौधरी :
श्रीमती संगीता आज़ाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) वर्तमान में विभिन्न राज्यों में कार्यशील ई-लोक अदालतों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य और जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला स्तर की न्यायालयों में न्यायालय और राज्य-वार मामलों की संख्या और लंबित मामलों की दर क्या है ;
(ग) ई-लोक अदालत उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में किस हद तक सफल रही है ;
(घ) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों और जिला स्तर की अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए पूरे भारत में और अधिक 'ई-लोक अदालतें स्थापित करने का विचार है;
(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा और निर्धारित लक्ष्य तथा उक्त न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान के संबंध में वांछित परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में नागरिकों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने के लिए ई-लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : पहली ई-लोक अदालत मध्य प्रदेश में 27.06.2020 को आयोजित की गई थी । उत्तर प्रदेश सहित 28 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जून, 2020 से जनवरी, 2023 तक आयोजित ई-लोक अदालतों का ब्यौरा **उपाबंध-क** पर है ।

(ख) : प्रत्येक पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यायालय और राज्य-वार, उच्च न्यायालय और जिला स्तर के न्यायालयों में मामलों के लंबन के कथन का ब्यौरा क्रमश: **उपाबंध-ख** और **उपाबंध-ग** पर है ।

(ग) : लोक अदालत, उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों के बढ़ते बकाया को रोकने में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र का सबसे प्रभावी तरीका है । जून 2020 से जनवरी, 2023 के दौरान ई-लोक अदालतों द्वारा 46.07 लाख पूर्व-मुकद्दमेबाजी मामलों और 15.02 लाख लंबित मामलों का निपटान किया गया ।

(घ) से (ङ) : लोक अदालत स्थायी स्थापन नहीं है और न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने तथा पूर्व-मुकद्दमेबाजी स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए आवश्यक अंतराल पर आयोजित की

जाती है । कोविड महामारी के दौरान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वाधान में, विधिक सेवा प्राधिकरणों ने बड़ी प्रवीणता के साथ एकीकृत तकनीकी से लोक अदालत को आभासी मंच की ओर स्थानान्तरित किया, जिसे ई-लोक अदालतें के रूप में जाना जाता है । चूंकि ई-लोक अदालतें, नियमित ई-लोक अदालतों के साथ-साथ आयोजित की जाती हैं, विभिन्न न्यायालयों या न्यायाधिकरणों और संस्थानों द्वारा पूर्व-मुकद्दमेबाजी मामलों के लिए विनिर्दिष्ट मामलों की मात्रा के आधार पर पीठों का गठन किया जाता है ।

(च) : ई-लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों में, ई-लोक अदालत के संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया, सिस्टम के माध्यम से अधिकारियों द्वारा न्यायालय के कर्मचारिवृंद को तकनीकी प्रशिक्षण, वादकारियों, अधिवक्ताओं और प्रत्यर्थियों के लिए वाट्सऐप ग्रुप, जिससे उन्हें ई-लोक अदालतों में भाग लेने के लिए सुसंगत सूचना/लिंक प्रदान की जाए और जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित वीडियो कान्फ्रेंसिंग लिंक तथा वाद सूची, शामिल हैं ।

****

उपाबंध-क

ई-लोक अदालत की प्रभावकारिता के संबंध में सुश्री देबाश्री चौधरी और श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाया गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 4132, जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :

जून, 2020 से जनवरी, 2023 तक आयोजित ई-लोक अदालतों का ब्यौरा दर्शित करने वाला विवरण							
क्र.सं.	**राज्य प्राधिकरण का नाम**	**पूर्व-मुकद्दमेबाजी मामले**		**न्यायालयों में लंबित मामले**		**योग**	
		लिए गए	**निपटान**	**लिए गए**	**निपटान**	**लिए गए**	**निपटान**
1	आंध्र प्रदेश	661	214	22,072	15,500	22,733	15,714
2	अरुणाचल प्रदेश	141	18	67	23	208	41
3	बिहार	58,182	17,469	9,023	3,078	67,205	20,547
4	छत्तीसगढ	13,052	7,739	14,087	8,661	27,139	16,400
5	गोवा	0	0	170	65	170	65
6	गुजरात	2,44,476	1,39,067	37,738	20,945	2,82,214	1,60,012
7	हरियाणा	3,755	3,625	9,565	4,985	13,320	8,610
8	हिमाचल प्रदेश	2,72,292	11,688	416	244	27,2,708	11,932
9	जम्मू-कश्मीर	2,281	1,575	8,923	6,291	11,204	7,866
10	झारखंड	1,81,033	1,17,468	58,832	37,411	2,39,865	1,54,879
11	कर्नाटक	20,558	11,885	3,02,404	1,76,527	3,22,962	1,88,412
12	केरल	3,985	986	35,541	25,271	39,526	26,257
13	मध्य प्रदेश	3,661	312	36,592	8,385	40,253	8,697
14	महाराष्ट्र	2,37,67,045	41,35,134	87,90,833	10,07,872	3,25,57,878	51,43,006
15	मणिपुर	881	738	172	91	1,053	829
16	मेघालय	133	33	25	8	158	41
17	मिजोरम	1,856	283	168	47	2,024	330
18	ओडिशा	23,806	1,143	24,272	4,236	48,078	5,379
19	पंजाब	5,327	536	9,387	6,639	14,714	7,175
20	राजस्थान	36,725	6,438	57,865	29,674	94,590	36,112
21	सिक्किम	1,136	260	235	59	1,371	319
22	तेलंगाना	887	862	12,450	10,408	13,337	11,270
23	त्रिपुरा	2,350	505	1,472	169	3,822	674
24	**उत्तर प्रदेश**	**2,01,448**	**1,33,939**	**65,569**	**40,214**	**2,67,017**	**1,74,153**
25	उत्तराखंड	3,591	408	12,168	4,210	15,759	4,618
26	पश्चिमी बंगाल	15,657	1,927	12,281	9,032	27,938	10,959
27	चंडीगढ़	0	0	70	12	70	12
28	दिल्ली	16,167	13,243	95,624	82,099	1,11,791	95,342
	कुल योग	**2,48,81,086**	**46,07,495**	**96,18,021**	**15,02,156**	**3,44,99,107**	**61,09,651**

उपाबंध-ख

ई-लोक अदालत की प्रभावकारिता के संबंध में सुश्री देबाश्री चौधरी और श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाया गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 4132, जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :

प्रत्येक पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में मामलों के लंबन संबंधी कथन (राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार)						
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**31.12.2018 को लंबित मामले**	**31.12.2019 को लंबित मामले**	**31.12.2020 को लंबित मामले**	**31.12.2021 को लंबित मामले**	**31.12.2022 को लंबित मामले**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	939475	944657	773408	803567	1032228
2	बंबई उच्च न्यायालय	287864	305962	559119	569018	610734
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	231576	228060	267431	225449	207898
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	33445	37243	51901	55649	58501
5	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	-	206413	236852	256518	254089
6	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	354833	193594	207762	222842	240238
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	63574	69316	75836	81001	91184
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	74536	80950	91195	100068	105271
9	गुजरात उच्च न्यायालय	114962	129184	142803	152130	161929
10	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	36177	54452	73862	82238	91210
11	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	64042	71693	63468	47761	44526
12	झारखंड उच्च न्यायालय	88932	58272	88445	88371	87992
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय	357604	271929	293259	265946	304444
14	केरल उच्च न्यायालय	192754	196823	214384	212525	197314
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	331388	357929	362932	413467	429743
16	मणिपुर उच्च न्यायालय	3062	2468	4374	4817	4865
17	मेघालय उच्च न्यायालय	782	757	1443	1578	1188
18	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	337231	353888	637148	447690	447886
19	राजस्थान उच्च न्यायालय	285012	459828	523600	574064	633787
20	सिक्किम उच्च न्यायालय	252	234	241	180	165
21	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	2977	2586	2347	1736	1601
22	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	34049	35407	38676	41922	45023
23	मद्रास उच्च न्यायालय	293004	272722	580770	579742	550083
24	उड़ीसा उच्च न्यायालय	167909	150562	172476	195161	164709
25	पटना उच्च न्यायालय	153486	172425	178835	225628	212106
योग		**4448926**	**4657354**	**5642567**	**5649068**	**5978714**

उपाबंध-ग

ई-लोक अदालत की प्रभावकारिता के संबंध में सुश्री देबाश्री चौधरी और श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाया गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 4132, जिसका उत्तर 24.03.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :

प्रत्येक पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला न्यायालयों में मामलों के लंबन संबंधी कथन (राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार)

क्र.सं0	राज्य	31.12.2018 को लंबित मामले	31.12.2019 को लंबित मामले	31.12.2020 को लंबित मामले	31.12.2021 को लंबित मामले	31.12.2022 को लंबित मामले
1	आंध्र प्रदेश	1068400	567096	635220	773952	829147
2	तेलंगाना		580193	674301	805622	1059401
3	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	10229	9795	-	-	11886
4	अरुणाचल प्रदेश	9652	10658	-	-	
5	असम	291960	301427	357197	417788	488800
6	बिहार	2502204	2714344	3158070	3379229	3445159
7	चंडीगढ़	56357	62955	57418	69502	79526
8	छत्तीसगढ़	267429	285025	324273	376220	411599
9	दिल्ली	834813	882366	955850	1082415	1293571
10	दीव और दमन	5468	5344	2777	2878	2901
11	दादरा और नागर हवेली			3502	3681	3770
12	गोवा	42783	49049	56545	59370	56375
13	गुजरात	1447459	1595813	1890667	1951550	1743723
14	हरियाणा	728097	853375	1100904	1281697	1458270
15	हिमाचल प्रदेश	256640	293706	416564	455949	476137
16	जम्मू-कश्मीर	163520	172769	215803	243026	299716
17	झारखंड	330607	365642	438567	495108	519156
18	कर्नाटक	1494608	1531008	1746886	1823103	1893265
19	केरल	1652509	1614277	1798342	1943255	1933363
20	लद्दाख	-	-	749	824	1154
21	मध्य प्रदेश	1354602	1455435	1690053	1876194	2000268
22	महाराष्ट्र	3531425	3821487	4516311	4881718	4982911
23	मणिपुर	6216	6516	10794	12802	12269
24	मेघालय	13584	13673	10403	14622	16135
25	मिजोरम	6154	6589	4699	5882	5142
26	नागालैंड	4994	3361	1539	2603	2966
27	ओडिशा	1319031	1433522	1382538	1519106	1559338
28	पुदुचेरी	27161	30094	-	34029	29831
29	पंजाब	602014	642327	814538	918858	922360
30	राजस्थान	1732308	1769823	1830462	2029814	2123475
31	सिक्किम	1208	1142	1570	1926	1843
32	तमिलनाडु	1084286	1137684	1288573	1363917	1432575
33	त्रिपुरा	58261	27491	41032	39204	40012
34	लक्षद्वीप	364	397	-	-	-
35	उत्तर प्रदेश	6987417	7807863	8572092	9822224	10973480
36	उत्तराखंड	232338	195281	260564	301001	327350
37	पश्चिमी बंगाल	1950492	2048697	2380633	2589993	2772290
	योग	**30074590**	**32296224**	**36639436**	**40579062**	**43209164**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4136
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

त्वरित विशेष न्यायालयों का आकलन

4136. श्री जय प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का विचार स्वयं द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश भर में स्थापित त्वरित विशेष न्यायालयों के कार्यकरण का आकलन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को आगे भी जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क से घ) : दंड़ विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की है, जिसमें अक्टूबर 2019 से बल्तासंग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 389 अनन्य लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण (इ-पॉक्सो) न्यायालय शामिल हैं । यह स्कीम प्रारंभ में, एक वर्ष की अवधि के लिए थी जिसे दो वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 तक बढाई गई थी । इस परियोजना की कुल लागत निर्भया निधि से दी जाने वाली निधि की केन्द्रीय हिस्सेदारी 474 करोड़ रुपये के साथ 767.25 करोड़ रुपये थी । स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा किया गया था जिसने योजना को 2 वर्षों तक जारी रखने की सिफारिश की थी । मंत्रिमंडल ने 1572.86 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 31 मार्च 2023 तक योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है जिसमें केन्द्रीय हिस्सेदारी 971.70 करोड़ रुपये शामिल है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 411 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 764 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिन्होंने 31 जनवरी, 2023 तक 1,44,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है, जबकि 1,98,563 मामले इन न्यायालयों में लंबित हैं । 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र स्कीम में शामिल हो गए हैं ।

21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय पूरी तरह कार्यरत हैं, 7 राज्यों में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय भागत: कार्यरत हैं, जबकि 3 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह को इस स्कीम में शामिल होना है । 633.7 करोड़ रुपये की राशि स्कीम की शुरुआत से लेकर 31.03.2023 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई है ।

स्कीम को और जारी रखने के लिए, पहले कदम के रूप में, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और रक्षा के सर्वोपरि महत्व पर विचार करते हुए, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय का तृतीय पक्ष मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम को जारी रखने के लिए सिफारिश की गई है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4839
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों की अतिरिक्त पीठ

4839. एडवोकेट अद्दूर प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को उच्च न्यायालयों की अतिरिक्त पीठों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए निर्णय लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस बात को देखते हुए कि ई-न्यायालय कार्यक्रम कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है, किसी उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों को मंजूरी देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट याचिका (सिविल) सं. 2000 की 379 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसरण में उच्च न्यायालय की न्यायपीठें राज्य सरकार के संपूर्ण प्रस्ताव, जिसे अवसंरचना सुविधाओं और आवश्यक व्ययों का उपबंध करना है, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करना अपेक्षित है, पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् स्थापित की जाती हैं । प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ(पीठों) को स्थापित करने का सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

ई-न्यायालय कार्यक्रम का उच्च न्यायालयों के न्यायपीठ (पीठों) के स्थापन से कोई सीधा संबंध नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4846
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में अवसंरचनात्मक और मूलभूत सुविधाओं की कमी

4846. श्री संजय काका पाटील :

श्री मारगनी भरत :

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत :

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) द्वारा शुरू की जाने वाली, सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे जिला / अधीनस्थ न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है जिनमें न्यायालय कक्ष, डिजिटल कम्प्यूटर कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली वाले पुस्तकालय, पेयजल के लिए जल शोधक, चिकित्सा सुविधाएं और महिलाओं के लिए पृथक शौचालय आदि जैसी बुनियादी अवसंरचना और सुविधाओं का अभाव है ;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत उन अधीनस्थ न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां उक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(घ) उक्त योजना के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत आबंटित, संस्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा विधिक कार्य को सुगम बनाने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्याय सुलभ बनाने के लिए, न्यायिक अवसंरचना में सुधार करने हेतु क्या कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : तारीख 30.04.2022 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई और इसके बजाय राज्य स्तर पर न्यायिक अवसंरचना के लिए एक समिति बनाने पर सहमति हुई थी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अपने नामनिर्देशिती रखेंगे और निकट समन्वय में काम करेंगे । अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), 1993-94 से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई है और राज्य स्तरीय मानीटरी समिति, जिसमें उच्च न्यायालय और राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे, जो न्यायिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय प्रगति की मानीटरी करेंगे । यह योजना जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय निवास के निर्माण के लिए परियोजनाओं पर काम करती है और वर्ष 2021-22 के बाद से इस स्कीम में 3 नए घटक, अर्थात् वकीलों के हॉलों, शौचालय परिसरों तथा वकीलों और वादकारियों की सुविधा के लिए डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण, सम्मिलित किए गए हैं ।

(ख) और (ग) : राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 19,522 न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के विरुद्ध, 21,297 न्यायालय कक्ष उपलब्ध हैं । विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, पुस्तकालयों, पीने के पानी के लिए जल शोधक, चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं के लिए अलग शौचालय आदि की राज्यवार उपलब्धता पर डाटा संकलित नहीं करता है । तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में इस विभाग के साथ साझा किया गया, 27% न्यायालय कक्षों में न्यायाधीश की डायस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ कंप्यूटर रखा गया है, 51% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय हैं, 54% न्यायालय परिसरों में जलशोधन के साथ पेयजल की सुविधा है, 5% न्यायालय परिसर मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हैं और 74% न्यायालय परिसरों में अलग महिला शौचालय हैं । इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन, तारीख 31.03.2023 तक, कुल 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटर प्रदान किए गए हैं, 2976/2992 (99.4%) न्यायालय परिसरों को ई-न्यायालय वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) से जोड़ा गया है । डिजिटल कंप्यूटर वाले न्यायालयों का विस्तृत ब्यौरा **उपाबंध** में दिया गया है ।

(घ) और (ङ) : न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधियों की हिस्सेदारी निर्धारित अनुपात में जारी की गई है, जो, 8 एनईआर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश), जहां अनुपात 90:10 है और संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में, कोई राज्य हिस्सा शामिल नहीं है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 (केंद्रीय : राज्य) है । स्कीम के अधीन, 1993-94 में इसके प्रारंभ से अब तक,

9815.09 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की जा चुकी है, जिनमें से, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 805.69 करोड़ रुपए सहित 2014-15 से अब तक 6370.78 करोड़ रुपये (64.91%) जारी किए जा चुके हैं । आज तक इस स्कीम के अधीन 21,297 न्यायालय कक्ष और 18,752 आवासीय इकाइयां बनाकर उपलब्ध कराई गई हैं । वर्ष 2021 से, न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के नए डिजिटल संघटक, वकीलों के हॉल और शौचालय परिसरों को उपरोक्त सीएसएस की परिधि के अधीन लाया गया है ।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां तभी जारी की जाती है, जब उनके परियोजना प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सीपीडब्ल्यूडी/अक्षम व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यथा अधिकथित अक्षम अनुकूल मानदंडों/पहुंच मानकों का अनुपालन करते हैं । सीएसएस दिशा-निर्देशों के भागरूप में राज्यों से इस आशय का प्रमाणपत्र भी मांगा जाता है । इस स्कीम के अधीन राज्यों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की पर्याप्त स्वतंत्रता है, जिसमें वे सुविधाएं भी शामिल हैं, जो न्यायालयों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकती हैं ।

****

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 4846, जिसका उत्तर 31.03.2023 को दिया जाना है, न्यायालय परिसरों और न्यायालयों के उच्च न्यायालयों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र. सं.	**उच्च न्यायालय**	**राज्य**	न्यायालय परिसर	**न्यायालय**
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बंबई	दादरा और नगर हवेली	1	3
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू - कश्मीर तथा लद्दाख	जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363

15	मद्रास	पुदुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	ओडिशा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	योग		**3452**	**18735**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4852
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट

4852. श्री राजवीर दिलेर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए जघन्य अपराधों के मामलो में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना करना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, ऐसे न्यायालयों की आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्थापना करती हैं । 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने वर्ष 2015-20 के दौरान गंभीर प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, ज्येष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों, अत्यंत गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों आदि और 5 वर्ष से अधिक से संपत्ति से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी), जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 212 त्वरित निपटान न्यायालय सम्मिलित हैं, को स्थापित करने की सिफारिश की थी । वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए कर न्यायगमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़ी हुई वित्तीय राशि का उपयोग करने का और आग्रह किया था । संघ सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर, एफटीसी की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां आबंटित करने का आग्रह किया है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, तारीख 31-1-2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 372 एफटीसी कार्य कर रहे हैं ।

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, अक्तूबर, 2019 से, बलात्संग और पोस्को अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए बालकों का लैंगिक अपराधों से निवारण संबंधी 389 अनन्य न्यायालयों (ई-पोस्को) सहित, 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना के लिए, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रही है । यह स्कीम, प्रारंभ में, एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जिसे 1,572.86 करोड़ रुपए के बजट

परिव्यय के साथ, जिसमें केन्द्र का भाग 971.70 करोड़ रुपए था, 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है । इस स्कीम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य को 218 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत 74 अनन्य पोस्को न्यायालय हैं, आबंटित किए गए हैं । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी, 2023 को, 764 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत 411 अनन्य पोस्को न्यायालय है, कार्यशील हैं, जिन्होंने 1,44,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटान कर दिया है । उत्तर प्रदेश राज्य में 218 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत 74 अनन्य पोस्को न्यायालय हैं, कार्यरत हैं, जिन्होंने 41,053 मामलों का निपटान कर दिया है । एफटीएससी के 31 मार्च, 2023 से आगे विस्तार के लिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा स्कीम का तृतीय पक्षकार मूल्यांकन किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4862
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियां

4862. श्री तेजस्वी सूर्या :
डॉ. उमेश जी. जाधव :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :
श्रीमती अपराजिता सारंगी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में गठित विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की राज्य-वार संख्या कितनी है ;
(ख) क्या सभी जेलों में विचाराधीन कैदियों की स्थितियों की निगरानी करने के लिए यूटीआरसी मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) उन जेलों का ब्यौरा क्या है, जहां अभी यूटीआरसी का गठन किया जाना बाकी हैं ;
(घ) क्या यूटीआरसी देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने और उनके द्वारा जेलों में बिताए जाने वाले समय को कम करने में समर्थ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) इस समय में यूटीआरसी के क्षेत्राधिकार में आने वाले विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है ; और
(च) क्या सरकार का यूटीआरसी के क्षेत्राधिकार में विचाराधीन कैदियों की और अधिक श्रेणियों को जोड़ने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : 15.12.2022 तक राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रो में कार्यरत विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की संख्या के संबंध में ब्यौरे **उपाबंध-क** पर है । 'कारागार' / 'उनमे निरुद्ध व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अधीन एक " राज्य सूची" का विषय है। इसलिए यूटीआरसी के कारागार-वार ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते है।
(घ) से (ङ) : वर्ष 2021 और 2022 के दौरान, यूटीआरसी की सिफारिशों के अनुसरण में कुल 17,020 और 35,480 बंदियों / विचाराधीन कैदियों (यूटीपी) को छोड़ा गया है। छोड़े जाने की सिफारिश के लिए यूटीआरसी कैदियों की कुल 14 श्रेणियों के मामले का पुनर्विलोकन करती है। इनमे सम्मिलित है :-

(i) द.प्र.सं. की धारा 436क के अधीन आने वाले यूटीपी।
(ii) न्यायालय द्वारा जमानत पर छोडे गये यूटीपी, परंतु जो प्रतिभूति देने मे समर्थ न हो।
(iii) शमनीय अपराध का अभियुक्त यूटीपी।

(iv) द.प्र.सं. की धारा 436 के अधीन पात्र यूटीपी।

(v) ऐसे यूटीपी जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन आ सकते हो, अर्थात भा. द. सं. की धारा 379, 380, 381, 404, 420 के अधीन अपराध का या दो वर्ष से अनधिक कारावास के अभिकथित अपराध का अभियुक्त।

(vi) ऐसे सिद्धदोष जो उनके दंडादेश को भुगत चुके है या फिर जो छोड़े जाने के लिए दंड के परिहार के हकदार है ।

(vii) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36क के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2)(क)(i) और (ii) के अधीन जमानत पर छोडे जाने के पात्र हुए यूटीपी (जहां व्यक्ति धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क या वाणिज्यिक मात्रा से अन्तर्वलित अपराधों के लिए अभियुक्त हैं) और जहां अन्वेषण 60/90/180 दिनों में पूरा नहीं हुआ है।

(viii) ऐसे यूटीपी जो अधिकतम दो वर्ष के कारावास के अपराध के लिए कारावासित हैं ।

(ix) ऐसे यूटीपी जिन्हे द.प्र.सं. के अध्याय 8 अर्थात द.प्र.सं. की धारा 107, धारा 108, धारा 109 और धारा 151 के अधीन निरुद्ध रखा गया हैं ।

(x) ऐसे यूटीपी जो बीमार या दुर्बल हैं और विशेष चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा हैं ।

(xi) यूटीपी महिला अपराधी।

(xii) ऐसे यूटीपी जो 19 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच पहली बार के अपराधी हैं और 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अभिरक्षा में हैं और अधिकतम संभव दंडादेश का कम से कम 1/4 भुगत चुके हैं।

(xiii) ऐसे यूटीपी जो विकृतचित्त व्यक्ति हैं और जिनसे संहिता के अध्याय 25 के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए।

(xiv) ऐसे यूटीपी जो द.प्र.सं. की धारा 437(6) के अधीन छोड़े जाने के लिये पात्र हैं, जहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण, जो किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख के साठ दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता है।

(च) : भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस का स्मरणोत्सव मनाने के लिये यूटीआरसी द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के लिए 16 जुलाई, 2022 से 13 अगस्त, 2022 तक अभियान अर्थात "रिलीज़_यूटीआरसी@75" चलाया गया जिसमें विचाराधीन कैदियों के मामलों की निम्नलिखित अतिरिक्त श्रेणियों की पहचान, यूटीआरसी द्वारा विचार किये जाने के लिए की गई थी :

(i) वे विचाराधीन कैदी जिन्हें महामारी के दौरान न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी और जिन्होने बंधपत्र की सभी शर्तों का पालन किया हैं और या तो न्यायालय/एचपीसी द्वारा उपवर्णित नियत तारीख पर कारागार वापस आ गए हैं या नियत सुनवाई पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। यूटीआरसी को विचाराधीन कैदी को जमानत (अंतरिम नहीं परंतु नियमित जमानत) देने की सिफारिश के साथ संबंधित न्यायालय को ऐसे मामलों की सिफारिश करनी चाहिए।

(ii) वे विचाराधीन कैदी जो ऐसे अपराधों के अभियुक्त है या जिन पर ऐसे अपराधों का आरोप है जिनके लिए अधिकतम कारावास 7 वर्ष तक या कम हैं ।

(iii) वे विचाराधीन कैदी जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हैं ।

****

उपाबंध-क

विचाराधीन समीक्षा समितियां- श्री एल एस तेजस्वी सूर्या, डॉ. उमेश जी. जाधव, श्री बी.वाई. राघवेंद्र, श्री सनगन्ना अमरप्पा, श्रीमती अपराजिता सारंगी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4862, जिसका उत्तर 31.03.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

15.12.2022 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रो में कार्यरत विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की संख्या दर्शाने वाला विवरण		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	यूटीआरसी की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	18
3.	असम	33
4.	बिहार	37
5.	छत्तीसगढ़	23
6.	गोवा	02
7.	गुजरात	33
8.	हरियाणा	22
9.	हिमाचल प्रदेश	11
10.	जम्मू - कश्मीर	20
11.	झारखंड	24
12.	कर्नाटक	30
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	50
15.	महाराष्ट्र	33
16.	मणिपुर	16
17.	मेघालय	11
18.	मिजोरम	08
19.	नागालैंड	11
20.	ओडिशा	30
21.	पंजाब	22
22.	राजस्थान	36
23.	सिक्किम	04
24.	तेलंगाना	10
25.	तमिलनाडु	32
26.	त्रिपुरा	08
27.	उत्तर प्रदेश	71
28.	उत्तराखंड	13
29.	पश्चिमी बंगाल	22
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	01
31.	चंडीगढ़	01
32.	दादरा और नगर हवेली	01
33.	दमण और दीव	01
34.	दिल्ली	11
35.	लक्षद्वीप	01
36.	पुडुचेरी	02
37.	लद्दाख	02
कुल		677

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4872
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदियों हेतु त्वरित न्यायालय

4872. कुमारी राम्या हरिदास :
श्रीमती पूनम महाजन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का देश की विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना और उसके कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हैं, जिन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार स्थापित किया जाता है । वर्तमान में विचारणाधीन कैदियों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना को कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) से (घ) : इस संबंध में कोई सुझाव /प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया गया है ।

(ङ) : उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4886
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं

4886. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) ई-न्यायालय परियोजना के चरण I और चरण-II में कुल परिव्यय कितना है और 2015 से जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले दो चरणों में ई-न्यायालयों के माध्यम से समय पर न्याय और आसान पहुंच प्राप्त करने में आम आदमी को हुए लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इंटरनेट तक पहुंच नहीं रखने वाले और डिजिटल विभाजन का सामना कर रहे वादियों तक न्यायालयों की नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रभावी और समयबद्ध पहुंच प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य से, न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट समन्वय में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को क्रियान्यवित कर रहा है। ई-न्यायालय चरण-I (2011-15) का कुल परिव्यय 935 करोड़ रुपये का था जबकि सरकार ने 639.41 करोड़ रुपये का व्यय किया। ई-न्यायालय चरण- II परियोजना 2015 में 1,670 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू हुई थी और सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में सम्मिलित विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरण को 28.03.2022 तक 1,668.42 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	अभिकरण	**जारी की गई निधि (31.03.2022 तक)**
1.	उच्च न्यायालय	1,164.37 करोड़ रुपये
2.	एनआईसी	77.46 करोड़ रुपये
3.	एनआईसीएसआई	103.10 करोड़ रुपये
4.	बीएसएनएल	293.68 करोड़ रुपये

5.	ई-समिति, एससीआई	13.50 करोड़ रुपये
6.	अन्य विविध व्यय (वेतन, प्रचार आदि)	16.31 करोड़ रुपये
	कुल	**1,668.42** करोड़ रुपये

(ख) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। चरण II तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण-I और चरण-II के दौरान की गई पहलें निम्नलिखित हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की समय पर और अधिक पहुंच हुई है।

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, पूरे भारत में 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को संयोजकता प्रदान की गई है । इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, न्यायिक सेवाएं अब आम आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी 22.38 करोड़ से अधिक मामलों और 20.83 करोड़ (01.03.2023 तक) से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल के माध्यम से जनता को न्यायालय मामलों की जानकारी उपलब्ध कराकर न्यायिक प्रणाली में अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है।

iii. अनुकूलित मुक्त और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है। वर्तमान में सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 को जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह उपकरण मामलों के स्मार्ट शड्यूलिंग में मदद करता है जिससे न्यायिक अधिकारी तत्काल मामलों को बनाए रखने में समक्ष होते हैं और वाद सूची पर अत्यावश्यक मामलों को स्थागित करते हैं ।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (28 फरवरी 2023 तक कुल 1.70करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक 18,407 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया

है। यह देरी को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया की समग्र गति में सुधार करने के लिए मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है।

v. भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा। उच्च न्यायालयों (78,29,283 मामले और अधीनस्थ न्यायालयों में 1,87,71,384 मामले) ने 28.02.2023 तक 2.63 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31.01.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,02,937 सुनवाई की । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं भी समर्थ की गई हैं। 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए 2506 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण के लिए भी निधियाँ जारी किए गए हैं ।वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई हैं। यह वादियों, वकीलों और सभी हितधारकों को न्यायालयों में भौतिक उपस्थिति के बिना कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, न्यायालय कार्यवाही से जुड़ी लागतों को कम करना, जैसे कि गवाहों, न्यायाधीशों और वकीलों के लिए यात्रा व्यय है।

vi. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है। 21 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 2.74 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला गया है और 35 लाख से अधिक (35,20,799) मामलों में रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है। 28.02.2023 तक 380 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। इन न्यायालयों ने वादियों को अपने जुर्माने का भुगतान करने या ऑनलाइन (24X7) दावों का विरोध करने में सक्षम बनाया है। इस प्रकार, न्यायालय प्रणाली और वादकारियों दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत होती है।

vii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। प्रारूप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं। 28.02.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है। यह सरकारी अभिकरणों या न्यायालयों में भौतिक यात्राओं की आवश्यकता को समाप्त करके, दस्तावेजों को फाइल करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम करके उपयोगकर्ता की मदद करता है। यह फाइलिंग प्रक्रिया में त्रुटियों और अशुद्धियों के जोखिम को कम करता है, क्योंकि दस्तावेजों की पूर्णता और शुद्धता के लिए स्वचालित रूप से जाँच की जाती है।

viii. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि को देय हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है। 21 उच्च न्यायालयों में 28.02.2023 तक न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह न्यायालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करके और भुगतान करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम करके वादियों की मदद करता है।

ix. 714 ई-सेवा केंद्रों को वकील या वादी की सुविधा के आशय से शुरू किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है। जिन नागरिकों की तकनीक तक पहुंच नहीं है, वे ई-सेवा केंद्रों से

न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, इस प्रकार डिजिटल विभाजन को पाट सकते हैं।

x. प्रक्रिया सेवा को समर्थ बनाने वाली प्रौद्योगिकी और सम्मन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। यह वर्तमान में 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में क्रियान्यवित किया गया है। यह सेवा के समय प्रक्रिया सर्वर के भौगोलिक निर्देशांक की ट्रैकिंग के अलावा समन की सेवा का वास्तविक समय स्थिति अद्यतन प्रदान करता है। जिससे पारदर्शिता और वितरण प्रक्रिया की गति में वृद्धि होती है।

xi. एक नया "निर्णय खोज"पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय दिन प्रति दिन,और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी दिए गए कीवर्ड या कीवर्ड के संयोजन के आधार पर निर्णय लेने में आसान पहुंच प्रदान करता है।

xii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और परिचित बनाने के लिए और "कौशल विभाजन" को संबोधित करने के लिए, ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल और "ई-फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रीकरण कैसे करें" पर वकीलों के लिए एक ब्रोशर अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ई-न्यायालय सेवाओं के नाम पर ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 5,13,080 पणधारक सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षक, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता भी हैं।

(ग) : भारत सरकार ने डिजिटल डिवाइड के सेतु के लिए ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए ई-न्यायालय चरण- II के अधीन धन जारी किया है। ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों के प्रवेश बिंदु पर वकील या वादी की सुविधा के आशय से स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में ई-सेवा केंद्र और प्रत्येक जिले में एक जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसर स्थापित किए गए हैं, जबकि सभी न्यायालय परिसर उत्तर-पूर्वी राज्यों में आते हैं। 28.03.2023 तक, 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 714 ई-सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बना दिया गया है। 12.12 करोड़ रुपये न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटर बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं। सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं जिससे वादियों/वकीलों द्वारा याचिकाओं और आवेदनों को दायर करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य किया जा सके और सूचना कियोस्क के माध्यम से वकीलों और वादियों को वाद सूचियों और अन्य मामलों से संबंधित न्यायिक जानकारी का प्रसार किया जा सके। उत्तराखंड और तेलंगाना में मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए वाई-फाई और कंप्यूटर से लैस मोबाइल ई- न्यायालय वैन भी शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग ने

भारत भर में स्थित 4 लाख से अधिक सीएससी के माध्यम से निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए 02.09.2022 को सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे डिजिटल विभाजन को और कम किया जा सके ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4916
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद का रिक्त होना

4916. श्री ए.के.पी. चिनराज :
श्री टी. आर. बालू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद पांच महीने से अधिक समय से रिक्त पड़ा हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;
(घ) सरकार के पास मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की लंबित पड़ी हुई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या उक्त न्यायालय के अधिवक्ता फोरम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के सम्बन्ध में कोई चिंता व्यक्त की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : तारीख 12.09.2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त होने के बाद से, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के कर्तव्यों को मद्रास उच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम अवर न्यायमूर्ति द्वारा निष्पादित किया जा रहा है ।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया जाता है । उच्च न्यायालयों में न्यायमूर्ति/न्यायमूर्तियों की रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्याय पालिका के मध्य एक सतत्, परामर्शक और एकीकृत प्रक्रिया है, चूंकि इसमें विभिन्न संबैधानिक प्राधिकारियों द्वारा परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यामूर्ति का मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रुप में स्थानांतरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांनतरण के दो प्रस्ताव, विचार करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों पर हैं । मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति के मेघालय उच्च न्यायालय के रुप में स्थानांनतरण, जो कि 15 नवम्बर, 2019 को अधिसूचित किया गया था, के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय के कुछ अधिवकताओं और वकीलों द्वारा प्रदर्शन किया गया था ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4918
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

एफटीसी की स्थापना हेतु निधि का उपयोग

4918. श्री मनोज तिवारी :

डॉ. निशिकांत दुबे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार की देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की संख्या बढ़ाने की मंशा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन न्यायालयों की स्थापना हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन न्यायालयों की स्थापना और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना और निधियों का आवंटन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी जरूरत और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करती हैं । एक अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए 11वें वित्त आयोग के दौरान एफटीसीएस बनाए गए थे, कि ऐसे न्यायालय एक वर्ष में 168 मामलों का निपटान कर सकते हैं । 31.03.2015 के बाद केंद्रीय वित्त पोषण बंद कर दिया गया है । तत्पश्चात्, 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि स्थापित किए जाने वाले एफटीसीएस की संख्या राज्य के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या का 10% होना चाहिए । 14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, टर्मिनल एलिमेंट से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित दीवानी मामलों और पांच वर्षों से अधिक लंबित मामलों के विचारण के लिए 1800 एफटीसीएस स्थापित करने की सिफारिश की थी, और राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए कर न्यायगमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का आग्रह किया था । उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी, 2023 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यरत एफटीसीएस की संख्या उपाबंध में दी गई है ।

एफटीसीएस के कार्य के लिए संबंधित राज्यों द्वारा आवंटित निधियों की जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है । यथा, अप्रैल 2015 से एफटीसीएस के लिए केंद्रीय सहायता बंद कर दी गई है, केंद्र द्वारा राज्यों को अधिक निधि आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । तथापि, दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार, केंद्रीय सरकार अक्टूबर, 2019 से 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है, जिसमें बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र विचारण के लिए 389 अनन्य पॉक्सो (लैगिंक अपराधों से बच्चों का निवारण) न्यायालय शामिल हैं । यह स्कीम शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जिसे केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 971.70 करोड़ रुपये सहित 1572.86 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है । 634.6 करोड़ रुपए 2019 से एफटीसीएस के परिचालन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी किए गए हैं । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी, 2023 तक, 411 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 764 एफटीसीएस न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 1,44,000 लंबित मामलों से अधिक का निपटान किया है, शेष एफटीएससी की स्थापना सहित स्कीम के मजबूत कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए न्याय विभाग द्वारा नियमित पुनर्विलोकन बैठकें आयोजित की गई हैं । इसके अतिरिक्त, विधि और न्याय मंत्री ने शेष एफटीसीएस के परिचालन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र भेजे हैं ।

31 मार्च, 2023 से आगे एफटीसीएस के और विस्तार के लिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है ।

******

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4918 जिसका उत्तर तारीख 31.03.2023 को दिया जाना है, के लिए उपाबंध
कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की प्रास्थिति (त्वरित निपटान न्यायालय)
(31 जनवरी, 2023 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय
1	आंध्र प्रदेश	22
2	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	18
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	23
8	दादरा और नागर हवेली	0
9	दिल्ली	10
10	दीव और दमण	0
11	गोवा	4
12	गुजरात	51
13	हरियाणा	6
14	हिमाचल प्रदेश	3
15	जम्मू-कश्मीर	4
16	झारखंड	34
17	कर्नाटक	0
18	केरल	0

19	लद्दाख	0
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	0
22	महाराष्ट्र	111
23	मणिपुर	6
24	मेघालय	0
25	मिजोरम	2
26	नगालैंड	0
27	ओडिशा	0
28	पुदुचेरी	0
29	पंजाब	7
30	राजस्थान	0
31	सिक्किम	2
32	तमिलनाडु	73
33	तेलंगाना	0
34	त्रिपुरा	3
35	उत्तर प्रदेश	372
36	उत्तराखंड	4
37	पश्चिमी बंगाल	88
	कुल	**843**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4929
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना

4929. श्री एन. रेडडप्प :
डा.बीसेट्टी वेंकट सत्वती :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) योजना का ब्यौरा और विशेषताएं क्या है ;
(ख) आज की तारीख के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कुल कितने एफटीसी स्थापित किए गए और कार्यशील किए गए हैं ;
(ग) क्या एफटीसी में लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) सरकार द्वारा देश में शेष एफटीसी की स्थापना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना और इसके कार्य संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने 2015-2020 के दौरान 4,144 करोड़ रुपये की कुल लागत पर, इस प्रयोजन के लिए (32% से 42%) कर न्यायगमन के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय स्थान का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह करते हुए, 1800 एफटीसीएस स्थापित करने की सिफारिश की थी । एफटीसीएस की स्थापना का मूल उद्देश्य जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, टर्मिनल एलिमेंट से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित दीवानी मामलों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों का त्वरित विचारण करना था । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.1.2023 तक देश भर में 843 एफटीसीएस कार्यरत हैं । जनवरी, 2023 तक निर्धारित लक्ष्य की तुलना में स्थापित किए जाने वाले और कार्यरत बनाए जाने वाले एफटीसीएस की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं । देश में अधिक एफटीसीएस की स्थापना के लिए, संघ सरकार ने 2015-16 से राज्य सरकारों बार-बार आग्रह किया है कि न्यायालयों की लक्षित संख्या की कमी को पूरा करने के लिए और अधिक एफटीसीएस स्थापित करें । अधिक एफटीसीएस की स्थापना मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में बार-बार एजेंडा मदों में से एक के रूप में प्रस्तुत हुई है ।

तथापि, दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार, केंद्रीय सरकार अक्टूबर, 2019 से 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है, जिसमें बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र विचारण के लिए 389 अनन्य पॉक्सो (लैगिंक अपराधों से बच्चों को निवारण) न्यायालय शामिल हैं । यह स्कीम शुरू में एक वर्ष के अवधि के लिए थी जिसे केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 971.70 करोड़ रुपये सहित 1572.86 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है । 634.6 करोड़ रुपए 2019 से एफटीसीएस के परिचालन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी किए गए हैं । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी, 2023 तक, 411 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 764 एफटीसीएस न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 1,44,000 लंबित मामलों से अधिक का निपटान किया है, नियमित पुनर्विलोकन बैठकें शेष एफटीएससी की स्थापना सहित स्कीम के मजबूत कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए न्याय विभाग द्वारा आयोजित की गई हैं । इसके अतिरिक्त, विधि और न्याय मंत्री ने शेष एफटीसीएस के परिचालन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र भेजे हैं ।

31 मार्च, 2023 से आगे एफटीसीएस के और विस्तार के लिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है ।

******

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4929 जिसका उत्तर तारीख 31.03.2023 को दिया जाना है, के लिए उपाबंध आवंटित/कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रास्थिति

(31.03.2023 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय
1	आंध्र प्रदेश	47	22
2	तेलंगाना	37	0
3	असम	36	18
4	अरुणाचल प्रदेश	0	0
5	मिजोरम	7	2
6	नगालैंड	3	0
7	बिहार	147	0
8	छत्तीसगढ	28	23
9	गुजरात	174	51
10	हिमाचल प्रदेश	13	3
11	जम्मू-कश्मीर	21	4
12	झारखंड	50	34
13	कर्नाटक	95	0
14	केरल	41	0
15	लक्षद्वीप	0	0
16	मध्य प्रदेश	133	0
17	महाराष्ट्र	203	111
18	दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	1	0
19	गोवा	5	4
20	मणिपुर	3	6
21	मेघालय	4	0
22	ओडिशा	63	0
23	पंजाब	50	7
24	हरयाणा	48	6
25	चंडीगढ़	2	0
26	राजस्थान	93	0
27	सिक्किम	1	2
28	तमिलनाडु	87	73
29	पुदुचेरी	2	0
30	त्रिपुरा	9	3
31	उत्तर प्रदेश	212	372
32	उत्तराखंड	28	4
33	पश्चिमी बंगाल और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	94	88
34	दिल्ली	63	10
कुल		**1800**	**843**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4976
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

संवैधानिक पीठ का बिना अवकाश लिए काम करना

4976. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बित मामलों को तेजी से निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पूरे वर्ष कम से कम एक संविधान पीठ के कार्य करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या शीर्ष न्यायालय में मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए स्पष्टता और पारदर्शिता लाने तथा वकीलों के संबंधित पीठों के समक्ष जल्दी सुनवाई के लिए जमानत याचिकाओं जैसे तत्काल मामलों का उल्लेख करने की अनुमति देने एवं मामलों का त्वरित निर्णय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, न्यायाधीशों की उपलब्धता और न्यायालयों में नियमित और विविध मामलों की लंबितता के बीच संतुलन बनाए रखने और मामलों की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संविधान पीठों की स्थापना की जाती है । यह सूचित किया गया है कि 27.03.2023 तक, कुल 37 मुख्य मामले संविधान पीठों के समक्ष न्याय निर्णयन के लिए लंबित हैं, जिनमें से 05 को निर्णय के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

(ग) : अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के संबंध में मेंशनिग सिद्धांत अभिकथित किए गए हैं, जिन्हें 'लिस्टिड मेंशनींग' के रूप में लिस्टिंग करने के लिए मेंशनिग शाखा द्वारा स्वीकार किया जाता है । ये मार्गदर्शक सिद्धांत भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । अत्यावश्यक मामलों की में मेंशनिग के संबंध में, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ प्रति दिन मेंशनिग करती है ताकि अत्यावश्यक मामलों से संबंधित स्थिति का समाधान किया जा सके । खंडपीठ संख्या 1 द्वारा 70 से 125 तक मामलों की मेंशनींग की जा रही है । लंबित मामलों में भी संबंधित पीठों द्वारा मेंशनिग की जा रही है । यह और सूचित किया जाता है कि न्यायपीठों द्वारा अत्यावश्यक मामलों या ऐसे किसी भी मामले को संबोधित करने के लिए ज़ोरदार प्रयास किए जा रहे हैं जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है । फाइलिंग और मामलों की लिस्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए, उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री एक ई-फाइलिंग प्रक्रिया विकसित करने का प्रयास कर रही है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5009
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

बिहार में न्यायाधीशों की कमी

5009. श्री विजय कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या न्यायाधीशों की कमी के कारण बिहार के न्यायालयों में लंबित मामलों में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) बिहार में 'विशेषकर गया में' महिलाओं के लिए विधि महाविद्यालय खोलने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बिहार में, 01.03.2023 तक न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्त पद निम्नानुसार हैं :

न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पदसंख्या	रिक्ति
पटना उच्च न्यायालय	53	31	22
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	2016	1350	668

स्रोत : पटना उच्च न्यायालय

(ख) : जहां तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका की पदसंख्या बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपायों का संबंध है, संघ सरकार की राज्य न्यायिक अधिकारियों की पदसंख्या में चयन, नियुक्ति और/या वृद्धि करने में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है क्योंकि यह संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हैं । उच्चतर न्यायपालिका की दशा में, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन और न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि के कारण भी उदभूत होती रहती है ।

(ग) और (घ) : पटना उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई अध्ययन संचालित नहीं किया है, जिससे यह पता चल सके कि न्यायाधीशों की कमी के कारण बिहार के न्यायालयों में लंबित मामले बढ़ रहे हैं । तथापि, बिहार के न्यायालयों में विगत 3 वर्षों के दौरान लंबित मामलों में वृद्धि/कमी निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**लंबित मामले (31 दिसंबर तक)**		
		2020	2021	2022
1.	पटना उच्च न्यायालय	179462	226071	212113
2.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3016743	3276696	3464725

स्रोत : पटना उच्च न्यायालय

लंबित मामलों को कम करने/न्यूनतम करने के लिए पटना उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कदमों/योजना/उपायों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

i. बिहार (उच्च न्यायालय में मामला प्रवाह प्रबंधन) नियम, 2008 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा विरचित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया । इसमें उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं, पत्रों, पेटेंट अपील और अन्य सिविल और दांडिक मामलों के निपटान को सुप्रवाही बनाना सुनिश्चित किया है ।

ii. कुछ वाणिज्यिक और पर्यावरणीय मामलों को खंड न्यायपीठ अधिनिर्णय के अध्यधीन किया गया है, जो वाणिज्यिक और पर्यावरणीय विवादों के निपटान और शीघ्र अंतिमता देने में बहुत प्रभावी साबित हुए हैं ताकि अंतर-न्यायालय अपील की प्रक्रिया के कारण अवरंचनात्मक और विकासात्मक कार्य प्रभावित न हो । यह अधिनिर्णय के बहुविध स्तरों से बचाव करने के लिए उच्च न्यायालय के सुझाव के अनुरूप है, जो वादविषयों का निपटान करने में अंतिम रूप से देरी का कारण होता है ।

iii. विभिन्न शीर्षों के अधीन मामलों की पहचान और परिणामी पृथक्करण, विशेष रूप से उन वादविषयों को शामिल करना है जो न्यायालय द्वारा पूर्वतर में विनिश्चित किए गए हैं, जिसका परिणाम ऐसे मामलों को कम समय में निपटान होगा । इसमें अनुरूप मामलों और समान प्रकृति के मामलों की पहचान और सूचीकरण करना सम्मिलित है ।

iv. लंबित जमानत मामलों के लिए विशेष रूप से शनिवार को कुछ न्यायपीठों द्वारा विशेष न्यायालयों का आयोजन । जमानत आवेदनों सहित महत्वपूर्ण मामलों के निपटान के लिए अवकाश और छुट्टियों के दौरान अवकाश न्यायपीठों की बड़ी संख्या का गठन, धारा 389(1)/सीआरपीसी, जो आवेदनों और मामलों में अंतर्वर्ती आदेश पारित करने के लिए अपेक्षित है ।

v. उन मामलों पर दृष्टि रखने के लिए, जो किसी कारण या अन्य के लिए एक बार भी सूचीबद्ध और सुने नहीं गए है और 40, 30, 20 और 10 वर्ष पुराने मामलों पर विशेष बल देते हुए सभी न्यायपीठों के लिए समेकित सूची तैयार करना । इन कदमों से 3 जनवरी, 2022 से 31.01.2023 तक 1,02,635 दांडिक मामलों और 29,030 सिविल मामलों का निपटान किया गया है, जिसने उक्त अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय के 110.83% मामला शोधन अनुपात (सीसीआर) के सुधार की दिशा में सकारात्मक योगदान दिया है ।

vi. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, पटना उच्च न्यायालय की माननीय बकाया समिति द्वारा लंबायमान को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें जिला स्तर पर प्रत्येक न्यायालय को प्रत्येक तिमाही में राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर दर्शाए गए 15 पुराने लंबित मामलों के निपटान का लक्ष्य दिया गया है । इसके अतिरिक्त, सभी जिला और सेशन न्यायाधीशों को जिला बकाया समिति के माध्यम से प्रत्येक मास के शोधन दिन पर उनकी संबंधित अधिकारिता के अधीन प्रत्येक न्यायालय के पुराने मामलों के निपटान को मानीटर करने के लिए निदेशित किया गया है । सभी जिला

और सेशन न्यायाधीशों ने यह भी निदेशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक न्यायालय अपने संबंधित न्यायालयों के पुराने मामलों के निपटान के लिए तिमाही योजना तैयार करें ।

(ङ) : किसी राज्य में विधि महाविद्यालय को खोलना संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है । केंद्रीय सरकार की बिहार में विशेष रूप से गया में महिलाओं के लिए विधि महाविद्यालय खोलने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5024
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

जनजातीय क्षेत्रों में विशेष न्यायालय

5024. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनजातीय लोगों को आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रों में किसी विशेष न्यायालय की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जनजातीय लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा कोई अन्य सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश में विशेषकर खंडवा निर्वाचन क्षेत्र में "टेली-लॉ कार्यक्रम" के अंतर्गत विधिक सेवाओं की सुविधा का लाभ उठाने वाले जनजातीय लोगों के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़ें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : वर्तमान में, जनजातीय लोगों के लिए जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, अभिरक्षा में बंदियों सहित आदिवासी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन खंड 12 (क) अर्थात् अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य और खंड 12 (छ) अर्थात् अभिरक्षा में व्यक्ति, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थमें किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थ में किसी किशोर गृह में या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थमें किसी मनश्चिकित्सक अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में की अभिरक्षा भी है, उनकी आय को ध्यान दिए बिना नि:शुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, नाल्सा ने भारत में जनजातीय जनसंख्या तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नाल्सा (आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) स्कीम, 2015 नाम से एक स्कीम तैयार की है । इसके अलावा, नाल्सा ने सभी स्तरों पर कानूनी सहायता और समर्थन को मजबूत करते

हुए अनुसूचित जनजाति सहित समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए गरीबी उन्मूलन योजना और सरकार के कार्यक्रमों के अधीन बुनियादी अधिकारों और लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नाल्सा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन) स्कीम, 2015 नाम से एक और स्कीम तैयार की है ।

टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन फरवरी, 2023 तक खंडवा जिले के 3,754 आदिवासी लाभार्थियों सहित मध्य प्रदेश में 56,873 आदिवासी लाभार्थियों को विधिक सलाह प्रदान की गई ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5031
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा

5031. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा :

श्री अरविंद सावंत :

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर :

श्रीमती संगीता आज़ाद :

श्री नव कुमार सरंनीया :

श्री संजय जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में चल रहे विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की राज्य-वार, जिला-वार और प्रकार-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की समय- समय पर समीक्षा की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है ;

(ङ) यदि हां, तो देश में उक्त न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या तथा रिक्तियों का न्यायालय- वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(च) देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायालय-वार और राज्य- वार पंजीकृत वकीलों की कुल संख्या कितनी है ; और

(छ) क्या सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): जैसा कि भारत के संविधान द्वारा अधिकथित किया गया है, भारत का उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार निहित है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो राज्य के न्यायिक प्रशासन के मुखिया हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण होगा जिनके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। देश में चल रहे उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों की राज्य/जिला-वार कुल संख्या दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

(ख) : तारीख 07.04.2013 को आयोजित मुख्य न्यायमुर्तियों एवं मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में 25% की वृद्धि करने का विनिश्चय लिया गया। तदनुसार, 01.07.2014 से 21.03.2023 की अवधि के दौरान संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमुर्ति के अनुमोदन से, सरकार ने उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या को 906 से बढ़ाकर 1114 अर्थात 208 पदों तक कर दिया है। .

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, चयन और भर्ती कुछ राज्यों में उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय इसे अन्य राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं। केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई सीधी भूमिका नहीं है।

(ग) : वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 25 करने का प्रस्ताव है जो विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति में वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) : भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य-वार स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्ति की स्थिति का विस्तृत विवरण क्रमशः **उपाबंध-2** और **उपाबंध-3**में दिया गया है।

(च) : विधि कार्य विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, देश में विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषद के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल अधिवक्ताओं की वर्तमान स्थिति, राज्य-वार, **उपाबंध-4** में दी गई है।

(छ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 और 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरे न्यायाधीशों का मामला) की उनकी सलाहकार राय के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) के उच्चतम न्यायालय निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की जाती है।

जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारें, अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की

नियुक्ति के मुद्दे के संबंध में नियम और विनियम विरचित करती हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है

****

उपाबंध- 1

'न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा' के संबंध में लोक सभा प्रश्न संख्या 5031 जिसका उत्तर तारीख 31/03/2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

देश में चल रहे उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों की राज्य/जिला-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विस्तृत विवरण।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य/अधिकारिता	कुल जिले	कुल न्यायालय परिसर
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	74	183
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	13	189
3	बंबई	दादर और नागर हवेली	1	2
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	2	16
		महाराष्ट्र	40	487
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	4
		पश्चिमी बंगाल	22	90
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	23	89
6	दिल्ली	दिल्ली	11	12
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	4	4
		असम	33	79
		मिजोरम	3	12
		नागालैंड	9	5
8	गुजरात	गुजरात	32	338
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	11	50
10	जम्मू -कश्मीर और लद्दाख	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	20	82
		लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र		4
11	झारखंड	झारखंड	2	24
12	कर्नाटक	कर्नाटक	24	206
13	केरल	केरल	31	174
		लक्षद्वीप	15	
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	50	230
15	मद्रास	पुदुचेरी	4	4
		तमिलनाडु	32	271
16	मणिपुर	मणिपुर	9	21
17	मेघालय	मेघालय	11	13
18	ओडिशा	ओडिशा	30	124
19	पटना	बिहार	37	80
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	1
		हरियाणा	21	58
		पंजाब	22	69
21	राजस्थान	राजस्थान	36	330
22	सिक्किम	सिक्किम	6	9
23	तेलंगाना	तेलंगाना	33	115
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	8	20
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	13	69
		योग	**686**	**3466**

स्रोत :-एनजेडीजी

उपाबंध-2

'न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा' के संबंध में लोक सभा प्रश्न संख्या 5031 जिसका उत्तर तारीख 31/03/2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में स्वीकृत संख्या, कार्य शक्ति और न्यायाधीशों की रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण (27.03.2023 तक)

क्र.सं.		मंजूर पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
क	उच्चतम न्यायालय	34			34			0		
ख	उच्च न्यायालय	स्था	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1.	इलाहाबाद	119	41	160	81	21	102	38	20	58
2.	आंध्र प्रदेश	28	9	37	26	5	31	2	4	6
3.	बंबई	71	23	94	42	23	65	29	0	29
4.	कलकत्ता	54	18	72	34	19	53	20	-1	19
5.	छत्तीसगढ़	17	5	22	9	4	13	8	1	9
6.	दिल्ली	46	14	60	45	0	45	1	14	15
7.	गुवाहाटी	22	8	30	14	9	23	8	-1	7
8.	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9.	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	9	0	9	4	4	8
10.	जम्मू कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	11	4	15	2	0	2
11.	झारखंड	20	5	25	20	1	21	0	4	4
12.	कर्नाटक	47	15	62	40	13	53	7	2	9
13.	केरल	35	12	47	31	6	37	4	6	10
14.	मध्य प्रदेश	39	14	53	31	0	31	8	14	22
15.	मद्रास	56	19	75	47	11	58	9	8	17
16.	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17.	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18.	उड़ीसा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19.	पटना	40	13	53	32	0	32	8	13	21
20.	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	27	65	26	-6	20
21.	राजस्थान	38	12	50	33	0	33	5	12	17
22.	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23.	तेलंगाना	32	10	42	30	2	32	2	8	10
24.	त्रिपुरा	4	1	5	2	0	2	2	1	3
25.	उत्तराखंड	9	2	11	5	0	5	4	2	6
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**639**	**145**	**784**	**201**	**129**	**330**

उपाबंध-3

'न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा' के संबंध में लोक सभा प्रश्न संख्या 5031 जिसका उत्तर तारीख 31/03/2023 को दिया जाना है,,के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्ति की स्थिति का राज्य-वार विवरण(27.03.2023 के अनुसार)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल मंजूर पदसंख्या	कुल कार्यरत पदसंख्या	कुल रिक्तियाँ
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	13	-13
2.	आंध्र प्रदेश	618	548	70
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	33	8
4.	असम	485	425	60
5.	बिहार	2016	1350	666
6.	चंडीगढ़	30	30	0
7.	छत्तीसगढ़	552	436	116
8.	दादर और नागर हवेली	3	2	1
9.	दमन और दीव	4	4	0
10.	दिल्ली	887	709	178
11.	गोवा	50	40	10
12.	गुजरात	1582	1151	431
13.	हरियाणा	772	574	198
14.	हिमाचल प्रदेश	179	163	16
15.	जम्मू-कश्मीर	314	222	92
16.	झारखंड	694	505	189
17.	कर्नाटक	1375	1134	241
18.	केरल	601	471	130
19.	लद्दाख	17	9	8
20	लक्षद्वीप	4	4	0
21.	मध्य प्रदेश	2028	1642	386
22.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23.	मणिपुर	59	42	17
24.	मेघालय	99	57	42
25.	मिजोरम	74	41	33
26.	नागालैंड	34	24	10
27.	ओडिशा	1001	814	187
28.	पुडुचेरी	28	11	17
29.	पंजाब	797	589	208
30.	राजस्थान	1587	1249	338
31.	सिक्किम	30	23	7
32.	तमिलनाडु	1343	1061	282
33.	तेलंगाना	560	419	141
34.	त्रिपुरा	128	108	20
35.	उत्तर प्रदेश	3694	2494	1200
36.	उत्तराखंड	299	267	32
37.	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
	कुल	25189	19522	5667

स्रोत :- न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

उपाबंध-4

'न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा' के संबंध में लोक सभा प्रश्न संख्या 5031 जिसका उत्तर तारीख 31/03/2023 को दिया जाना है,,के भाग (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषद के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल अधिवक्ताओं की वर्तमान स्थिति को दर्शित करने वाला विवरण

क्र.स.	राज्य विधिज्ञ परिषद	आज की तारीख के अनुसार	अधिवक्ताओं की कुल संख्या
1.	असम	--	37326
2.	आंध्र प्रदेश	14.03.2023	74522
3.	तेलंगाना	03.03.2023	46555
4.	बिहार	17.03.2023	136721
5.	छत्तीसगढ	04.08.2022	31429
6.	दिल्ली	17.03.2023	149655
7.	गुजरात	29.07.2022	108181
8.	हिमाचल प्रदेश	16.03.2023	12578
9.	झारखंड	18.03.2023	31248
10.	कर्नाटक	03.07.2022	111162
11.	केरल	30.07.2022	58770
12.	मध्य प्रदेश	23.08.2022	112390
13.	महाराष्ट्र और गोवा	02.04.2021	191394
14.	ओडिशा	10.08.2022	58697
15.	पंजाब और हरियाणा	20.07.2021	117423
16.	राजस्थान	03.03.2023	99597
17.	तमिलनाडु	30.07.2022	114584
18.	उत्तर प्रदेश	01.04.2021	400016
19.	उत्तराखंड	16.03.2023	18804
20.	पश्चिमी बंगाल	01.04.2021	86555
21.	जम्मू - कश्मीर	--	10589
22.	त्रिपुरा	06.08.2022	1489
23.	मणिपुर	02.03.2023	1974
24.	मेघालय	16.03.2023	1422
	कुल		**2013081**

स्रोत :- विधि कार्य विभाग

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5034
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

जिला न्यायालयों का आधुनिकीकरण

5034. श्री जगन्नाथ सरकार :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री नव कुमार सरनीया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश के सभी न्यायालय कम्प्यूटरीकृत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश में जिला न्यायालयों की अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किए है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने आम नागरिकों तक न्यायालयों की आसान पहुंच के लिए न्यायालय सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं ;
(ङ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है, और
(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए देश में ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुभारंभ किया है। ई-न्यायालय का चरण I 2015 के दौरान कार्यान्वित किया गया था। परियोजना का चरण II 2015 में आरम्भ हुआ, जिसके अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। न्यायालय परिसरों के कम्प्यूटरीकरण का विस्तृत ब्यौरा **उपाबंध-1** में संलग्न किया गया है।

(ख) और (ग) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। संघ सरकार, विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवासों का निर्माण सम्मिलित है। यह स्कीम उच्च न्यायालयों को

कवर नहीं करती है। इस स्कीम के अधीन अब तक 9815 करोड़ रुपये की राशि जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 2014-15 से 6370.78 करोड़ रु. (64.91%) जारी किए गए हैं। 5307.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 9000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ स्कीम को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। न्यायालय हॉल और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के अतिरिक्त, इस स्कीम में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर रूम और शौचालय परिसरों का निर्माण भी सम्मिलित है। आज तक, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए 21,297 न्यायालय हॉल और 18,752 आवासीय आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में 2,806 न्यायालय हॉल और 1,654 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

(घ) से (च) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है।" ई-न्यायालय परियोजना को भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का चरण I 2011-2015 के दौरान लागू किया गया था। परियोजना का दूसरा चरण 2015 में शुरू हुआ। ई-न्यायालय परियोजना में सरकार ने न्याय सुलभ और सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं: -

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, पूरे भारत में 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को संयोजकता प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डाटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादकारी 22.38 करोड़ से अधिक मामलों और 20.83 करोड़ (01.03.2023 तक) से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

iii. अनुकूलित मुक्त और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है। वर्तमान में सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 को जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (2,50,000 दैनिक भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (दैनिक 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से वकीलों/वादकारियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (28

फरवरी 2023 तक कुल 1.70करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31 दिसम्बर 2022 तक 18,407 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाया गया है। जस्टआईएस मोबाइल ऐप अब आईओएस में भी उपलब्ध है।

v. भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा। भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा। उच्च न्यायालयों (78,29,283 मामले और अधीनस्थ न्यायालयों में 1,87,71,384 मामले) ने 28.02.2023 तक 2.66 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31.01.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,02,937 सुनवाई की । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधाएं भी समर्थ की गई हैं। 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए 2506 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग केबिन और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग उपकरण के लिए भी निधियाँ जारी किए गए हैं ।वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई हैं।

vi. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है, जिससे मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मिल गई है।

vii. यातायात चालान मामलों को देखने के लिए 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालयों का संचालन किया गया है। 21 वर्चुअल न्यायालयों में 2.74करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है और 35 लाख (3520799) से अधिक मामलों में 28.02.2023 तक 380(380.86) करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है।

viii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। प्रारूप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं। 28.02.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित हैं जो सीधे समेकित निधि को देय हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है। 22 उच्च न्यायालयों में 28.02.2022 तक न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है।

x. डिजिटल डिवाइड का सेतु बनाने के लिए, 714 ई-सेवा केंद्रों को वकील या वादी की सुविधा के आशय से शुरू किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है।

xi. प्रक्रिया सेवा को समर्थ बनाने वाली प्रौद्योगिकी और सम्मन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। यह वर्तमान में 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में क्रियान्यवित किया गया है।

xii. एक नया "निर्णय खोज"पोर्टल बेंच, खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय

दिन प्रति दिन,और पूर्ण संदर्भ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है।

****

<u>उपाबंध- 1</u>

जिला न्यायालयों का आधुनिकीकरण के संबंध में लोक सभा प्रश्न संख्या 5034 जिसका उत्तर तारीख 31/03/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। न्यायालय परिसर और न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**राज्य**	**न्यायालय परिसर**	**न्यायालय**
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बंबई	दादर और नागर हवेली	1	3
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू -कश्मीर और लद्दाख	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	ओडिशा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
	कुल		**3452**	**18735**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5058
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायालय की कार्यवाहियों का वेबकास्ट

5058. श्री मनोज कोटक :

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायालयों की कार्यवाहियों के प्रसारण के लिए 'यू-ट्यूब जैसे वेबकास्ट के माध्यम से अपना स्वयं का मंच उपलब्ध कराने का है, जिसने कोविड महामारी के मद्देनजर विगत दो वर्षों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की है और ऑनलाइन प्रणाली को उपयोग में लाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से याचिका दायर करने का भी विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : न्यायालय की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करना एक प्रशासनिक मामला है, जो सर्वथा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में आता है तथा केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई सीधी भूमिका नहीं है ।

न्यायालय की कार्यवाहियों के सीधा प्रसारण का आरंभ गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में कर दिया गया है । अत:, वकीलों, वादकारियों और अन्य संबंधित पक्षकारों को कार्यवाहियों में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है ।

ई-न्यायालय चरण-3, 300 न्यायालय परिसरों में न्यायालय कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करने के लिए न्यायालय कक्ष सजीव दृश्य-श्रव्य प्रसारण प्रणाली (सीएलएएसएस) का एक घटक है ।

(ग) और (घ) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन ई-फाइलिंग प्रणाली विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए शुरु की गई है । यह वकीलों को 24x7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है । ई-फाइलिंग 3.0 पोर्टल का उद्घाटन 9 अप्रैल, 2021 को किया गया था, जो https://filing.ecourts.gov.in पर

सुलभ है । ई-फाइलिंग पोर्टल, ई-न्यायालय सेवा पोर्टल पर भी सुलभ हो सकता है । नए रूपांतर में, नया टैब प्रदान किया गया है, जो दस्तावेजों को अपलोड करते समय अधिवक्ताओं और वादकारियों को इन-सिस्टम वीडियो रिकार्डिंग के साथ उनके शपथ को रिकार्ड करने की अनुमति देता है । नए रूपांतर में नया डैशबोर्ड भी दिया गया है, जिसमें मामले को फाइल करना, वकालतनामा, अभिवचन, ई-संदाय, आवेदन और पोर्टफोलियो सम्मिलित है । यह वादकारियों को अधिवक्ताओं को प्रस्ताव भेजने का एक विकल्प प्रदान करता है ।

प्ररूप ई-फाइलिंग नियम बनाए गए हैं और उच्च न्यायालयों को अपनाने के लिए परिचालित किए गए हैं । तारीख 28.02.2023 से कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है । न्यायालयों में ई-फाइलिंग के लिए दिशानिर्देशों का एक समान ढांचा उपलब्ध कराने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एसओपी तैयार की गई है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय परिसरों के भीतर वकीलों और वादकारियों को ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराकर डिजिटल अंतर को कम करने के लिए 714 ई-सेवा केंद्र शुरु किए गए हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *427
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों की खंडपीठ

***427. श्री जगदम्बिका पाल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उच्च न्यायालय की एक या एक से अधिक क्षेत्रीय खंडपीठ स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निचली अदालतों में मामलों का शीघ्र विचारण और निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"उच्च न्यायालयों की खंडपीठ" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *427 **जिसका उत्तर** 31.03.2023 **को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

(क) से (ख) : जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और डब्ल्यू.पी. (सी) 2000 की संख्या 379 में दिये गए निर्णय और राज्य सरकार से प्राप्त एक पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् जिसको आवश्यक व्यय और ढांचागत सुविधाएं प्रदान करनी हैं और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जिसे उच्च न्यायालय का दिन-प्रतिदिन प्रशासन देखना अपेक्षित होता है। प्रस्ताव के पूर्ण होने के लिए उस पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए।

वर्तमान में किसी भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ (ठों) की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है, और केंद्र सरकार की इस मामले में कोई सीधी भूमिका नहीं है।

सरकार ने अगस्त, 2011 में न्याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्रणाली में, देरी और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाकर और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके पहुंच बढ़ाना है। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा सम्मिलित है, जिसमें कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय मिशन के अधीन निम्नलिखित उल्लेखनीय पहलें की गई हैं: -

(i) न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन, कोर्ट हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में निधियां जारी की जा रही है, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिससे न्याय प्रदान करने में सहायता करना। आज तक 1993-94 से न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 9755.51 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना के अधीन कोर्ट हॉल की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2023 को 21,271 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2023 को 18,734 हो गई है।

(ii) इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में WAN कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 689 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं ताकि वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति,

निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल कोर्ट स्थापित किए गए हैं। 31.01.2023 तक, इन न्यायालयों ने 2.53 करोड़ से अधिक मामले हैंडल किए है और 359 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ब्लॉक श्रृंखला जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करने का आशय रखता है।

(iii) सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है। 01.05.2014 से 27.03.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 54 न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की गई। उच्च न्यायालयों में 894 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 646 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 कर दी गई है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या दिनांक 31.12.2013 से 21.03.2023 तक 19,518 से बढ़ाकर 25,189 तथा न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या 15,115 से बढ़ाकर 19,522 की गई है।

हालाँकि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, सभी 25 उच्च न्यायालयों में पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की है; 31.01.2023 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों आदि के लिए 843 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों / विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, दस (10) विशेष न्यायालय नौ (9) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने IPC के अधीन बलात्कार के लंबित मामलों और POCSO अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। अब तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

vi. लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों को मुक्त करने की दृष्टि से, सरकार ने हाल ही में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसी विभिन्न विधियों का संशोधन किया है।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को तहेदिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया, जिससे वाणिज्यिक

विवादों के मामले में पूर्व-मुक्दमेबाजी मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा समय-सीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है।

viii. लोक न्यायालय आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक न्यायालय द्वारा किए गए एक निर्णय को एक सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। लोक न्यायालय कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तिथि पर एक साथ आयोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों में निस्तारित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**पूर्व-मुदमेबाजी मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023 (फरवरी तक)	1,75,98,095	30,25,724	2,06,23,819
कुल	**5,58,19,604**	**1,95,18,262**	**7,53,37,866**

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर्स) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

टेली-लॉ से संबंधित पंजीकृत और सक्षम सलाह वाले मामलों का प्रतिशत-वार ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है: -

28 फरवरी, 2023 तक	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**प्रतिशत-वार ब्यौरा**	**दी गई सलाह**	**प्रतिशत-वार ब्यौरा**

लिंग-वार				
महिला	11,46,046	33.43	11,23,504	33.49
पुरुष	22,82,642	66.57	22,31,041	66.51
जाति वर्ग-वार				
सामान्य	7,31,346	21.33	7,12,646	21.24
अन्य पिछड़ा वर्ग	10,08,050	29.40	9,83,336	29.31
अनुसूचित जाति	10,86,611	31.69	10,66,037	31.78
अनुसूचित जनजाति	6,02,681	17.58	5,92,526	17.66
कुल	**34,28,688**		**33,54,545**	

x. देश में नि:स्वार्थ संस्कृति और नि:स्वार्थ वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां निःस्वार्थ काम के लिए स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने वाले वकील न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रोबोनो एडवोकेट्स के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति पैदा करने के लिए 69 चुनिंदा लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *429
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालयों में रिक्तियां

***429. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति :**

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर न्यायाधीशों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए प्रति दस लाख की जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि अपेक्षित है और कितनी स्वीकृत की गई है ;

(घ) क्या फास्ट ट्रैक न्यायालयों की पर्याप्त संख्या न होने और ऐसे न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के कारण मामलों के समय पर निपटान में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन न्यायालयों में रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ; और

(च) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव के संदर्भ में न्यायाधीशों के पदों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

<u>'फास्ट ट्रैक न्यायालयों में रिक्तियां' से संबंधित 31.3.2023 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *429 के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

(क) : देश में प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित डाटा, राज्यवार केंद्रीयकृत रूप से इस विभाग या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं रखा जाता है । तथापि, किसी वर्ष विशेष में

प्रति दस लाख जनसंख्या के लिए न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात की गणना के लिए विभाग 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष विशेष में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार मापदंड का प्रयोग करता है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो 1210.19 मिलियन थी तथा वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में न्यायाधीश-जनसंख्या का अनुपात प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग 21 न्यायाधीश है ।

इसके अतिरिक्त, 27.3.2023 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या तथा रिक्ति की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्ति
1	उच्चतम न्यायालय	34	34	0
2	उच्च न्यायालय	1114	784	330
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	25189	19522	5667

(ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों के संबंध में निदेश/टिप्पणियां माननीय न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में दिए गए हैं जैसे आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2002) 4 एससीसी 247]; पी रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक राज्य [(2002) 4 एससीसी 578]; इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2017) 3 एससीसी 658] और बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ [(2002) 5 एससीसी 1] जिसमें न्यायालय ने देश में प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या 50 न्यायाधीश प्रति दस लाख बढ़ाकर उसके अंतिम लक्ष्य भारत में जनसंख्या के प्रति दस लाख पर 107 न्यायाधीश करने की भारत के विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट की सिफारिश को दोहराया है ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय ने इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में न्यायिक आदेशों की श्रृंखला के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को देश में अपेक्षित न्यायाधीशों की संख्या की संगणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का सृजन करने के लिए कहा है । परिणामस्वरूप विधि आयोग ने अपनी 245वीं रिपोर्ट (2014) में देश में न्यायाधीशों की संख्या की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक मापदंड नहीं माना । उसने टिप्पणी की कि प्रति व्यक्ति मामले फाइल करना सारवान रूप से संपूर्ण भौगोलिक इकाई में परिवर्तित होता रहता है क्योंकि मामले फाइल करना जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक दशाओं से जुड़ा हुआ है । परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों में अपेक्षित न्यायाधीशों की संख्या की संगणना के लिए भारत के विधि आयोग की सिफारिशों का परीक्षण करने तथा इस विषय पर उसकी सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) से अनुरोध किया । एनसीएमएससी की रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, यह टिप्पणी करती है कि दीर्घ अवधि में प्रत्येक न्यायालय के मामले के भार का निपटारा करने के लिए अपेक्षित "न्यायिक घंटों" की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश संख्या को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा मूल्यांकन करना होगा । अंतरिम रूप से समिति ने "भारित" निपटारा अभिगम अर्थात् स्थानीय दशाओं में मामलों की प्रकृति और जटिलता द्वारा निपटारा भार का प्रस्ताव किया । आदेश तारीख 02.01.2017 के अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार, न्यायिक विभाग ने सभी राज्य सरकारों

तथा उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या निर्धारित करने के लिए अनुसरण कार्रवाई करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए एनसीएमएस समिति की रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित की है ।

(घ) और (ङ) : देश में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) समेत अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों का गठन करती हैं । चौदहवें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, घातक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों आदि तथा पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों के त्वरित विचारण के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) का गठन करने की सिफारिश की थी । वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए कर अंतरण (32 % से 42 %) के माध्यम से उपलब्ध वर्धित वित्तीय अंतराल का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को जोर दिया था । संघीय सरकार ने भी राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष 2015-2016 से आगे एफटीसी का गठन करने के लिए निधियों का आबंटन करने के लिए जोर दिया है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 31.01.2023 तक देश में 843 एफटीसी कार्यरत हैं ।

(च) : न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कार्यपालिका और न्यायापालिका के बीच एक निरंतर और सहयोगकारी प्रक्रिया है, इसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । जहां तक उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों का आरंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है ।

तथापि, 07.4.2013 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों के संयुक्त अधिवेशन में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया । तदनुसार, 01.07.2014 से 21.03.2023 की अवधि के दौरान संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालयों तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या को 906 से बढ़ाकर 1114 कर दिया है अर्थात् 208 पद बढ़ाए गए हैं ।

अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में, संवैधानिक ढांचे के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *432
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

शीर्ष न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

***432. श्री रितेश पाण्डेय :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कॉलेजियम द्वारा संस्तुत न्यायाधीशों के नामों को अधिसूचित करने में हो रहे विलंब पर अपनी राय व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार सरकार के पास कॉलेजियम के कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं और इस विलंब के क्या कारण हैं तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितनी रिक्तियां हैं ;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कॉलेजियम के कितने प्रस्ताव लौटाए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम और सरकार के पास लंबित पड़े उच्च न्यायालयों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ; और

(ङ) क्या सरकार का उपयुक्त संशोधनों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनः पुरःस्थापित करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

"शीर्ष न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *432 जिसका उत्तर 31.03.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों में मामलों की सुनवाई करते हुए, कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए न्यायाधीशों के नामों को अधिसूचित करने में अधिक देरी पर अपनी राय व्यक्त की है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 28 अक्टूबर, 1998 (तीन

न्यायाधीशों का मामला) में अपनी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर,1993 (दो न्यायाधीशों का मामला) में उच्चतम न्यायालय निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार की गई है । संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है । राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से सलाह और अनुमोदन अपेक्षित है । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की गई है । 27.03.2023 तक उच्चतम न्यायालय में कोई रिक्ति नहीं है और सरकार के पास उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

27.03.2023 तक 1114 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद संख्या में से 784 न्यायाधीश कार्यरत हैं और उच्च न्यायालय में 330 न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरा जाना है । 27.03.2023 तक उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एससीसी द्वारा सिफारिश किए गए 18 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है ।

01.01.2018 से 27.03.2023 तक एससीसी की सलाह पर कुल 284 प्रस्ताव सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों को लौटा दिए गए हैं ।

27.03.2023 तक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 330 रिक्तियों में से उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 118 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं और 212 रिक्तियों में से सिफारिशें उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अभी ग्रहण की जानी हैं । उच्च न्यायालय कॉलेजियम से ग्रहण किए गए प्रस्तावों के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे उपाबंध पर हैं ।

(ङ) : जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****

उपाबंध

उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश किए गए और भारत सरकार तथा एससीसी के समक्ष लंबित 118 प्रस्ताव के ब्यौरे (27.03.2023 तक)

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	प्रस्तावों की संख्या
1.	इलाहाबाद	14
2.	आंध्र प्रदेश	08
3.	बॉम्बे	09
4.	कलकत्ता	03
5.	छत्तीसगढ़	05
6.	दिल्ली	09
7.	गुवाहाटी	01
8.	गुजरात	07
9.	हिमाचल प्रदेश	05
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	-
11.	झारखंड	-
12.	कर्नाटक	04
13.	केरल	02
14.	मध्य प्रदेश	19
15.	मद्रास	10
16.	मणिपुर	01
17.	मेघालय	01
18.	ओडिशा	02
19.	पटना	02
20.	पंजाब और हरियाणा	01
21.	राजस्थान	01
22.	सिक्किम	-
23.	तेलंगाना	07
24.	त्रिपुरा	02
25.	उत्तराखंड़	05
कुल		**118**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *436
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन

***436. श्री राहुल रमेश शेवाले :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन राज्यों की राजधानी के नाम बदले गए हैं उन्होंने केन्द्र सरकार से राजधानी के नए नामों के अनुसार अपने- अपने उच्च न्यायालयों के नाम बदलने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार से अपने उच्च न्यायालयों के नाम बदलने का अनुरोध किया है ;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है:

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में तेजी लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) इस संबंध में, विशेषकर महाराष्ट्र के लिए, अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *436 **जिसका उत्तर** 31.03.2023 **को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

(क) से (ङ) : मद्रास शहर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1996 के अधिनियमन के साथ, मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया, जिसके पश्चात तमिलनाडु सरकार ने 1997 में मद्रास उच्च न्यायालय का नाम चेन्नई उच्च न्यायालय के रूप में बदलने का प्रस्ताव भेजा। चूंकि, बंबई और कलकत्ता शहरों के नाम भी मुम्बई और कोलकाता के रूप में बदल दिए गए थे, और राज्यों के संबंधित उच्च न्यायालय इन शहरों में स्थित हैं, इसलिए इन दो उच्च न्यायालयों के नाम बदलना भी उचित समझा गया। सरकार, "उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016" नामक एक विधान बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों के नामों को क्रमश:, मुम्बई , कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालयों के रूप में परिवर्तन के संबंध में लायी और यह 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में पुर:स्थापित किया गया था।

इस बीच उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर ओडिशा और गौहाटी शहर को गुवाहाटी कर दिया गया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, उड़ीसा और गौहाटी उच्च न्यायालयों के नाम को क्रमशः, मुम्बई , चेन्नई, कोलकाता, ओडिशा और गुवाहाटी के रूप में परिवर्तन करने के प्रस्ताव का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श किया गया। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर "तमिलनाडु उच्च न्यायालय" किया जाए। मद्रास उच्च न्यायालय, हालांकि उच्च न्यायालय का नाम बदलने के प्रस्ताव से सहमत नहीं था। महाराष्ट्र, गोवा और बॉम्बे उच्च न्यायालय की राज्य सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का नाम बदलकर मुम्बई उच्च न्यायालय के रूप में करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। उड़ीसा उच्च न्यायालय और ओडिशा की राज्य सरकार के साथ-साथ गौहाटी उच्च न्यायालय और असम राज्य सरकार ने भी संबंधित उच्च न्यायालयों के नाम को बदलने के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कलकत्ता उच्च न्यायालय और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार दोनों, हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के नाम में प्रस्तावित परिवर्तन से सहमत नहीं थे।

उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016 विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया जा सका और 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण व्यपगत हो गया।

श्री वी.पी. पाटिल द्वारा उच्चतम न्यायालय में बंबई उच्च न्यायालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने और इसी प्रकार अन्य उच्च न्यायालयों के नामों को उस राज्य जिसमें वे अवस्थित हैं, के नाम के अनुसार बदलने के लिए एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 401/2020 दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 03.11.2022 द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया है। वर्तमान में, इस विषय पर विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *438
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

असम के न्यायालयों में वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग प्रणाली

+*438. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान असम के न्यायालयों में कितने मामले लंबित पड़े हैं ; और

(ख) देश में उन मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालयों की सूची क्या है जहां न्यायालयी कार्यवाही हेतु पूर्णतः कार्यात्मक वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग प्रणाली उपलब्ध है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

"असम के न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली" से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *438 जिसका उत्तर 31.3.2023 को दिया जाना है के भाग (क) से (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान असम अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या (विशिष्ट वर्ष के 31 दिसंबर तक) निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	कुल लंबित मामले
1.	2022	485455
2.	2021	415024
3.	2020	360753
4.	2019	301427
5.	2018	291960

(ख) : देश में मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय जो कार्यवाहियों के संचालन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का पूरी तरह प्रयोग कर रहे हैं की सूची केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है । यद्धपि क्रमश: उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की संख्या की सूचना **उपाबंध-1** पर दी गई है ।

****

उपाबंध-1

"असम के न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली" से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *438 जिसका उत्तर 31.3.2023 को दिया जाना है के भाग (क) से (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

28 फरवरी, 2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किए गए मामलों के ब्यौरों के साथ न्यायालय जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है के ब्यौरे:-

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की संख्या	जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की संख्या	कुल सुनवाईयां
1	इलाहाबाद	241465	4236784	4478249
2	आंध्र प्रदेश	380254	1413459	1793713
3	बम्बई	38949	85931	124880
4	कलकत्ता	139635	82616	222251
5	छत्तीसगढ़	103135	45179	148314
6	दिल्ली	317729	4548086	4865815
7	गुवाहाटी – अरुणाचल प्रदेश	2295	8128	10423
8	गुवाहाटी – असम	266175	340399	606574
9	गुवाहाटी – मिजोरम	3963	13268	17231
10	गुवाहाटी – नागालैंड	930	650	1580
11	गुजरात	388929	192948	581877
12	हिमाचल प्रदेश	183904	101368	285272
13	जम्मू-कश्मीर	257806	461932	719738
14	झारखंड	218343	643839	862182
15	कर्नाटक	1223451	124573	1348024
16	केरल	160734	544734	705468
17	मध्य प्रदेश	670206	791637	1461843
18	मद्रास	1424471	356714	1781185
19	मणिपुर	38695	15288	53983
20	मेघालय	3029	28923	31952
21	उड़ीसा	291773	250591	542364
22	पटना	276858	2141777	2418635
23	पंजाब और हरियाणा	581047	1906016	2487063
24	राजस्थान	230081	179325	409406
25	सिक्किम	482	12524	13006
26	तेलंगाना	299031	190327	489358
27	त्रिपुरा	10585	12776	23361
28	उत्तराखंड	75328	41556	116884
	कुल	**7829283**	**18771348**	**26600631**

******